Our London Office :
11, Aldwych, W. C. 2

THE BHAVISHYA

Our American Office :
50, Church St. New York

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

‘भविष्य’ का चन्दा
वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६॥) रु०
तिमाही चन्दा ... ३॥) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

स्थानापन्न सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ्री कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को ‘भविष्य’ में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ६ जुलाई, १६३१

संख्या ५, पूर्ण सं० ४१

“इस ग़ुलामी में हमें तो न ख़ुशी आई नज़र ! ख़ुश रहो अह्ले-वतन हम तो सफ़र करते हैं !!”

सन् १६३० ई० के एप्रिल मास में, ठीक ईस्टर के दिन, चटगाँव में सरकारी शस्त्रागार पर कुछ क्रान्तिकारी नवयुवकों ने आक्रमण किया था और वहाँ का सामान लूट कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। कहा जाता है, कि ये अभागे नवयुवक उसी आक्रमण-कारी दल में सम्मिलित थे। चटगाँव की पहाड़ियों में सेना की गोलियों द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। चटगाँव शस्त्रागार के आक्रमण का यह ढङ्ग आयरिश क्रान्तिकारियों के आक्रमण से साम्य रखता है। आयरिश क्रान्तिकारियों ने भी ठीक ईस्टर के दिन सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। चटगाँव की पहाड़ियों पर पड़े हुए इन लाशों का चित्र लिया गया है। नीचे झाड़ी के भीतर छिपे हुए एक नवयुवक क्रान्तिकारी का चित्र है, जो वहीं मार दिया गया था। शेष चित्र तथा विस्तृत परिचय के लिए ‘भविष्य’ के किसी आगामी अङ्क की प्रतीक्षा कीजिए।

The Fine Art Printing Cottage, Chandralok—Allahabad

शीघ्रता कीजिए !
नहीं तो पछताना पड़ेगा !!
मूल्य लागत मात्र केवल ४) रु०
स्थायी ग्राहकों से केवल ३) रु०
व्यङ्ग-चित्रावली
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)
स्मृति-कुञ्ज
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसको अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)
मूर्खराज
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)
अपराधी
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)
व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, व संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना की दृष्टि से रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; ९ जुलाई, १९३१ | संख्या ५, पूर्ण संख्या ४१

श्री० दिनेश गुप्त भी आख़िर फाँसी पर लटका दिए गए!

माता और बहिन के नाम स्वर्गीय दिनेश के अन्तिम पत्र

स्वर्गीय गुप्त महोदय की लाश भी जेल में ही जलाई गई !!

स्वर्गीय हरिकिशन के पूज्य पिता भी बेटे के सदमे में चल बसे !!

पाठकों को मालूम है, कि श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त को, जिन्हें बङ्गाल पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल मि० सिम्पसन की हत्या करने के अपराध में फाँसी की सज़ा सुनाई गई थी, गत सोमवार की शेष रात्रि को, अलीपुर के सेण्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। फाँसी देने की तारीख़ और समय बड़ी सावधानी से गुप्त रक्खा गया था ; पूछने पर भी किसी को बताया नहीं गया था। परन्तु गत मङ्गलवार को कलकत्ता के प्रत्येक चौराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा नियत कर दिया गया था और पुलिस की लॉरियाँ भी रास्तों में चक्कर लगाने में व्यस्त थीं, इसलिए लोगों ने फाँसी हो जाने का अनुमान कर लिया।

श्री० दिनेश गुप्त की जीवन-भिक्षा की अर्ज़ी बङ्गाल-सरकार ने वॉयसरॉय के पास न भेज कर बीच ही में रोक ली थी। श्री० दिनेश गुप्त के पिता ने फिर गवर्नर एवं वॉयसरॉय के पास उक्त आशय का पत्र भेजा था, पर उस की कोई सुनवाई नहीं हुई।

फाँसी के पश्चात् श्री० दिनेश गुप्त का दाह-संस्कार हिन्दू धर्मानुसार जेल में ही उनके भाई के सामने हुआ! शहर में शान्तिपूर्ण हड़ताल मनाई गई। फाँसी के एक दिन पूर्व श्री० दिनेश गुप्त ने अपनी माँ और बहिन को दो पत्र लिखे थे, जिनका अविकल अनुवाद नीचे दिया जाता है :—

माता के नाम पत्र

सेण्ट्रल जेल, अलीपुर
३० जून, १९३१

माँ,

यद्यपि यह सोचता हूँ, कि कल सवेरे ही तुम आओगी, तथापि तुम्हें पत्र लिखे बिना नहीं रह सका।

शायद तुम सोचती होगी कि 'भगवान बड़े निष्ठुर हैं, तुमने इतनी कातर प्रार्थना की, तो भी उन्होंने न सुनी! निश्चय ही वे बड़े पाषाण-हृदय हैं, किसी का हृदय-विदारक आर्तनाद भी उन के कानों तक नहीं पहुँचता।' भगवान क्या हैं, यह मैं नहीं जानता, उनके स्वरूप की कल्पना करना मेरे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु इतना तो अवश्य ही समझता हूँ, कि उनकी सृष्टि में कभी अविचार नहीं हो सकता। उनके विचारालय का द्वार सदैव खुला रहता है, उनका विचार-कार्य नित्य ही जारी रहता है। उनके विचार पर अविश्वास न करना, उसे सन्तुष्ट-चित्त से सिर झुका कर स्वीकार कर लेने की चेष्टा करना, किस उद्देश्य से वह क्या करते हैं, यह भला हम लोग कैसे समझ सकते हैं?

मृत्यु को हम बहुत बड़ा रूप देकर देखते हैं, इसी से वह हमें भयभीत कर सकती है। ठीक, जैसे छोटे बच्चे 'हौवा' से डरते हैं। जिस मृत्यु का स्वागत एक दिन सभी को करना पड़ेगा, वह हमारे हिसाब से दो दिन पहले ही आ जाती है, बस, इसीलिए हम इतने विक्षुब्ध, इतने चञ्चल हो रहे हैं? वह बिना सूचना दिए ही आती, परन्तु इस समय सूचना दे कर आ रही है! तो क्या इसलिए हम उसे अपना परम शत्रु समझें? यह भूल है, सरासर भूल! मृत्यु ने मित्र रूप में ही मुझे दर्शन दिया है। मेरा प्यार और प्रणाम स्वीकार करना।

तुम्हारा,
'नसू' (दिनेश)

बड़ी बहिन के नाम पत्र

सेण्ट्रल जेल, अलीपुर
३ जुलाई, १९३१

मणि दीदी,

आज तुम्हारा पत्र मिला

जिन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हीं के भाग्य में अशेष दुःख भी बदा होता है। यह तो नहीं जानता, कि इन दुखों की वरमाला पहनने का सौभाग्य और शक्ति कितने लोगों को प्राप्त होती है, जिन्हें होती है, उनका जीवन सार्थकता से परिपूर्ण हो उठता है!

परमात्मा जिसे अपने कार्य के लिए चुन लेते हैं, उसके सारे सुख-सम्पद को धूल में मिला कर उसे पथ का भिखारी और रिक्त कङ्गाल बना देते हैं। वह जिसे वरण करते हैं, मरण-माला भी उसी के गले में पहना देते हैं। वह माला क्या कोई साधारण वस्तु है?

यह न तुम्हारा हार देव,
यह है तेरी तलवार!
अग्नि-शिखा की लपटें इसमें,
करतीं वज्र प्रहार!
हाय! कैसी तेरी तलवार!

आनन्द का उपभोग करना इस जीवन में बड़ी बात हो सकती है। परन्तु उससे भी बड़ी बात है, दुःखों का आलिङ्गन करना! आनन्द तो सभी भोग सकते हैं, परन्तु अपनी इच्छा से दुःख का बोझ उठाने के लिए कितने तैयार हैं?

जो शक्तियों का मूल स्रोत है, वह अपने कार्य का भार सौंपता है, उसे दुख को ढोने की शक्ति भी प्रदान करता है! अन्यथा वह उस गुरु-भार को एक क्षण भी कैसे ढो सकता?

जिसमें जीवन है, श्रेय का स्वागत करने की जिसमें श्रद्धा है, वह क्या कभी 'उनके' महाशङ्ख की आह्वान-ध्वनि को सुन कर स्थिर रह सकता है? संसार की क्या मजाल है—इस मिथ्या-मोह में कहाँ ऐसा बल है, जो उसे रोक सके? उसके आह्वान में कौन सी शक्ति है—मैं नहीं जानता।

मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि—

जो तेरा आह्वान-गीत सुन लेते हैं एक बार,
विश्व विसर्जन कर, सङ्कट में कूद पड़ें मँझधार।
हिय अञ्चल फैला, स्वागत करने कण्ठों का हार,
मृत्यु गर्जना में तेरी सुनता सङ्गीत उदार!

प्यारी दीदी! आज बिदा दो!! शायद आज का यह मेरा अन्तिम प्रणाम है!!!

स्नेहभाजन
—दिनेश

(ऊपर जिन पत्रों तथा कविताओं का उल्लेख किया गया है, ये बङ्गला में लिखे गए थे। पाठकों के लाभार्थ उनका हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है)

—राशकई (मर्दन) का समाचार है कि स्वर्गीय श्री० हरिकिशन (जिन्हें पञ्जाब गवर्नर पर आक्रमण तथा सब-इन्स्पेक्टर चननसिंह की हत्या के अपराध में हाल ही में मियाँवाली जेल में फाँसी पर लटका दिया गया था) के पूज्य पिता लाला गुरुदास राम का देहान्त ५ठी जुलाई को हो गया! कहा जाता है, जिस दिन से आपके पुत्र को फाँसी पर लटकाया गया था, उसी दिन से आपको बहुत सदमा पहुँचा और तभी से आप सदैव बीमार रहने लगे। मृत्यु का कारण भी एकाएक हृदय-गति का रुक जाना बतलाया जाता है!!

—हरदोई का २९वीं जून का समाचार है, कि बिलग्राम तहसील के अन्तर्गत जमकन गाँव के एक भारी ज़मींदार और महाजन की हत्या हो गई है। कहा जाता है कि वे रुपए वसूलने के लिए बाहर गए थे, किन्तु लौट कर घर नहीं आ सके!

—दीनाजपुर के २९वीं जून के समाचारों से विदित होता है कि वर्तमान आर्थिक दुरवस्था के कारण २०१ ज़मींदार सरकारी कर नहीं चुका सके हैं। सरकार की ओर से उक्त २०१ ज़मींदारियों की नीलामी की कोशिश की गई, किन्तु कोई ख़रीदार खड़ा नहीं हुआ। अब तक केवल एक स्टेट बेंचा जा सका है।

—कलकत्ते का ३०वीं जून का समाचार है, कि डॉ० अन्सारी ने स्थानीय टाऊन हॉल में भाषण देते हुए कहा है—"यह सम्भव है कि गोलमेज़ परिषद् में एक ही दल के व्यक्ति भर दिए जायँ, किन्तु तो भी परिषद् को हमारी बातों को अवश्य सुनना पड़ेगा। जब तक राष्ट्रवादी मुसलमान भाग न लेंगे, तब तक साम्प्रदायिक समझौता नहीं हो सकता।"

हॉल में यूरोपियन सदस्यों को छोड़ कर कॉर्पोरेशन के सभी सदस्य उपस्थित थे।

—अमृतसर का १ली जुलाई का समाचार है कि, नौजवान भारत-सभा के अध्यक्ष सरदार गुरुदत्तसिंह पर १०८ और ११७ धाराओं के अनुसार अभियोग लगाया गया है। आप २-२ हज़ार की दो ज़मानतों पर छोड़े गए हैं, जिसमें मामला चलने तक आप किसी राजनैतिक कार्य में भाग न ले सकें!

—लखनऊ के १ली जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि मलीहाबाद में कुछ कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ता गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस सम्बन्ध की अभी पूरी ख़बर नहीं मिली है।

—लखनऊ की १ली जुलाई की ख़बरों से पता चलता है कि वहाँ के किसान अपने लगान के रुपए बैङ्कों में जमा कर रहे हैं। कॉङ्ग्रेस कमिटी ने बड़ी जाँच-पड़ताल के बाद उन लोगों को सलाह दी थी कि वे रुपए में ८ आना लगान दे दें और जो लोग कुछ समर्थ हैं, वे रुपए में १० आना देवें। किन्तु ज़मींदारों ने रसीद देने से इन्कार किया। इस पर किसान अपने रुपए बैङ्कों में जमा कर रहे हैं, जिसमें ज़मींदार उन पर लगान न चुकाने का दोषारोपण न कर सकें।

—लखनऊ का १ली जुलाई का समाचार है, कि कल गोइला नामक एक गाँव में किसानों का एक दल भारतीय दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि इनमें से १७ किसान कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता हैं।

—बोरसद का २री जुलाई का समाचार है, कि महात्मा जी ने कुछ कॉङ्ग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को आनन्द ताल्लुक़े के अन्तर्गत गाना नामक गाँव के उन किसानों की एक सूची तैयार करने की आज्ञा दी है, जो लगान चुकाने में असमर्थ हैं अथवा जो लगान की पूरी रक़म नहीं चुका सकते।

लगान न चुकाने के कारण वहाँ की जो चार भैंसें ज़ब्त कर ली गई थीं, उन्हें लौटा देने की आज्ञा कलक्टर ने इस शर्त पर दी है, कि उनके मालिक यह सिद्ध करें कि वे लगान चुकाने में असमर्थ हैं।

—पूना का २री जुलाई का समाचार है, कि वहाँ की पुलिस ने ३ ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है, जिनके पास ३ बन्दूक़ तथा कुछ रासायनिक द्रव्य पाए गए हैं! अभी यह पता नहीं चला है कि ये रासायनिक द्रव्य विस्फोटक हैं या नहीं। कहा जाता है कि जिस समय पुलिस मुहर्रम का प्रबन्ध कर रही थी, उसी समय इन लोगों ने ३ बन्दूक़ों की चोरी की थी, और पीछे पुलिस के भय से ये कोल्हापुर भाग गए। किन्तु वहाँ की पुलिस ने सन्देह पर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और तलाशी लेने पर इनके पास मकान तोड़ने के कुछ औज़ार भी पाए गए। इनके पूना लाए जाने पर वे बन्दूक़ भी बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

—बनारस का २री जुलाई का समाचार है कि, वहाँ की पुलिस ने स्थानीय नौजवान भारत-सभा के मन्त्री श्री० सीताराम शास्त्री के मकान की तलाशी ली और संस्था के उद्देश्य सम्बन्धी पर्चे की ४०० प्रतियाँ उठा ले गई।

—पाठकों को याद होगा, कि गत २६वीं अक्टूबर, १९३० को, जिस समय चिरनार में जङ्गल-सत्याग्रह जारी था, पानवेल के एक मामलतदार को गोली मारने के अभियोग में कुछ सत्याग्रही गिरफ़्तार किए गए थे। उनका मामला सेशन्स कोर्ट में था। गत २री जुलाई को थाना (बम्बई) का समाचार है कि जूरी के निर्दोष कह देने पर भी जज ने ४७ अभियुक्तों में से केवल १८ को निर्दोष कह कर छोड़ा है। ५ अभियुक्तों को ३-३ वर्ष की, १ को १८ माह की तथा ३ को ६-६ माह की कड़ी क़ैद की सज़ा दी गई है। १६ अभियुक्तों से १००) रुपए से २००) रुपए तक की भिन्न-भिन्न रक़मों का जुर्माना माँगा गया है। ४ अभियुक्तों का मामला बम्बई हाईकोर्ट में भेज दिया गया है।

—लाहौर का २री जुलाई का समाचार है, कि नावसेलर और केरा के बीच रेल के तार काटने और रेल की पटरी उलटने के अभियोग में चार व्यक्ति गिरफ़्तार हुए हैं।

—मद्रास का १ली जुलाई का समाचार है, कि वालटैक्स थिएटर में "खद्दर-भक्ति" नाटक खेला जा रहा था; उसमें स्वयंसेवकों की गिरफ़्तारी, विदेशी वस्त्रों की दूकानों पर धरना और पुलिस की लाठियों के भी दृश्य थे। पुलिस के इस पर एतराज़ करने पर बड़ी गड़बड़ी मची; पर कहा जाता है तुरन्त ही रिज़र्व पुलिस के पहुँच जाने पर मामला शान्त हो गया!

—रायबरेली का समाचार है, कि प्रान्तीय सरकार से पं० जवाहरलाल जी की लिखा-पढ़ी करने के कारण वहाँ सभी स्थानों से १४४ दफ़ा उठा ली गई है। केवल बछड़ावाँ में जिन-जिन व्यक्तियों पर से १४४ दफ़ा उठा ली गई है, उन पर फिर १०७ दफ़ा जारी हो गई है!

—अमृतसर की ख़बर है, कि स्वर्गीय श्री० हरिकिशन की जीवनी की पुस्तक के सम्बन्ध में, जो वहाँ अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी, ओङ्कार प्रेस, 'कीर्त्ति'-कार्यालय तथा मोती-प्रेस की तलाशियाँ हुईं। मोती-प्रेस तथा एक पुस्तक की दूकान से पुलिस दो सौ प्रतियाँ उठा ले गई। पुस्तक पञ्जाब-सरकार द्वारा ज़ब्त बतलाई जाती है।

—मुलतान का ३री जुलाई का समाचार है, कि सिकन्दराबाद में भयानक दङ्गा हो गया। वहाँ ज़मींदारों को लोगों ने घेर लिया और कहा जाता है कि उन लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं।

—लाहौर का ३री जुलाई की ख़बर है, कि सुखदेवराज के लिए हाईकोर्ट में की गई अपील स्वीकृत हो गई और अब उनसे जेल में Under trial Prisoner (विचाराधीन अभियुक्त) का सा व्यवहार किया जायगा।

—मुज़फ़्फ़रपुर का ३०वीं जून का समाचार है, कि शिवहर थाना के राधामोहन तथा छः अन्य व्यक्तियों को जो चौकीदारी-कर न देने के कारण तथा दङ्गा मचाने के अभियोग में गिरफ़्तार हुए थे, तीन-तीन मास की कड़ी क़ैद तथा पचास रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई; जुर्माना न देने पर उन्हें डेढ़ मास की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी।

—लखनऊ का ३री जुलाई का समाचार है, कि किसानों में असन्तोष फैलाने के अभियोग में स्वामी गौतम, पण्डित लक्ष्मीचन्द तथा ठाकुर नन्हेसिंह, जो ज़िले के प्रधान कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

रेलगाड़ी के ख़ाली डब्बे में गोलियों का बण्डल

चटगाँव ३० जून। आज रेलवे पुलिस को रेलगाड़ी के ख़ाली डब्बे में बीस गोलियों के दो बण्डल मिले। गाड़ी में कोई मुसाफ़िर न था।

—बाराबङ्की से किसानों के भयङ्कर असन्तोष एवं असह्य कष्ट के समाचार आए हैं। आज तक ज़िले में १०७ दफ़ा में ७०० से अधिक गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। नित्य ही लोग बहुत अधिक संख्या में गिरफ़्तार होते और जेल भेजे जाते हैं। गिरफ़्तारशुदा व्यक्तियों से एक शर्तनामा पर दस्तख़त करा कर चट प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वे सरकार-विरोधी किसी भी आन्दोलन में भाग न लेंगे तथा पूरा-पूरा लगान चुका देंगे। पं० कैलाशनाथ काटजू जाँच के लिए शीघ्र ही जाने वाले हैं। प्रायः जाँच भी मुफ़स्सिल में होती है, जहाँ बेचारे किसान वकील ले जाने का ख़र्च बरदाश्त नहीं कर सकते।

—लाहौर का २री जुलाई का समाचार है, कि सहयोगी 'पिपुल' के सम्पादक लाला फ़िरोज़चन्द जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए और उनकी ज़मानत दो हज़ार से बढ़ा कर पाँच हज़ार कर दी गई!

—शिमला का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि आज सवेरे नार्थवेस्ट रेलवे में एक भयङ्कर ट्रेन-दुर्घटना हो गई। कहा जाता है कि १०॥ बजे के लगभग ८३ अप पैसेञ्जर ट्रेन बरोग और कुमारहट्टी स्टेशनों के बीच, पटरी से उतर गई और उसकी इञ्जिन तथा तीसरे दर्जे की ३ गाड़ियाँ लाईन से ५० फ़ीट नीचे खाईं में जा गिरीं! कहा जाता है, कि किसी की जान नहीं गई है, केवल १९ व्यक्ति घायल हुए हैं!

—चिन्सुरा का समाचार है, कि कोदालिया ग्राम में तलवार सहित तीन डाकू गाँव के एक बड़े ज़मींदार के घर में डाका डालने की तैयारी में पहुँचे। पर पुलिस को इसकी ख़बर पहले ही से लग चुकी थी इस कारण वहाँ सशस्त्र पुलिस पहले ही से तैनात थी। दोनों में मुठभेड़ हुई और अन्त में एक पुलिस अफ़सर, दो पुलिस कॉन्स्टेबिल और एक डकैत बुरी तरह घायल हुए। तीनों डकैत पकड़ लिए गए हैं और हिरासत में हैं।

क्या सरकार सीमान्त के गाँधी को गिरफ़्तार करना चाहती थी ?

दिल्ली की २६वीं जून की ख़बर है, कि सीमा प्रान्त के गाँधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ ने एक प्रेस-प्रतिनिधि से कहा है कि महात्मा गाँधी ने मुझे तार देकर बुलाया था। परन्तु आपने यह बताने से इन्कार किया कि महात्मा गाँधी ने क्यों बुलाया था। प्रतिनिधि ने कहा कि यहाँ अफ़वाह उड़ी थी कि सरकार आपको गिरफ़्तार करना चाहती थी, परन्तु महात्मा गाँधी ने वॉयसरॉय को तार देकर आपकी गिरफ़्तारी स्थगित करा दी इसीलिए महात्मा जी ने आपको बुलाया था। इस पर ख़ाँ साहब मुस्करा कर रह गए और कोई उत्तर नहीं दिया।

—लाहौर की एक ख़बर है कि दशहरा बम-केस के अभियुक्त श्री० अब्दुलग़नी की अपील हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दी गई। फाँसी की सज़ा बहाल रही।

—न्यूयार्क (अमेरिका) का समाचार है, कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकास्थ भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री० शैलेन्द्रनाथ घोष को भारत आने के लिए पास-पोर्ट देना अस्वीकार कर दिया है। इसके पहले भी आपको कई बार कोरा जवाब दिया जा चुका था। इस बार आपको आशा थी कि गाँधी-इर्विन समझौते के कारण पास-पोर्ट मिलने में कठिनाई न होगी और इसी आशा से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा भी था; किन्तु आपकी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई।

—८ अगस्त, १९३० को झाँसी डिवीज़न के कमिश्नर मि० जी० फ़्लावर्स पर बम चलाने का प्रयत्न करने के अपराध में लक्ष्मीकान्त नामक जो २० वर्षीय युवक पकड़ा गया था और जिसे आजीवन क़ैद की सज़ा दी गई थी, गत ३०वीं जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके मामले की अपील ख़ारिज कर दी।

सार्वजनिक सभा में पुलीस का निर्मम लाठी-प्रहार !!

नौहझील (मथुरा) में होने वाली एक सार्वजनिक सभा पर भयङ्कर लाठी-वर्षा होने की ख़बर मिली है। कहा जाता है कि गत २६वीं जून को दिल्ली के 'तेज' अख़बार के श्री० रघुवीरसिंह की अध्यक्षता में सभा हो रही थी। उसी समय एक सब-इन्स्पेक्टर साहब कुछ कॉन्स्टेबिलों और चौकीदारों के साथ सभास्थल पर आ धमके और सभा में उपस्थित व्यक्तियों को सभा छोड़ कर चले जाने के लिए कहा; किन्तु कुछ लोग डटे रहे। तब इन्स्पेक्टर साहब ने पहले तो गन्दी-गन्दी गालियाँ दीं, फिर उन्होंने अपने आदमियों को लाठी चलाने की आज्ञा दी। इस लाठी-प्रहार से अनेक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। इनमें महाशय घूरेलाल नौहझील का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके सर में क़रीब दो अङ्गुल गहरा और चार अङ्गुल चौड़ा घाव हो गया है। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में लाठी की चोट है। इसीसे पता चल सकता है, कि लाठी किस बेरहमी के साथ चलाई गई है !

दूसरे दिन महाशय घूरेलाल को खाट पर डाल कर, एक जुलूस निकाला गया। अन्य घायल व्यक्ति अस्पताल भेज दिए गए हैं।

पुलीस की निर्मम स्वेच्छाचारिता !

निर्दोष स्वयंसेवक धोखा देकर पीटा गया

बीहपुर (भागलपुर) से पुलीस की पाशविक नृशंसता की एक ख़बर मिली है, जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि पुलीस कॉङ्ग्रेस वालों के साथ किस प्रकार अत्याचार करने पर तुली हुई है।

कहा जाता है कि गत ३०वीं जून को ७॥ बजे सन्ध्या के समय भगवानसिंह नामक मिलिटरी पुलीस का एक आदमी श्री० केदारनाथ नामक एक स्वयंसेवक के पास आया और उनसे कहा कि पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट आपको बुलाते हैं। श्री० केदारनाथ ने सुपरिण्टेण्डेण्ट की लिखित आज्ञा देखे बिना उसके साथ जाने से इन्कार किया। इस पर भगवानसिंह ने कहा कि अगर सीधे नहीं चलोगे तो ज़बर्दस्ती ले चलेंगे। इस पर श्री० केदारनाथ उसके साथ चले। जब वे पुलीस कैम्प में पहुँचे तो सुपरिण्टेण्डेण्ट को वहाँ न पाकर वे लौटने लगे। पर सिपाहियों ने फाटक बन्द कर दिया। फिर, भगवानसिंह तथा कुछ अन्य पुलीस के व्यक्तियों ने उन्हें लाठी से मारना शुरू किया। जब वे बेहोश हो गए तो उन लोगों ने एक स्थान पर उन्हें फेंक दिया। संयोग-वश कुछ मुसाफ़िरों की दृष्टि इन पर पड़ी। वे उन्हें उठा कर एक धर्मशाले में ले आए। वहाँ से वे अस्पताल पहुँचाए गए। इस घटना के सम्बन्ध में पुलीस सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास तार देने की कोशिश की गई, किन्तु पोस्ट-मास्टर ने तार भेजने से इन्कार कर दिया !

अस्पताल में पुलीस के सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा पुलीस के इन-चार्ज ने उनका बयान नोट कर लिया है।

कहा जाता है, उनकी दशा अत्यन्त चिन्ताजनक है। बायाँ हाथ बेकार हो गया है; आँखों का बचना कठिन है; सीने पर भी सख़्त चोट आई है; कान से ख़ून बह रहा है और अङ्ग-प्रत्यङ्ग में लाठियों की चोट है।

यह बताया जाता है कि नौगछिया की गत पुलिस-जाँच के समय श्री० केदारनाथ ने पुलिस के विरुद्ध गवाही दी थी। सम्भव है, पुलीस वालों ने उसी का बदला लिया हो !

—अछनेरा के किरावली तहसील में आगामी ता० १४ जुलाई को किसान-सम्मेलन होने वाला है। पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल उसके सभापति चुने गए हैं। तहसील के नामी रईस तथा ज़मींदार कुँवर प्रबलप्रतापसिंह जी स्वागताध्यक्ष चुने गए हैं।

—मिदनापुर (बङ्गाल) का गत २८वीं जून का समाचार है, कि वहाँ के एक प्रसिद्ध ज़मींदार बाबू वारेन्द्र कृष्णपाल को, जब वे बैलगाड़ी पर अपने गाँव को जा रहे थे, किसी ने मार डाला। उनके साथ उनका एक रिश्तेदार भी जा रहा था, वह भी मार डाला गया !

—नई दिल्ली का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक रिपोर्टर श्री० चमनलाल पर, गत १०वीं जून को श्री० हरकिशन की फाँसी-सम्बन्धी शोक-सभा में एक भाषण देने के सम्बन्ध में, १०८वीं धारा के अनुसार नोटिस जारी किया गया है, कि वे कारण दिखावें कि १ वर्ष तक शान्ति क़ायम रखने के लिए उनसे १,०००)-१,०००) के दो मुचलके क्यों नहीं लिए जायँ ?

—ख़बर है कि सपरिषद गवर्नर ने 'दीन के आँसू,' 'क्रान्ति का पुजारी' नामक दो पुस्तक और 'ख़ून का बदला ख़ून' नामक एक पर्चे के ज़ब्त होने की घोषणा की है।

—कानपुर का गत ७वीं जुलाई का समाचार है कि, ६ठी जुलाई की रात को कुछ मुसलमानों ने एक सभा करके यह निश्चय किया था कि ताज़िए न निकाले जायँ; किन्तु इस निश्चय के विरुद्ध एस० एम० राजा आदि सज्जनों की अध्यक्षता में आज १०० ताज़िए निकाले गए। जिन लोगों ने पिकेटिङ्ग द्वारा बाधा पहुँचाने की चेष्टा की, उसी स्थान पर उनके मामले का विचार कर, उन्हें जुर्माने या क़ैद की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार अधिकारियों की सतर्कता और दृढ़ता से कोई दुर्घटना नहीं हुई।

बर्मा-समाचार

शिमला ५ जुलाई—बर्मा की परिस्थिति के सम्बन्ध में एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। उससे पता चलता है कि थायेटमेयो ज़िले को छोड़ कर अन्य सभी ज़िलों की परिस्थिति सुधर रही है। किन्तु थायेटमेयो ज़िले में डकैतियाँ अब भी जारी हैं। कहा जाता है, कि हाल ही में विद्रोहियों ने पेगू से पश्चिम २० मील की दूरी पर कुछ गाँवों पर आक्रमण किया था।

कहा जाता है कि प्रोम ज़िले में ६०० से अधिक मनुष्यों ने आत्म-समर्पण कर दिया है। यह भी ख़बर है, कि लाँकसाउक की शान रियासतों में एक बलवा हो गया था। कहा जाता है कि लगभग ३०० मनुष्य १०० बन्दूक़ों के साथ पिनवा नामक स्थान को गए और वहाँ सरकार के विरुद्ध अनेक भाषण दिए गए। इन विद्रोहियों को दबाने के लिए मिलिटरी पुलीस के तीन दल भेजे गए थे। इनमें से एक दल की गत २री जुलाई को विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई। एक सिपाही ज़ख़्मी हुआ। विद्रोहियों की ओर के भी कुछ लोग हताहत हुए।

कुछ ज़िलों में, विद्रोहियों से आत्म-समर्पण कराने में, पुङ्गियों (बर्मन धर्म-गुरुओं) से सहायता ली जाने की कोशिश की जा रही है।

विद्रोहियों की ओर के हताहतों की संख्या २,००० के लगभग बताई जाती है ! यह भी बताया जाता है कि इनमें आधे से अधिक या तो युद्ध करते हुए मरे या ज़ख़्मों की उचित चिकित्सा न होने के कारण परमधाम को सिधार गए !

रङ्गून ४ जुलाई—सपरिषद गवर्नर ने अतिरिक्त पुलीस की नियुक्ति के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान कर दी है। कहा जाता है कि यह अतिरिक्त पुलीस हेनज़ादा सब-डिविज़न तथा क्यानगीन के ४ गाँवों में १ साल तक रक्खी जायगी, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ख़तरनाक बताई जाती है। नजीएडा नामक एक पुङ्गी को भाषण के सम्बन्ध की निषेधाज्ञा का उल्लङ्घन करने के अभियोग में ४ माह की सादी क़ैद की सज़ा दी गई है।

रॉव्या की एक ख़बर से पता चलता है कि हसीपॉ की पुलीस के एक दल पर विद्रोहियों ने गोलियाँ चला दीं जिससे पुलीस का एक सिपाही ज़ख़्मी हुआ। विद्रोहियों की ओर अनेक व्यक्ति घायल हुए।

रङ्गून की ६ जुलाई की ख़बर है कि शान रियासतों में जो पुलीस और विद्रोहियों में मुठभेड़ हुई थी, उसमें क़रीब ४० विद्रोही जान से मारे गए और इतने ही घायल भी हुए। हेनज़ादा के समीप भी जङ्गलों में विद्रोहियों ने पुलीस वालों से मोर्चा लिया था। इसके सम्बन्ध की पूरी बातें अभी नहीं मालूम हुई हैं।

थारावड्डी में हथियारबन्द विद्रोहियों ने एक डाका डाला, एक मनुष्य की हत्या की। इन्सीन से भी दो डाके की ख़बरें आई हैं।

—रङ्गून का ७वीं जुलाई का समाचार है, कि लाशियो नामक स्थान में विद्रोहियों ने सरकारी सेना पर आक्रमण किया। ५वीं जुलाई को भी सिपाहियों के एक दल पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में दो सिपाही मारे गए और दो घायल हुए हैं। यह भी ख़बर मिली है कि ३री जुलाई को कुछ विद्रोहियों ने मागवी ज़िले के एक गाँव में एक मुखिए के यहाँ डाका डाला और कुछ रुपए तथा सरकारी काग़ज़-पत्र उन्होंने लूट लिया। प्रोम में अब तक ९०७ विद्रोहियों के आत्म-समर्पण करने की ख़बर मिली है। पेगू की ख़बरों से पता चलता है कि अनेक गाँवों में सशस्त्र डाकुओं ने डाके डाले और बन्दूक़ आदि हथियार लूट कर वे चम्पत हुए। वीनज़ादा में भी लूट और हत्याएँ हुई हैं।

* * *

एक दारोग़ा साहब की छलकती हुई राजभक्ति का नमूना!

गाँव वालों को बिना मूल्य ही शराब तथा ताड़ी पिलवाने का निमन्त्रण !!

श्री० चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भयानक भण्डाफोड़ !!!

मद्रास के राष्ट्रीय जीवन के प्राण और महात्मा गाँधी के अन्यतम लेफ़्टिनेन्ट श्री० चक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी सहयोगी "बॉम्बे क्रॉनिकल" में लिखते हैं :—

धरना देने के सम्बन्ध में कई स्थानों से हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें से कुछ तो जितनी ही मनोरञ्जक हैं, उतनी ही कौतूहलपूर्ण भी। यहाँ एक ऐसी घटना का ज़िक्र है कि जिसके दुःखान्त प्रभाव के अतिरिक्त सब कुछ मनोरञ्जक ही है।

एक स्थान पर (जिसका नाम नहीं बताया जायगा) पुलीस के सर्किल इन्स्पेक्टर 'आदि द्राविड़ों' के जो अत्यन्त दीन-हीन दरिद्र हैं, मुहल्ले में गया और वहाँ के निवासियों को उस शराब की दूकान पर जाने के लिए बाध्य किया जहाँ पिकेटिङ्ग चल रही थी और जिसमें बाधा डालना उनका परम कर्तव्य था।

"तुम्हें दाम देने की ज़रूरत नहीं, आज से दस दिनों तक तुम्हें मुफ़्त ताड़ी मिला करेगी"—इन्स्पेक्टर साहब ने उन अभागे कङ्गाल द्राविड़ों से कहा। इसके बाद सर्किल इन्स्पेक्टर और गाँव के मुखिया श्री० नट्टभयकर से बड़ी मज़ेदार बातें हुईं।

"क्यों जी, तुम्हारे आदमी दिन भर घोर परिश्रम करते-करते थक जाते हैं, तुम लोगों के लिए ताड़ी का प्रबन्ध होना चाहिए। तुम इसके बिना रह नहीं सकते?"—इन्स्पेक्टर बोले।

मुखिया—हम अपनी ग़रीबी दूर नहीं कर सके और इस नशीली चीज़ के कारण हमारी जाति बदनाम हो चुकी है। ताड़ी या शराब के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम हमें रोटी कमाने का रास्ता क्यों नहीं बताते; ताड़ी पीने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो?

इन्स्पेक्टर—अरे तुम्हें अब बिना दाम की ताड़ी मिला करेगी। कॉङ्ग्रेस के आदमी तुम्हें पीने को मना करेंगे, परन्तु यदि तुम उनकी आज्ञा का उल्लङ्घन भी करो तो वे तुम्हें दण्ड तो नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा; मैं तुम्हें दूकान तक ले चलूँगा।

मुखिया—हम कॉङ्ग्रेस के आदमियों से डरते नहीं, वे हमारे और हमारे परिवार की रक्षा का सच्चा रास्ता बताते हैं, अतएव हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं।"

इन्स्पेक्टर—रे मूर्ख! मैं देखता हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है; मैं जानता हूँ कि तुम्हें शराब की ज़रूरत है; चलो, सच बोलो यही बात है न यही?

मुखिया—मालिक! हमने ताड़ी की दूकान पर न जाने की क़सम खाई है!

इन्स्पेक्टर—मैं कहता हूँ कि तुम भारी मूर्ख हो, कि मुफ़्त मिलने पर भी ताड़ी नहीं पी लेते।

इतने में एक आदमी बिल का रजिस्टर और छड़ी हाथ में लिए इसी बीच आता है और कहता है—

"मैं पीना चाहता हूँ। यह मुखिया हमारा दुश्मन है; मैं सरकार का ख़ैर-ख़्वाह हूँ। जो कुछ क्यों न हो, मैं पिऊँगा!"

उसकी धर्मपत्नी दौड़ कर वहाँ पहुँचती है और बोलती है—"यह आदमी पीकर पागल हुआ है। मैं इसकी स्त्री हूँ! उसकी बातों का कभी ख़्याल मत करना। वह अपनी भलाई नहीं सोच सकता।" इस पर वह पियक्कड़ अपनी औरत पर मारने के लिए झपटा, परन्तु लोगों ने पकड़ लिया। इन्स्पेक्टर ने उस आदमी से चुप रहने के लिए कहा!

वह आदमी बोला—सारा गाँव हमारे ख़िलाफ़ है; वे मुझे मारेंगे और पीटेंगे; वे मेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे!

इन्स्पेक्टर उसकी बातों को नोट कर चलता बना।

* * *

वाह रे बाँके बहादुर!

तो क्या यह अत्यन्त दुख की बात नहीं है कि हमारे अफ़सरों ने समय की प्रगति को पहचाना तक नहीं है! क्यों वे इस बात की कल्पना कर लेते हैं कि इस विराट आन्दोलन को, जो दीनातिदीन के उपकार के लिए है, रोक कर सरकार की सहायता कर सकेंगे? शरीर, आत्मा और पारिवारिक सुख के सत्यानाश का मूल कारण इस ज़हर को रोकने के लिए सरकार ने हमें इजाज़त दे दी है। सरकार ने हमें यह इजाज़त दे दी है कि हम भट्टियों पर खड़े होकर ख़रीदारों को लेने से मना करें। फिर इन अफ़सरों को फ़िज़ूल बहादुरी लूटने की क्या पड़ी है? सब तरह वे जनता के अधिकारों का निरीक्षण और रक्षा करें; वे देखें कि लोग बहकाए नहीं जाते, कोई ख़ून-ख़राबी नहीं होती। परन्तु अफ़सरों का यह सोचना कि सरकार को लोगों को शराब पिलाने के लिए बाध्य करने या ग़रीब-दुखियों के शराब का प्रबन्ध कर देने में जिससे वे प्रलोभन में पड़ जायँ और कॉङ्ग्रेस विफल-प्रयत्न हो जाय, सहायता प्रदान करना उन अफ़सरों की मूर्खता तथा विचार-शून्यता का परिचायक है? जहाँ तक सरकार को मैं समझ सका हूँ, उसे अफ़सरों की ऐसी मदद की ज़रूरत नहीं। ऐसी-ऐसी बातों के खुल जाने से सरकार को लज्जित होना होगा या वह सत्य को सर्वांशतः अस्वीकार कर देने के लिए बाध्य हो जायगी! और ऐसे बयान देने पड़ जायँगे जिसे सभी असत्य जानते हैं, इस कारण सरकार जनता की घृणा का पात्र बन जाएगी और जनता तथा सरकार दोनों का अहित होगा।

मादक द्रव्यों से सरकार की आय के बारे में क्या कहा जाय? यदि पिकेटिङ्ग इतनी सफलतापूर्वक चलती रही और चूँकि यह शान्तिपूर्ण है, अतएव इसके लिए आज्ञा मिल ही जायगी, तो आगामी नीलामी से कुछ भी आमदनी नहीं होगी और सरकार अपनी आमदनी में कुछ करोड़ रुपयों की कमी का मुक़ाबला कैसे करेगी? अफ़सर साहबान! यह देखने का आपका कर्त्तव्य नहीं है। सरकार ख़ुद समझ लेगी! सरकार जानती है कि यदि लोग पिएँगे नहीं तो आबकारी की मालगुज़ारी नहीं मिलेगी। सरकार यह भी जानती है कि मालगुज़ारी के लिए अफ़सरों को रय्यतों की आदत को पतित एवम् भ्रष्ट बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सरकार ने पाप पर लगान लगाया है और यदि इस पाप के सुधार के लिए कोई आन्दोलन चले तो वह उस आन्दोलन के प्रवाह को मोड़ भी नहीं सकती!

सरकार काफ़ी चतुर, काफ़ी विशाल है कि परिस्थिति आने पर उसका स्वयं मुक़ाबला कर सके। अफ़सरों को सरकार का बजट बचाने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और देहात में सरकार को बदनाम नहीं कर डालना चाहिए, जहाँ अभी तक सरकार का अच्छा नाम बना हुआ है।

सन् १९२६ से १९२९ तक मद्रास-सरकार ने बार-बार इस बात की घोषणा की है कि मादक द्रव्यों के ख़िलाफ़ ज़बर्दस्त लोकमत तैयार किया जाय। मिनिस्टर ने कहा कि बड़े-बड़े अफ़सरों का विचार तो मादक द्रव्यों के विरुद्ध बहुत पहले ही से था, परन्तु पियक्कड़ों का मस्तिष्क नहीं सुधरता।

पियक्कड़ों के बीच जो रहे सहे हैं वे जानते हैं कि यह कितना असत्य अभियोग है। मैं इस विषय पर ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ऊँची कहाने वाली जातियाँ इस विषय में उदासीन हैं और पीने वाली जातियाँ इस बात में बहुत सतर्क हैं कि उन्हें पीने की सारी सुगमता, सारी सुविधा रुक जाय। जो कुछ हो, क्या पीने वाली जातियों में मादक द्रव्यों के विरुद्ध प्रबल लोकमत उत्पन्न करने का साधन केवल यही है कि "आदि-द्राविड़ों" में सरकारी अफ़सरों को भेज कर उन्हें पीने के लिए तथा ताड़ी की दूकानों पर जाने के लिए बाध्य किया जाय? और उन्हें मुफ़्त की ताड़ी का प्रबन्ध करा दिया जाय? सदाचार की बात छोड़ दीजिए। क्या आबकारी के नियम ऐसी हरकतों को न्याय-सङ्गत मानते हैं? ऐसी याचना नियमानुकूल है? जिन बातों का ज़िक्र लाइसेन्स-पत्रों में है उसकी भी अवहेलना हमारे अफ़सरान करते हैं? क्या यह उचित नहीं है कि सरकारी अफ़सर लोग सरकार की घोषणाओं का उचित अनुशीलन करें और इस बात को भली-भाँति समझें कि लोगों को शराब पीने के लिए बाध्य करने पर वे सरकार के क्रोध का भाजन बनेंगे?

* * *

—कलकत्ते का ९ठी जुलाई का समाचार है, कि आज १ बजे के लगभग जब गोआलन्दो ट्रेन कुमारखाली स्टेशन पर पहुँची तो एक हथियारबन्द व्यक्ति डाक की गाड़ी में घुस गया और मेल गार्ड को अपने रिवॉल्वर से ज़ख़्मी किया, किन्तु रुपए की थैली उसके हाथ न लग सकी। आक्रमणकारी लापता है।

—गत ६ ठी जुलाई का स्थानीय समाचार है, कि आज उस मामले के गवाहों की सूची ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई, जिसमें श्री० यतीन्द्रनाथ सान्याल तथा 'चाँद' और 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणी-प्रसाद जी, १२४-ए धारा के अनुसार अभियुक्त हैं। गवाहों में निम्न-लिखित सज्जनों का नाम पेश किया गया है—'अभ्युदय'-सम्पादक पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य तथा पण्डित वेङ्कटेश नारायण तिवारी, भूतपूर्व एम० एल० सी०; हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री० प्रेममोहनलाल वर्मा। इन सज्जनों पर आगामी ११वीं जुलाई को अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किए जायँगे।

* * *

संसार की दृष्टि में महात्मा गाँधी

अर्द्ध-नग्न फ़क़ीर की जादू-भरी वंशी

राजसिंहासन हिल उठे !!

"नीग्रो वर्ल्ड" (Negro World) में मिस्टर गार्डन हैंकूक लिखते हैं :—

भारत में शान्ति का उदय हो रहा है। संसार में आज तक के सब से शक्तिशाली संग्राम में महात्मा गाँधी विजयी हो लौट रहे हैं, जलयान और सेना के बिना ही यह निर्बल भारतीय विजय पर विजय प्राप्त करता चला जा रहा है ! बिना चमक-दमक के वह परम शक्तिशाली सरकार के उच्चतम राजनीतिज्ञों के साथ बैठ जाता है और उनके लिए एक पहेली बन जाता है। उसके समस्त शासन के पाए हिल जाते हैं। जब यह आधा नङ्गा, क्षीणकाय, सिर मुँड़ाए, टेढ़े-मेढ़े पैरों वाला छोटा आदमी बैठ कर राजाओं के प्रतिनिधि-वक्ताओं से बातें करने लगता है, तो उसकी शक्ति का थाह लगाना असम्भव हो जाता है।

यदि गाँधी शस्त्र उठाए होते तो युद्ध महीनों पहले समाप्त हो गया होता ! परन्तु हज़ारों निरीह भारतीयों की ऐहिक लीला की समाप्ति होती और ब्रिटिश-सिंह का पञ्जा और भी दृढ़ हो गया होता !!

गाँधी की वह कौन सी प्रच्छन्न शक्ति है, जिसकी प्रेरणा से इतिहास अपनी स्वाभाविक और दैनिक प्रगति छोड़ कर एक नवीन स्रोत ही पकड़ लेता है ! यह है गाँधी का देश-प्रेम, विश्व-प्रेम ! गाँधी अन्धे उत्साह के व्यक्ति नहीं हैं न कभी वे आवेश में ही उबल पड़ते हैं ! गाँधी कभी झाँसा-पट्टी में नहीं भरमते परन्तु वे शान्त और सुस्थिर चित्त से अपना पथ खोज लेते हैं और अविचलित रूप से सदा उस पर चलते रहते हैं !! गाँधी में आध्यात्मिक शक्ति की विजय शङ्ख-घोष करती रहती है। गाँधी में ऐहिक शक्तियाँ अपने 'वाटर लू' पर आकर परास्त हो चुकी हैं। गाँधी भारत को प्यार करता है।

गाँधी अपने जीवन की सादगी, अपनी अनन्य देशभक्ति से भारत का सुधार और उद्धार कर रहा है। निग्रो जाति को भी ऐसे ही सुधारक की आवश्यकता है ! हमें भी कुछ ऐसे ही काले गाँधियों की आवश्यकता है जो आगे-आगे रास्ता दिखावें। जितने ही शीघ्र हमारे बीच एक काला गाँधी आ जावे उतने ही शीघ्र हमारा कल्याण हो और हमारी जाति सर्वतोन्मुखी उन्नति करे !

* * *

भारतीय जादूगर

महात्मा गाँधी के अपूर्व आत्म-बल एवम् अश्रुतपूर्व बलिदान के सामने सारा संसार मस्तक झुका रहा है। अभी हाल ही के 'लिटररी डाइजेस्ट' (Literary Digest) में उनके विषय में कुछ पंक्तियाँ छपी हैं, उन्हें पाठकों के लाभार्थ यहाँ दिया जाता है :—

महात्मा गाँधी केवल भारतवर्ष के ही लिए पहेली नहीं हैं, वरन् पश्चिमी संसार के सभी बुद्धि-विवेकशील व्यक्ति उन्हें एक पहेली ही समझते हैं।

विश्वास में वे रहस्यवादी हैं। कहा जाता है कि लन्दन के गोलमेज़ की सारी आशाओं और प्रतिज्ञाओं को वे भङ्ग करने पर तुले हुए हैं।

जेल से निकल कर निर्विकार एवम् शुद्ध हृदय से संसार के कृत्यों को तौलने और अपने सेना-नायकों से भावी युद्ध की तैयारी का उन्होंने सिगनल दिया !

दुर्बल, दन्त-हीन ९६ पौण्ड का अखिल राष्ट्रीय नेता चौबीस घण्टों के उपवास और मौन की कठोर तपस्या हँसते-हँसते करता रहता है।

उनके मित्र कहते हैं कि इस मौन-साधना से उन्हें चिन्तन, प्रार्थना, आत्म-निरीक्षण और प्रभु के साथ वार्तालाप के लिए अवसर मिल जाता है !

वह प्रायः आधी लँगोटी पहने चलता है, वॉयसरॉय के सामने जाते हुए, या हाईकोर्ट में भी वही लँगोटी ! आप कनारी की भाँति खाने बैठते हैं।

अपने नौ मास के जेल-जीवन को कच्चे अन्न, चीनीया बादाम, और दही पर ही काटे। सब से सुन्दर खेल जिसमें उनका सब से अधिक मन लगता है, वह है एक पुराने चर्खे पर सूत कातना ! उन्हें तारों के नीचे खुले आकाश में बिना बिछावन के सोने में एक अपूर्व आनन्द आता है। परन्तु चर्खे पर तो उनका हृदय निछावर है। उनकी दृष्टि में सूत कातना एक यज्ञ है और प्रत्येक भारतीय को इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। गाँधी कहते हैं—"मैं इस चर्खे के सूत से ही देश के करोड़ों कङ्गाल एवम् दरिद्रों के साथ हिलता-मिलता रहता हूँ और उनके द्वारा, उन दरिद्रों के नारायण से !"

अखिल भारतीय दर्शन-परिषद के छठे बैठक, ढाका में सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर वाडिया ने कहा था—

"गाँधी एक ऐसा गुरु है जो पुस्तकों के उद्धरणों से तृप्त या सन्तुष्ट नहीं होता, वरन् जो जीवन का मुक़ाबला कर सकता है, भावना एवं उमङ्ग भर सकता है, उपदेश कर सकता है।"

फिर प्रोफ़ेसर साहब ने कहा था—गाँधी जी अपने उपदेशों से पूर्व और पश्चिम के दर्शन-सिद्धान्तों को मिलाते हैं—क्योंकि पूर्वीय दर्शन 'जीवन-पथ' ढूँढ़ निकालने के लिए व्याकुल है, जबकि पश्चिमीय दर्शन 'जीवन की उदासीन आलोचना' में ही उलझा हुआ है !

सारा संसार इसी के लिए तृषित, इसी के लिए व्याकुल है ! और भारतीयों में भारतीय महात्मा गाँधी के बुद्धि वैभव की सब से सुन्दर उपज यही है। प्रो० वाडिया का कहना है, कि जो कुछ गाँधी जी कहते हैं उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं; उनके वचन और कर्म एक से हैं। उनकी दृष्टि में वे विश्वास, जिसके अनुरूप आचरण नहीं हो सकता, निरर्थक से भी बुरे हैं।

भारत की सब से बड़ी सेवा जो गाँधी जी ने की है, वह है भय से लड़ना और उसे जीत लेना और दूसरों को भी वैसा ही करने का उपदेश देना !

यह उस देश में, जहाँ कि भय से जनता पद्दलित एवं अपङ्ग बन चुकी है, एक साधारण विजय नहीं है, वह भय भी पुलिस का, फ़ौज का, लोकमत का भय, देशनिर्वासन का भय, जाति से बहिष्कृत होने का भय, भूतों का भय, छाया का भय......!! हमारी राजनीति, हमारा समाजिक सुधार इस भय से आक्रान्त हो गया है। अभी तक तो सुधार की केवल बात ही बात है !

"भारतीय जादूगर"

(महात्मा गाँधी का यह चित्र हाल ही में बम्बई में लिया गया है। पाठक देखेंगे, इस चित्र में महात्मा जी अपने हाथ से अपने लिए नींबू का शर्बत तैयार कर रहे हैं।)

* * *

फ़रीदपुर मुस्लिम परिषद में डॉ० अन्सारी की गर्जना

"राष्ट्रवादी मुसलमान ही भारतीय मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं"

डॉक्टर अन्सारी ने फ़रीदपुर की अखिल बङ्गाल मुस्लिम परिषद की कार्यवाही समाप्त करते हुए, अपने भाषण में कहा :—

"यह परिषद इतिहास में अमर रहेगी, क्योंकि यहीं हम लोगों ने अपने विरोधियों की चुनौती स्वीकार की है। मैं उन्हें अपना विरोधी इसलिए कहता हूँ, कि वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। वे केवल सरकार की कृपा से गोलमेज़ परिषद में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वास्तव में हम राष्ट्रीयतावादी मुसलमान ही भारतीय मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि हैं। सरकार के शरण देने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। उनका पतन समीप है। वे अपने को, तथा अपने प्रभुओं को छोड़ कर और किसी के प्रतिनिधि नहीं हैं।"

इसके अनन्तर डॉक्टर साहब ने अराष्ट्रीयतावादी मुसलमानों के उन हथकण्डों का वर्णन किया, जिनकी वजह से शिमले का सम्मेलन असफल हुआ है, और जिनके सम्बन्ध की बातें अब प्रकट हो गई हैं।

इसके बाद उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे परिषद के सन्देशे को देश के कोने-कोने में फैलावें।

फ़रीदपुर मुस्लिम परिषद के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव

फ़रीदपुर २१ जून—कल अखिल बङ्गाल राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद का अधिवेशन समाप्त हो गया। परिषद में, गोलमेज़ परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में तथा साम्प्रदायिक विवाद के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए। कुछ प्रस्ताव नीचे दिए जाते हैं—

अखिल बङ्गाल राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद की सम्मति में निम्न-लिखित प्रस्ताव साम्प्रदायिक समस्या को हल करने के लिए बहुत ही सन्तोषप्रद और उपयुक्त हैं :—

संयुक्त निर्वाचन

(१) भारत के भावी शासन-विधान में संयुक्त निर्वाचन ही प्रतिनिधित्व की नींव हो, और प्रत्येक वय-प्राप्त व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार हो। किन्तु यदि प्रत्येक वय-प्राप्त व्यक्ति को वह अधिकार न मिल सके, तो टैक्स या रेण्ट के रूप में कोई निश्चित रक़म देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए।

(२) (अ) निर्वाचन के उपर्युक्त अधिकार के अतिरिक्त, उन अल्प-मत वालों के लिए, जिनकी संख्या फ़ी सदी २५ से भी कम है, संख्या के अनुसार, प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में जगहें सुरक्षित रक्खी जायँ; किन्तु अतिरिक्त सीटों के लिए प्रयत्न करने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो।

(ब) जिन प्रान्तों में मुसलमान फ़ी सदी २५ से कम हों, वहाँ उनके लिए स्थान सुरक्षित रक्खा जाय, किन्तु उनके अधिकारों के प्रति भी उतना ही ध्यान रक्खा जाय, जितना कि अन्य सम्प्रदायों के लिए रक्खा जाय।

(३) फ़ेडरल लेजिस्लेचर में मुसलमानों का ⅓ प्रतिनिधित्व रहे।

(४) पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन के हाथों नौकरियों का अधिकार रहे। वह कम से कम योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरियों पर नियुक्त करे, किन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रक्खे, कि प्रत्येक सम्प्रदाय को नौकरियों में उचित भाग मिले। छोटी-छोटी नौकरियों पर किसी सम्प्रदाय-विशेष का प्रभुत्व न रहे।

(५) फ़ेडरल और प्रान्तीय केबिनेटों में मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाय।

(६) सिन्ध एक अलग प्रान्त बना दिया जाय।

(७) सीमा-प्रान्त और बलूचिस्तान का शासन भी भारत के अन्य प्रान्तों की तरह ही हो।

(८) भारत का भावी शासन-विधान फ़ेडरल हो।

(९) (अ) भारत के भावी शासन-विधान में प्राथमिक अधिकारों की भी व्यवस्था हो, जिससे प्रत्येक नागरिक की सभ्यता, भाषा, लिपि, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म आदि की रक्षा हो।

(ब) प्राथमिक अधिकार तथा व्यक्ति सम्बन्धी क़ानूनों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाय, जो शासन-विधान के अन्तर्गत हो।

(स) फ़ेडरल लेजिस्लेचर सभा का ⅔ भाग जब तक बहुमत की ओर न हो जाय, तब तक शासन-विधान के प्राथमिक अधिकारों में कुछ हेर-फेर न किया जाय।

(१०) फ़ेडरल शासन-विधान के अन्तर्गत (अ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के लिए कोई विशेष निर्वाचन न हो और (ब) प्रान्तों में एक ही सभा रहे।

गोलमेज़ परिषद

परिषद की सम्मति में गोलमेज़ परिषद में किसी विशेष मत के मुसलमानों को स्थान दिया जाना बहुत ही अनुचित होगा। यदि राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों को परिषद में स्थान नहीं मिला, तो इससे यह साफ़ ज़ाहिर होगा कि सरकार भारतीय समस्या को हल करने में बाधा उपस्थित करना चाहती है।

वर्तमान परिस्थिति

वर्तमान आर्थिक सङ्कट को ध्यान में रखते हुए, यह परिषद सरकार से तथा ज़मींदारों से अनुरोध करती है कि वे १ साल के लिए, प्रजा से मालगुज़ारी वसूलना छोड़ दें। यह परिषद, महाजनों तथा बैङ्कों से भी अनुरोध करती है, कि वे भी १ साल के लिए, क़र्ज़दारों से विशेषकर किसान क़र्ज़दारों से ब्याज या मूल कुछ भी वसूल न करें।

मुस्लिम महिलाओं से अनुरोध

यह परिषद मुस्लिम महिलाओं से अनुरोध करती है, कि वे अपने को इस योग्य बनावें कि देश की स्वाधीनता के लिए वे कुछ कर सकें।

* * *

बारदोली में ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार की गर्जना

"इस्लाम धर्म और कॉङ्ग्रेस की नीति बिल्कुल एक है"

नीचे ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के एक भाषण का एक अंश दिया जाता है, जो उन्होंने बारदोली के हिन्दू और मुसलमानों की एक सम्मिलित सभा में दिया था, और जिसके प्रत्येक शब्द में उनके हृदय का सच्चा भाव उद्भासित हो रहा है :—

मुझे आश्चर्य होता है, मेरे कुछ मुसलमान भाई कॉङ्ग्रेस का नाम सुनते ही उससे दूर भागते हैं। वे समझते हैं, कि कॉङ्ग्रेस एक हिन्दू-संस्था है और इसलिए कॉङ्ग्रेस से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक विशुद्ध राष्ट्रीय संस्था के सम्बन्ध में कभी ऐसी ग़लत-फ़हमी नहीं फैली थी। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे कॉङ्ग्रेस के नियम, उसके उद्देश्य, तथा उसकी कार्य-प्रणाली का अध्ययन करें। संक्षेप में मैं कह सकता हूँ, कि कॉङ्ग्रेस जनता को ग़ुलामी और आर्थिक लूट से बचाना चाहती है। दूसरे शब्दों में, वह भारत के करोड़ों भूखे और नङ्गे दरिद्रों को अन्न-वस्त्र देना चाहती है। आप ज़रा इस्लाम के इतिहास को पढ़ें और विचारें कि हज़रत ने अपने जीवन में क्या उपदेश किया है? उनका उपदेश था—"ग़ुलामों को मुक्त करो, भूखों को अन्न दो और नङ्गों को वस्त्र दो।" इसलिए कॉङ्ग्रेस की नीति और हज़रत मुहम्मद के उपदेशों में कोई अन्तर नहीं है। कॉङ्ग्रेस का कार्य इस्लाम धर्म के अनुसार ही है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी साफ़ दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार मैं साफ़-साफ़ देख रहा हूँ कि इस्लाम धर्म और कॉङ्ग्रेस की नीति बिल्कुल एक है। मैं नहीं समझ सकता कि मुसलमान अब तक कॉङ्ग्रेस से अलग किस प्रकार रह सके हैं! इन्हें ही तो इस स्वातन्त्र्य संग्राम में सब से आगे रहने का अधिकार है।

अब ज़रा 'अहिंसा' के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। मेरे जैसा पठान यदि इस मार्ग का अवलम्बन करे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह कोई नया धर्म नहीं है। १,४०० वर्ष पहले मक्का वालों ने इसका अनुसरण किया था; और उसके बाद से, जिन-जिन लोगों ने अत्याचारियों के पञ्जे से अपने को मुक्त करना चाहा है, उन लोगों ने भी इसका अनुसरण किया है। किन्तु हम लोग इसे इस तरह भूल गए थे, कि जब महात्मा जी ने इसे हमारे सामने रक्खा तो हम लोगों ने समझा कि वह कोई नई चीज़ हमारे सामने रख रहे हैं। इस भूले हुए मार्ग को ढूँढ़ लाने का श्रेय महात्मा जी को तथा उस पर चल कर करामात कर दिखाने का श्रेय बारदोली के लोगों को प्राप्त है।

मैं हिन्दुओं और मुसलमानों से कहता हूँ, कि यह स्वातन्त्र्य-युद्ध दोनों की मुक्ति के लिए चल रहा है। हिन्दू इस युद्ध में भाग लेकर किसी दूसरे का उपकार नहीं कर रहे हैं, और मुसलमान भी इसमें भाग लेकर हिन्दुओं के ऊपर कोई अहसान नहीं लाद रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ भी मौजूद हैं, जो हमारे बीच बैर का बीज बो रही हैं। आप अफ़ग़ानिस्तान के सम्बन्ध की झूठी अफ़वाहों से पूर्णतया परिचित होंगे। हाल में हिन्दू शासन के सम्बन्ध में भी अफ़वाहें उड़ाई जाने लगी हैं। जो लोग मुझे हिन्दू-शासन से सचेत करने के लिए आए हैं, उन्हें मैंने यही उत्तर दिया है कि एक ऐसे विदेशी का ग़ुलाम होकर रहने की अपेक्षा, जो दूर रहता है, एक पड़ोसी का ग़ुलाम बन कर रहना कहीं अच्छा है!

* * *

६ जुलाई, सन् १६३१

किसानों पर अत्याचार

वे कहते हैं, यह शान्ति और सन्धि का समय है, हमें अपनी प्रतिज्ञाओं और वचनों पर दृढ़ रहना चाहिए! सन्धि की शर्तों पर किए गए महात्मा गाँधी और लॉर्ड इर्विन के हस्ताक्षरों की स्याही अभी सूखने भी नहीं पाई थी, कि स्वेच्छाचारी दमन का ताण्डव प्रारम्भ हो गया! दमन के निरंकुश चक्र की चाभी आज विशेष तत्परता से ऐंठी जा रही है! महात्मा जी अपने सरल, साधु एवं निश्छल हृदय से सरकार के दर्बार में मिलते-जुलते फिरते हैं, यहाँ सन्धि भङ्ग हुई, वहाँ सरकार ने ज़ुल्म किए; अमुक व्यक्ति छोड़ा जाय, अमुक ज़ब्ती रद्द कर दी जाय! उधर वॉयसराय साहब भी उन्हें विश्वास दिलाते हैं और क्लबों में भोज के वक्त गाँधी जी की नेकनीयती की भूरि-भूरि प्रशंसा भी करते हैं; पर साथ ही साथ देश की राष्ट्रीय जागृति को क़ायम रखने के लिए जब सरदार पटेल, पण्डित जवाहरलाल जी तथा ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के भाषण होते हैं, तो उन्हें ख़तरनाक समझ कर नोटिसें जारी करने के मनसूबे बाँधे जाते हैं; पर सरकार को इसलिए रुक जाना पड़ता है, कि कहीं कॉङ्ग्रेस इसे सन्धि-भङ्ग का पुष्ट प्रमाण समझ कर सत्याग्रह संग्राम न छेड़ दे! पिछले दिनों में देश ने जो अपने शौर्य्य एवं पराक्रम का परिचय दिया था, उसका आतङ्क अभी भी दुश्मनों के दिल पर बना हुआ है और वे इस बात को महसूस किए बिना नहीं रह सकते, कि राष्ट्र की अन्तरात्मा विक्षुब्ध होकर जग उठी है; उसकी यह जाग्रति कुचल कर किसी भाँति देश की स्वतन्त्रता की उत्कण्ठा दबाई नहीं जा सकती। देश की यह जागृति परमात्मा की देन है, इसे कोई सांसारिक शक्ति दबा नहीं सकती। ठीक इसी बात की गम्भीरता को महसूस करते हुए सन्धि के आदि में पार्लामेण्ट में मि० रैम्ज़े मैकडॉनल्ड ने अपना ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा था ". . . If you want to suppress this movement you will have to crush the spirit which has been generated in men, women and children from Cape Comerin to the Himalayas" अर्थात्—"× × × यदि तुम इस आन्दोलन को दबाना चाहते हो, तो कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक भारतीय पुरुष, स्त्री और बच्चों की अन्तर्ध्वनि को समूल नष्ट करना होगा!"

देश की ऐसी शक्ति की अजेयता को स्वीकार कर सरकार ने सन्धि की और भारतवर्ष तथा ब्रिटेन ही ने नहीं, वरन् सारे संसार ने शान्ति की एक साँस ली! परन्तु जिस प्रकार 'निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण' चिल्लाते रहने तथा लीग ऑफ़ नेशन्स में प्रति वर्ष प्रस्ताव पास करते रहने पर भी प्रति वर्ष युद्ध की नई सामग्रियों के आविष्कार होते जा रहे हैं तथा नई-नई तैयारियाँ हो रही हैं, उसी प्रकार यहाँ भी सन्धि की ओट में शिकार हो रहा है! सरकार कॉङ्ग्रेस की ज़्यादतियों की शिकायत महात्मा जी के पास भेज रही है; गाँधी जी सरकार के द्वारा की गई ज़्यादतियों की शिकायतों को वॉयसराय के पास!

जिस समय हमारे हाथ में शक्ति थी, जब हम सुसङ्गठित और एक-ध्येय थे, सरकार ने हमारी बातें सुनीं और ख़ूब सुनीं, उसे सुनना ही पड़ा, पर आज जब हम दुर्भाग्य से विशृङ्खलित, विपन्न, निराश्रय और निरवलम्ब हो रहे हैं, तो हमारी बातें नक़्क़ारख़ाने में तूती की आवाज़ साबित हो रही हैं; वस्तुतः सरकार से अपनी बात सुनवा लेने वाली शक्ति हम खो चुके हैं!

पिछले सप्ताह में पाठकों ने वह पत्र पढ़ा होगा, जिसे उन्नाव ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने महात्मा जी के पास ज़मींदारों एवं नौकरशाही के गुर्गों द्वारा किसानों के धन-जायदाद लूटने और उनकी बेटी-बहिनों के सतीत्व पर आघात करने की लोमहर्षण बातें सप्रमाण भेजी थीं और जिसे हमने पाठकों की जानकारी के लिए सहयोगी "यङ्ग इण्डिया" से उद्धृत किया था। उसमें पाठकों ने वह ख़ून खौलाने वाली बात भी पढ़ी होगी, जिसमें ज़मींदार के चार किराए के बदमाशों ने एक किसान की धर्मपत्नी का सतीत्व अपहरण किया था! वह घाव अभी ताज़ा ही था, कि गत २री जुलाई की "यङ्ग इण्डिया" के सम्पादकीय स्तम्भ में महात्मा गाँधी ने "संयुक्त प्रान्त के किसानों पर सङ्कट" शीर्षक देकर कुछ अत्यन्त रहस्यपूर्ण एवं गोपनीय पत्रों (Confidential Letters) को प्रकाशित किया है, जिन्हें रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर ने ज़मींदारों के पास निजी तौर पर इसलिए भेजा था, कि ज़मींदार किसानों पर अपनी मनमानी और स्वेच्छाचारिता से काम ले सकें। हम उन पत्रों का अविकल अनुवाद यहाँ दे रहे हैं;

(गोपनीय)

D. O. 12/6 डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ़िस
रायबरेली, १६-६-३१

"मेरे प्रिय............

........थाने के कुछ उत्तेजना देने वाले व्यक्तियों को गिरफ़्तार करने की बात यहाँ हो रही है। मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप पुलिस के ....को सभी आवश्यकीय सहायता दें।

"इसी प्रकार के आदेश आप अपने एजेण्टों अर्थात् मैनेजर और ज़िलेदार इत्यादि को भी देने की कृपा करें।

"कॉङ्ग्रेस, किसान-सभा अथवा पञ्चायतों के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक उद्योग, जो ज़मींदारों या सरकार के ख़िलाफ़ हो, उनकी इत्तला..............थाने में दी जाय।

"आप अपने आदमी—नौकरों को इस सम्बन्ध में तत्परता, उत्साह और निर्भयतापूर्वक कार्य करने के लिए आदेश दें।

भवदीय,
................"

दूसरा पत्र इस प्रकार है—

D. O. 11 डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ़िस
रायबरेली, १६-६-३१

"मेरे प्रिय...........

मैं देखता हूँ कि आपके ज़िम्मे ख़रीफ़ और रबी की बाक़ी मिला कर.........रु० है, जिसमें से सरकार द्वारा स्वीकृत छूट के रुपए घटा लिए गए हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी रक़म है; इस साल की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही आपको काफ़ी समय दे दिया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप इस महीने के अन्त तक आधा लगान चुका देंगे और शेष उसके बाद जहाँ तक जल्दी हो सके।

"मुझे स्मरण है, मैंने आपको पहले ही सविस्तार बतला दिया है कि आप लगान शीघ्र ही कैसे वसूल कर सकते हैं। मैं सब प्रकार से आपकी उचित सहायता के लिए तैयार हूँ। यदि आपकी ज़मींदारी में कोई ऐसा गाँव हो, जहाँ लगान वसूली एकदम बन्द है, आर्थिक सङ्कट के कारण नहीं, प्रत्युत् "लगानबन्दी के आन्दोलन" के कारण, तो बिना विलम्ब किए आप उस बाक़ी लगान के लिए उन कुटिल किसानों पर, जो अपने लगान का अधिकांश दे सकते हैं पर नहीं देते, नालिश दायर करें और फ़ैसले के पूर्व ज़ब्ती की आज्ञा के लिए आवेदन-पत्र पेश करें। यदि मालगुज़ारी-विभाग के अफ़सरों को क़ानूनी कार्रवाई पूरा करने में पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी तो उन्हें सहायता दी जायगी और आप ऐसे अवसर से लाभ उठा सकते हैं तथा मालगुज़ारी के अफ़सरों और पुलिस से अपने लगान वसूल करने में सहायता ले सकते हैं।

"जिन ज़मींदारों ने हमारी राय मान ली है, उन्हें इस प्रयोग (Experiment) से बहुत लाभ हुआ है, परन्तु आपको तत्परता दिखानी होगी।

"आपके लिए यह भी उपादेय होगा, कि वसूली के काम का निरीक्षण-भार अपने नौकरों पर न छोड़ें, जो अपनी अकर्मण्यता का बहाना ढूँढने में ही लगे रहते हैं, वरन् आप इसका भार अपने ऊपर ले लें।

"कृपा कर इस पत्र को गोपनीय समझें।

आपका
................"

इन दोनों पत्रों को उद्धृत करते हुए, महात्मा जी लिखते हैं:—

इन सर्कूलरों से साफ़-साफ़ कॉङ्ग्रेस, किसान-सभा के प्रति शत्रुता की महक आती है और ताल्लुक़ेदारों को किसानों के प्रति कठोर बर्ताव करने की याद दिलाती है। इनमें यह भी विश्वास दिलाया गया है, कि सरकार ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों के इन कार्यों में सहायता प्रदान करेगी। हम सभी ऐसे सर्कूलरों के अर्थ को समझते हैं। उनका अभिप्राय शब्दों में प्रकट तात्पर्य से कहीं

अधिक है। इन पत्रों का अर्थ तो यह है, कि जिनके नाम ये लिखे गए हैं, वे मनमानी जो चाहे करें और इसके लिए उन्हें पूरी आज़ादी दी जा रही है!

फिर ये सर्क्यूलर गुप्त क्यों रक्खे जाते हैं? क्या इन में यू० पी० सरकार को या डिप्टी कमिश्नर को कोई लज्जित करने वाली बात है? या इन्हें इसलिए गुप्त रक्खा गया है, कि गुप्त रूप से इसमें हिंसा के लिए प्रोत्साहन है? मेरे विचार में इन पत्रों में सन्धि की शर्तें साफ़-साफ़ भङ्ग हो जाती हैं। इन्हीं सर्क्यूलरों से यह पता चलता है, कि रायबरेली के सभी कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर क्यों निम्न-लिखित नोटिस जारी की गई।

दफ़ा १४४ के अनुसार ऑर्डर

"यह देखते हुए कि आजकल किसानों में क्षोभ फैला हुआ है और ज़िले के किसानों और ज़मींदारों में द्वेष फैल रहा है, अतः यह वाञ्छनीय नहीं है, कि आप यहाँ कोई व्याख्यान दें, या कोई आन्दोलन करें, क्योंकि इससे बलवा हो जाने की आशङ्का है। मैं, एस० एस० एल० दर, आई० सी० एस० रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से दफ़ा १४४ के अनुसार आपको ऑर्डर देता हूँ, कि दो महीने तक आप ज़िले में कोई भाषण या वक्तृता न दें, न किसी सभा में सम्मिलित ही हों, न कोई विज्ञापन बाँटें, न चन्दा ही वसूल करें, और न कोई भी ऐसा काम लिख कर ही करें; विशेषतः ज़िला के किसानों के लगान सम्बन्धी उपद्रव के सम्बन्ध में या किसी भी ऐसे राजनीतिक विषय में आप भाग न लें, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध लगान, राजनीतिक या मज़दूर-सम्बन्धी आन्दोलन से हो।

ज़िला मैजिस्ट्रेट, रायबरेली"

इस नोटिस की आलोचना करते हुए महात्मा गाँधी लिखते हैं:—

"इस नोटिस का अर्थ तो यह है, कि कॉङ्ग्रेस के सारे कार्य रुक जायँ; मानो सरकार से और कॉङ्ग्रेस से युद्ध छिड़ा हो। स्पष्टतः इससे भी सन्धि भङ्ग हो जाती है! इसका परिणाम भला हो या बुरा—इस समय तो कॉङ्ग्रेस और सरकार में शान्ति स्थापित है। प्रान्तीय सरकार और ज़िला के अफ़सर इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे इसे पसन्द नहीं करते या वे इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कॉङ्ग्रेस पूर्णतः शर्तों का पालन नहीं करती, तो वे केन्द्रीय सरकार को इसे भङ्ग कर देने के लिए कह दें। सन्धि को भङ्ग होते देख कर भी कार्यकर्ताओं को इस आज्ञा को पालन करने की राय मैंने दी है और कहा है, कि जब तक मैं केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में मिल न लूँ तथा जब तक कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी इसके सम्बन्ध में कुछ तय नहीं कर लेती, तब तक लोग इस आज्ञा को मानें। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के कड़े शब्दों में फटकारने पर सरकार ने यह दफ़ा अब उठा लिया गया है।"

महात्मा जी की राय है कि इस नोटिस के साथ ही साथ इन सर्क्यूलरों को भी सरकार को रद्द कर देना चाहिए। जब वे अभी-अभी नैनीताल गए थे, तो उन्हें विश्वस्त-सूत्र से पता चला था कि किसानों और ज़मींदारों के इस द्वन्द्व में सरकार उदासीन रहेगी और किसी का पक्ष न लेगी; परन्तु संयुक्त प्रान्तीय सरकार की नीति इस समय बिल्कुल बदली हुई दीख पड़ी है, जैसा कि रायबरेली के किसानों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में निम्न-लिखित संक्षिप्त एवं सारगर्भित रिपोर्ट से पता चलेगा:—

"रायबरेली की स्थिति और भी बुरी हो गई है। इस शान्ति के समय में सरकार ने कॉङ्ग्रेस के सङ्गठन पर आक्रमण किया है। सभी मुख्य-मुख्य कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता १४४ दफ़ा में जकड़ दिए गए हैं। यह दफ़ा हद से अधिक बुरी है और रायबरेली की आवश्यकीय सेवा के लिए कोई भी कार्यकर्ता बेकार से भी बुरा हो गया है! रायबरेली ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान मन्त्री, प्रमुख कार्यकर्ता—सभी दफ़ा १४४ के शिकार हैं! इस शान्ति के युग में अप्रत्यक्षतः कॉङ्ग्रेस के सङ्गठन को इस प्रकार चौपट करने को सरकारी नीति पर जनता क्षुब्ध है। लोकमत और हम लोगों का निजी झुकाव इस आज्ञा को उल्लङ्घन करने को उत्सुक है; फिर भी हम लोग सन्धि की शर्तों को मान रहे हैं; यह अनुभव करते हुए भी कि ऐसा करने से हम लोग ज़िले के किसानों के इस ऐतिहासिक अर्थ-सङ्कट के समय सहायता एवं सेवा करने के जन्म-सिद्ध अधिकार से अन्यायतः वञ्चित किए जा रहे हैं!

"यह परिवर्तन विशेषतः तब से स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है, जब से इस ज़िला के डिप्टी कमिश्नर सर मैलकम हेली से मिल कर लौटे हैं। पहले ज़िले के अधिकारियों का किसानों के प्रति जो सहानुभूति का भाव था, वह तभी से शत्रुता के रूप में बदल गया है और रायबरेली ज़िले के एक छोर से लेकर दूसरो छोर तक भयङ्कर आतङ्क छाया हुआ है! ताल्लुक़ेदार सरकार से सहायता का आश्वासन पाकर अपने पुराने जङ्गली ढङ्ग से लगान वसूल करने लगे हैं। अनुचित धमकी का तरीक़ा खुले-आम अख़्तियार किया जा रहा है। अभी हाल ही का एक ताज़ा उदाहरण है, कि रायबरेली के सिविल अस्पताल में एक ऐसा आदमो भर्ती हुआ है, जिसकी आँखें नष्ट और नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई है। इसका कारण यह है कि लगान वसूल करने के लिए ताल्लुक़ेदार की पार्टी ने गाँव वालों पर आक्रमण कर दिया था! एक गर्भिणी स्त्री को मारते-मारते बेहोश कर दिया गया! उसका मुक़द्दमा कचहरी में चल रहा है। साधारणतः ताल्लुक़ेदारों में एक ख़्याल है कि सिर फोड़ने या हड्डी तोड़ने के सिवा दण्डाभाव में वे किसानों को जितना चाहें पीट सकते हैं और सरकार भी इसे उपेक्षा-दृष्टि से देखेगी। इस प्रकार के ताल्लुक़ेदार, जो पहले ज़माने में ही बहुत कठोर थे, आज और भी कठोर हो गए हैं। वे लगान वसूल करने के लिए कुछ दर्जन लट्ठबाज़ों के साथ गाँवों पर बराबर हमले करने को सोच रहे हैं। वे किसानों को गाली देते हैं; मारते हैं और उन पर आतङ्क जमाते हैं।

"किसानों को 'मुर्ग़ा' बनाने की रीति, जिसमें उन्हें धूप में तब तक खड़ा किया जाता है, जब तक वे पस्त होकर बेहोश न हो जायँ, और गाँव वालों के सामने उन्हें जूते से ख़ूब पीटना एक साधारण सी बात हो गई है। यह कितनी लज्जास्पद और दारुण है तथा इस कारण गाँवों में एक भयङ्कर विपत्ति आ पड़ी है। बिना किसी क़ानूनी कचहरी की राय से किसी किसान की सम्पत्ति को ज़ब्त कर और अपने लगान में उसे वसूल कर लेना, यह ताल्लुक़ेदारों के लिए एक साधारण सी बात है! हम ऐसी कई घटनाएँ जानते हैं, जहाँ किसान का भूसा बलपूर्वक उठवा कर तालुक़ेदारों के घर ले जाया गया। उनके पशु भी ताल्लुक़ेदारों के घर ज़बर्दस्ती बाँध दिए गए और उनके बच्चों के शरीर पर से बाप की लगान के लिए गहने छीन लिए गए!

"सरकार ने ज़मींदारों को ज़ब्ती का अधिकार फ़ैसले के पूर्व दे रक्खा है। अमीन के साथ-साथ कई पुलिस कॉन्स्टेबिल रहते हैं, जिन्हें देख कर लोग तो यह समझते हैं कि वे आवश्यकता पड़ने पर डिक्री अदा कराने में अमीन की सहायता के लिए आए हुए हैं; परन्तु वस्तुतः वे किसानों पर आतङ्क जमाने के लिए ही आते हैं। रायबरेली के प्रत्येक डिवीज़न में कई सौ ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं।

"सरकार ने ज़मींदारों को इस विषय में भी पूरी सहायता देने के बचन दिए हैं, कि यदि उनके पथ में कोई भी कॉङ्ग्रेस का आदमी बाधक हो, तो वह दफ़ा १०७ या अन्य किसी दफ़ा का शिकार सहज ही बनाया जा सकता है।

"ज़मींदारों से निश्चयपूर्वक यह बात कह दी गई है कि ऐसे मुआमलों में सबल प्रमाण उपस्थित न होने पर भी वर्तमान दशा में साधारण गवाहों से ही काम चल जायगा। अतएव इस प्रकार के कई मामले एकाएक कोर्ट में दायर हो चुके हैं तथा उनसे भी अधिक संख्या में दायर होने की अभी और सम्भावना है। बस पन्द्रह दिन में हम लोग यह देखेंगे, कि रायबरेली में कॉङ्ग्रेस का सारा सङ्गठन चौपट हो गया; लाठियों की वर्षा तो एक आम बात हो गई है!"

महात्मा जी का कहना है कि कई दुखद प्रसङ्ग उन्होंने इस सन्धि-भङ्ग की इस दारुण कहानी से हटा लिया है। इस दुखद अध्याय को समाप्त करने के लिए यह कहना आवश्यक है, कि महात्मा जी को वैसे कई नोटिसें देखने को मिली हैं, जिनमें इस बात की धमकी दी गई है कि यदि ख़ास-ख़ास 'कॉङ्ग्रेसमैन' से किसान सम्बन्ध रक्खेंगे, तो वे गिरफ़्तार कर लिए जायँगे!

और यह सब घटनाएँ उस समय हो रही हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर अभी-अभी गवर्नर से मिल कर नैनीताल से लौटे हैं। महात्मा जी आशा करते हैं कि संयुक्त-प्रान्त के गवर्नर की यह मन्शा नहीं होगी और उन्होंने कॉङ्ग्रेस के आदमियों को तब तक धैर्य रखने के लिए कहा है, जब तक ७वीं जुलाई की बैठक में कार्यकारिणी इस विषय पर अपना निश्चित मत नहीं देती।

* * *

यह है हमारे अभागे देश के एक साधारण प्रान्त के एक साधारण ज़िले में होने वाली लोमहर्षण घटनाओं का एक मर्मस्पर्शी और दारुण दृश्य, जिसमें अत्युक्ति का लेश भी नहीं है! न मालूम देश के कितने स्थानों में ऐसे ही दानवी अत्याचारों का सूत्रपात्र हो रहा है! इस बात के सभी क़ायल हैं कि महात्मा जी संयत एवम् शिष्ट भाषा का उपयोग ख़ूब जानते हैं और बिना दृढ़ एवम् विश्वस्त-सूत्र से पता लगाए किसी बात पर सहसा विश्वास नहीं कर बैठते और न उसे अपने पत्र में स्थान ही देते हैं। किसानों का इसमें क्या दोष है? वे यथाशक्ति लगान चुका रहे हैं और शेष लगान चुकाने की चिन्ता में व्यग्र हैं। उनकी नीयत यह कदापि नहीं है, कि लगान न दिया जाय। उनके पास नमक और तेल तक ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं; जो कुछ ग़ल्ला हुआ था, वह भी इतना सस्ता है, कि कोई उसे पूछने वाला ही नहीं। वे लगान इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे देने से सर्वथा असमर्थ हैं, इसलिए नहीं, कि वे देना चाहते ही नहीं। अतएव "लगान-बन्दी आन्दोलन" की तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं आती, जिसका आतङ्क सरकार को खाए जा रहा है; और जिसके कारण वह नाहक़ कॉङ्ग्रेस के पीछे पड़ी हुई है! हमारे देश के सभी नेता हर जगह इस बात पर काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि किसान यथाशक्ति जितना भी लगान चुका सकें, चुका दें। महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, पण्डित जवाहरलाल जी तथा बाबू राजेन्द्रप्रसाद स्थान-स्थान पर इसी आशय के भाषण दे रहे हैं, सरकार कॉङ्ग्रेस की नीयत और नीति पर नाहक़ सन्देह करती है। देश के इन जयचन्दों—हमारे ही रक्त को चूस कर मोटे बनने वाले, हमारे ही धन से धनिक कहाने वाले, सरकार के पिट्ठू इन अधिकांश ज़मींदारों को—किन शब्दों में स्मरण किया जाय? नौकरशाही का शह पाकर देश के दरिद्रों, कङ्गालों, निराश्रितों के साथ ये जो अत्याचार कर रहे हैं, उसका परिणाम भविष्य में

भयावह होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ! अब वह समय आ रहा है, जब कि तालुक़ेदारों और किसानों की परिस्थितियों में सहसा परिवर्त्तन होने वाला है। समय का अनियन्त्रित प्रवाह उस परिवर्तन को स्वयं सम्पादित करेगा और संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी !

उन्हें स्मरण करना चाहिए, कि सरकार से भी बड़ी कोई शक्ति है, जिसकी सूक्ष्म लीला इस स्थूल जगत में अहर्निशि हुआ करती है ! इन अत्याचारों से भगवान का सिंहासन हिल उठेगा, इन दलित, गत-आश, आश्रय-हीन, दीनातिदीन और त्यक्त किसानों की आहों के मेघ-खण्ड से एक दिन अखिल विश्व का भाग्याकाश घिर जायगा; और उससे जो जलधारा बरसेगी उसके प्रवाह में पूँजीवाद, धनसत्तावाद सदा के लिए संसार से मिट जायगा और उस भस्म के अवशेष पर एक शान्तिमय, साम्यमय, सुन्दर स्वराज्य का दिव्य शिलान्यास होगा, जिसमें संसार की सारी विषमता, सारा विरोध सदा के लिए नष्ट हो जायँगे !!

* * *

जयचन्दों की कुटिलता

हाल ही में काठियावाड़ के कुछ राजवाड़ों के एक गुप्त षड्यन्त्र का पता चला है। गत सप्ताह के समाचार-पत्रों में जामनगर (कठियावाड़) के जाम-साहब का एक 'गोपनीय पत्र' प्रकाशित हुआ है, जोकि उन्होंने अपने राजवाड़े-बन्धुओं के पास भेजा है। पत्र की तारीख़ २०वीं मई, सन् १९३१ है। उसके पढ़ने से मालूम होता है, कि राजकोट के ठाकोर साहब की गद्दी और भवनगर के महाराजा साहब के विवाह के अवसर पर राजकोट में कई राजवाड़ों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निश्चित हुआ कि देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य तथा राजविद्रोही पत्रों का प्रवेश रोकने के निमित्त कोई विशेष कार्रवाई की जाय। परन्तु वह कार्रवाई किस ढङ्ग की हो, इसका निर्णय एक छोटी कमिटी की सिफ़ारिशों पर छोड़ा गया। कमिटी का सङ्गठन काठियावाड़ के प्रत्येक प्रान्त के एक-एक प्रतिनिधि द्वारा हुआ और इसके अध्यक्ष जामसाहब स्वयं नियुक्त हुए।

इसके बाद स्वयं जामनगर में कमिटी की बैठक हुई, जिसमें सौराष्ट्र के अमीर शेख़ मोहम्मद भाई, गोहेलाबाद के सर प्रभाशङ्कर पट्टानी, झालाबाद के राज राना श्री० मानसिंह जी तथा हालर के परशुराम बी० जुनारकर सम्मिलित थे। कमिटी के सम्मुख निम्न-लिखित दो प्रश्न पेश किए गए :—

(१) देशी रियासतों में विदेशी वस्तु बहिष्कार और धरना के आन्दोलनों को रोकना।

(२) देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य एवं पत्रों का प्रवेश रोकना।

कुछ देर के वाद-विवाद पर निश्चय हुआ कि पहला प्रश्न प्रत्येक रियासत पर छोड़ दिया जाय, जिससे प्रत्येक रियासत अपनी-अपनी विशेष परिस्थितियों के अवसर समयानुकूल विशेष उपायों के द्वारा आन्दोलनों का विरोध करें।

दूसरे प्रश्न के बारे में यह निश्चय हुआ कि देशी रियासतों में आपत्तिजनक साहित्य एवं पत्रों के प्रवेश को रोकने का सब से सहज उपाय यह है कि भारत-सरकार से कहा जाय कि वह फ़ॉरेन-रिलेशन्स-ऑर्डिनेन्स (Foreign Relations Ordinance) के उपयोग में जहाँ अन्य देश सम्मिलित हैं, भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित कर ले। कमिटी का कहना है कि यदि नरेन्द्र-मण्डल (Chamber of Princes) आग्रह करके भारत-सरकार से देशी रियासतों को भी उस ऑर्डिनेन्स के प्रयोग में सम्मिलित किए गए अन्य राष्ट्रों की भाँति सम्मिलित करा सके तो भारत की बहुत सी भीतरी कठिनाइयाँ आप ही आप हल हो जायँ।

जामसाहब के उसी पत्र के अनुसार, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, कमिटी ने यह भी निश्चय किया कि यदि भारत-सरकार उक्त ऑर्डिनेन्स के प्रयोग में अन्य देशों की भाँति देशी रियासतों को नहीं सम्मिलित करती तो इसके स्थान निम्न-लिखित उपायों द्वारा रियासतों को अपना सहयोग दे :—

(१) प्रान्त के पोस्ट-मास्टर जेनरल अपने अधीन सभी पोस्ट ऑफ़िसों को इस बात की हिदायत कर दें कि वे रियासतों में जाने वाले आपत्तिजनक पत्र अथवा साहित्य रोक लें।

(२) चूँकि पोस्ट ऑफ़िसों के द्वारा आपत्तिजनक पत्र अथवा साहित्य रोक लिए जाने पर भी भारत-सरकार की रेल द्वारा वे साहित्य अथवा पत्र रियासतों में पहुँचाए जा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का कार्य क़ानून की दृष्टि में दण्डनीय हो और ऐसे कार्य करने वालों को भारत-सरकार की कचहरियों द्वारा दण्ड दिया जाय तथा इसके लिए रेलवे पुलीस उत्तरदायी हो।

कहना नहीं होगा कि इसी आशय के पत्र जाम-साहब की ओर से काठियावाड़ के "राजवाड़े-बन्धुओं" को भेजे गए। उन पत्रों में यह बात विशेष रूप से पूछी गई है कि "राजवाड़े-बन्धु" कमिटी की राय से सहमत हैं या नहीं। साथ ही इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि काठियावाड़ के राजवाड़े कमिटी की राय से सहमत हुए तो नरेन्द्र-मण्डल की बैठक में काठियावाड़ के राजवाड़ों की ओर से यह प्रस्ताव रक्खा जायगा कि वह इस मामले में भारत-सरकार से उचित कार्रवाई करे।

हमें काठियावाड़ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक भूमि के राजवाड़ों के इस निन्दनीय प्रयत्न पर दुख भले ही हो; पर आश्चर्य नहीं है। अधिकांश देशी रियासतों की आज जो दयनीय अवस्था है; अधिकांश देशी रियासतों की अभागी प्रजा पर रियासतों की ओर से आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं; उस पर विचार करने से हमें काठियावाड़ के नरेशों की इस हरकत में कोई अस्वाभाविकता नहीं दीख पड़ती; बात तो सच यह है कि ब्रिटिश भारतीय जनता की राजनीतिक हलचल देख कर हमारे अधिकांश देशी नरेश एक प्रकार से भयभीत हो गए हैं और उनके हृदयों में सदा इस बात का आतङ्क बना रहता है कि स्वतन्त्र भारत एवं प्रजा-सत्तात्मक शासन प्रणाली उनकी स्वेच्छाचारिता की नींव खोद डालेगी। चाहे वे प्रकट रूप से इस बात को भले ही न व्यक्त करें, पर ब्रिटिश भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन उन्हें फूटी आँखों भी अच्छा नहीं लगता। वे समझते हैं कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र होते अथवा पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य पाते ही रियासतों की प्रजा में प्रजासत्तात्मक शासन के लिए एक उथल-पुथल मच जायगी। वे इस बात का भी अनुभव करते हैं कि उस उथल-पुथल में केवल उनकी सत्ता ही नहीं उठ जायगी, वरन् उनका अस्तित्व भी ख़तरे में हो जायगा। इसी बात का अनुभव करके वे ब्रिटिश भारतीय एवम् देशी प्रजा के विरुद्ध अपना गुट्ट बना कर भारत-सरकार का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। इस सहयोग की आड़ में वे देशी रियासतों के भीतर विदेशी वस्त्र बहिष्कार तथा धरना आन्दोलनों को रोकना चाहते हैं। इस चाल में उन्हें एक साथ ही दो बातें सिद्ध करने की चिन्ता है। एक तो वे विदेशी वस्त्र का प्रचार कराकर अपने भारतीय एवम् ब्रिटिश प्रभुओं को प्रसन्न रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें खुलेआम अपनी अभागी प्रजा पर ज़ुल्म करने का अवसर प्राप्त हो जाय। दूसरे वे विदेशी वस्त्र के प्रचार से भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन की शक्ति का ह्रास करने का स्वप्न देख रहे हैं। उनकी यह धारणा है कि इस प्रकार अड़ङ्गा लगाने से वे भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन दबा सकते हैं। इस बात की कल्पना करते हुए वे फूले नहीं समाते कि भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन दब जाने से ही रियासतों की प्रजा अपने अधिकारों के लिए सिर उठाने का साहस नहीं कर सकती।

उनकी इस नीति का परिणाम क्या होगा, यह तो भविष्य बतलाएगा, पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि जनता के हृदय से राष्ट्र की स्वतन्त्रता की भावना हटाना कठिन ही नहीं, वरन् पूर्णतः असम्भव कार्य है। सम्भव है, भारत सरकार की सहायता से वे अपने राज्यों में किसी प्रकार का राजनीतिक साहित्य एवम् पत्र न प्रवेश करने दें; परन्तु क्या वे समझते हैं कि ऐसा करने से वे स्वयं अपनी प्रजाओं के राजनीतिक विचारों को बदल सकते हैं? क्या उनका यह दृढ़ विश्वास है कि राज-नीतिक साहित्य का क़ानून द्वारा अपने राज्य से निषेध कर वे अपने प्रजावर्ग के हृदयों में लहराने वाली प्रजा-सत्तात्मक शासन की भावना नष्ट कर सकेंगे? यदि वे ऐसा समझते हैं तो हम यही कहेंगे कि वे इतिहास के अनुभवों की सहायता नहीं लेते। यदि लूई १४वें और महाशक्तिशाली ज़ार के दृढ़ शासनों में क्रमशः फ़्रान्स और बॉलशेविक क्रान्ति नहीं रुक सकी; यदि स्पेन की प्रजा के सामने शक्तिशाली एलफ़ेन्ज़ों का स्वेच्छाचारपूर्ण शासन नहीं ठहर सका, तो यह कब तक सम्भव है कि वे अपने स्वेच्छाचार से रियासतों की प्रजा के अधिकार कुचलते रहें? इतिहास का निर्देश यह है कि जब स्वतन्त्रता की भावनाएँ ग़ुलामी की विवशता पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, तब उन्हें कोई क़ानून अथवा राष्ट्रों की सीमा की दीवारें नहीं रोक सकतीं। स्वतन्त्रता का प्रवाह शासकों अथवा शासनों के बन्धन से नहीं बाँधा जा सकता; वह अजेय और असीम होता है। वह जीवनहीन में जीवन, दुर्बल-प्राणों में बल और निरीह आत्माओं में शक्ति, स्फूर्ति एवम् प्राण का सञ्चार करता है। यह कपोल-कल्पना नहीं, वरन् इतिहास का अकाट्य प्रमाण है। हम देशी नरेशों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आज सारे संसार के राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति भी इस बात का प्रयत्न करे कि ब्रिटिश अथवा देशी भारत में स्वतन्त्रता का आन्दोलन दबा दिया जाय, तो उसे सफलता नहीं हो सकती। राष्ट्र को नष्ट कर देना भले ही सम्भव हो, पर राष्ट्रीय भावना का नष्ट करना असम्भव है।

* * *

अपमानजनक बातें

साम्राज्य के प्रधान-मन्त्री का आसन ग्रहण करने के पहले मि० मैकडॉनल्ड अपने ओजपूर्ण भाषण में प्रायः ब्रिटेन को इन शब्दों में कोसा करते थे—"भारत को उत्तरदायी शासन न देना ब्रिटेन के नैतिक पतन का द्योतक है।" ये शब्द मि० मैकडॉनल्ड के उस समय के हैं, जब उनका मज़दूर-दल केवल ग़ैर-सरकारी या विरोधी दल (Opposition Party) था और जब मन्त्रि-मण्डल मि० लॉयड जॉर्ज के अधीन कोलिएशन पार्टी का अथवा मि० बाल्डविन के अधीन कन्ज़र्वेटिव (अनुदार) पार्टी का था। परन्तु आज मि० मैकडॉनल्ड के भी रुख़ बदल गए हैं। आज जब उनके मज़दूर-दल के हाथ में साम्राज्य के शासन की बागडोर है तथा जब वे उस शासन के प्रधान हैं, भारत के सम्बन्ध में उनकी बातें न केवल अपमानजनक हैं,

वरन् इस अनन्त सत्य की द्योतिका हैं कि भगवान भी गुलामों को राष्ट्र के शासन का अधिकार नहीं दे सकता। इस सत्य का एक दूसरा पहलू भी है और वह यह कि यदि कोई राष्ट्र स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य में अपने प्रिय से प्रिय बलिदान और आहुतियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाय तो भगवान भी उसकी स्वतन्त्रता नहीं रोक सकता। ये बातें ब्रिटेन और भारत पर उसी प्रकार लागू और सत्य हैं, जिस प्रकार जीवन और मृत्यु की निराकार सन्धि निश्चित है, एवम् जिस भाँति आज धरातल पर सुदृढ़ ब्रिटिश-सत्ता का अस्तित्व सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। अस्तु।

हाउस ऑफ़-कॉमन्स (House of Commons) में भारत-सरकार की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए मि० मैकडॉनल्ड ने कहा :—

"It would not be possible to introduce the proposed constitutional changes if financial stability was not assured, and His Majesty's Government were determined not to allow a state of affairs to arise which might jeopardise the financial stability and the good Government of India for which the Secretary of State was at present responsible."

अर्थात्—"जब तक आर्थिक स्थिरता का निश्चय नहीं हो जाय, तब तक भारत के भावी शासन-सुधारों का अमल में लाना सम्भव नहीं है। सम्राट की सरकार का यह निश्चय है कि वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता एवं अच्छा शासन सङ्कटापन्न हो, जिसके लिए इस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ़-स्टेट उत्तरदायी हैं।"

भारत-सरकार की आर्थिक अस्थिरता का हवाला देते हुए प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने अपने उसी भाषण में गिरे हुए भावों की चर्चा की है; परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी बतलाया है कि राउण्डटेबल-कॉन्फ्रेन्स में होने वाले शासन-विधान की राजनीतिक चर्चा में आर्थिक शर्तों की अनिश्चितता के कारण परिस्थिति और भी भयावह हो गई है! हम नहीं जानते मि० मैकडॉनल्ड जैसे ज़िम्मेदार पुरुष के इस नग्न-असत्य पर हम क्या कहें; पर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति, जो पिछले दो-तीन वर्षों से भारत-सरकार की आर्थिक नीति से जानकारी रखता हो, इस बात को निस्सङ्कोच कह सकता है कि इस भयावह आर्थिक परिस्थिति का प्रधान कारण ब्रिटेन की मुद्रा सम्बन्धी १८ पेन्स के विनिमय-दर की नाशकारी नीति है। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि गत महीने में भारत-सरकार ने इङ्गलैण्ड से एक करोड़ पाउण्ड का क़र्ज़ माँगा था। यह क़र्ज़ भारत के नाम पर माँगा गया और भारत-सरकार को इस क़र्ज़ के १/६ भाग से अधिक नहीं मिल सका। भारत-सरकार को उपरोक्त क़र्ज़ का पूरा अंश न मिलना उचित ही था; कारण इङ्गलैण्ड समझता है कि जब तक मुद्रा सम्बन्धी विनिमय-दर की नीति भारत-सरकार नहीं बदलती, तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुधरना कठिन ही नहीं, वरन् असम्भव है और इस स्थिति में भारत को स्वयं इङ्गलैण्ड में भी क़र्ज़ मिलना बहुत कठिन है। परन्तु क़र्ज़ सम्बन्धी भारत-सरकार की इस असफलता पर भी ब्रिटेन के पत्रों और राजनीतिज्ञों ने अवसर नहीं खोया। उन्होंने विगत सत्याग्रह आन्दोलन को कोसते हुए इस बात का ज़ोरों से प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि विश्व के बाज़ार में भारत की साख गिर गई है।

भारत की इसी "गिरी हुई साख" को बचाने के निमित्त मि० मैकडॉनल्ड आज उद्विग्न हो उठे हैं (?)......! अपनी इस उद्विग्नता और अर्ध-विक्षिप्तता में उन्होंने यहाँ तक कह डाला है :—

"The Government had, therefore, decided that, should the need arise, they would apply to Parliament for authority necessary to enable them to give financial support under suitable conditions to the Government of India for the purpose of maintaining the country's credit, pending the constitutional settlement and the formulation of provisions for maintaining India's credit in future."

अर्थात्—"ब्रिटेन की सरकार ने इसलिए यह निश्चय किया है कि अवसर आते ही वह भारत की साख क़ायम रखने के लिए उसे उचित शर्तों पर आर्थिक सहायता देने के अधिकार की स्वीकृति पार्लामेण्ट से लेगी तथा शासन-सुधार सम्बन्धी समाधान को स्थगित कर उन शर्तों का स्पष्टीकरण कर लेगी, जिससे भारत की साख भविष्य में क़ायम रह सके।"

मि० मैकडॉनल्ड का यह पागल-प्रलाप ब्रिटेन की उस साम्राज्यवादी दूषित नीति का भयानक स्पष्टीकरण है, जिसमें भारत आज पिस रहा है। हम नहीं जानते आज विश्व के बाज़ार में भारत की साख कैसे गिरी है। आज तक भारत-सरकार ने विश्व-बाज़ार में क़र्ज़ ही कहाँ माँगा? जब-जब भारत-सरकार की रक्त-शोषण आर्थिक नीति के कारण, उसे रुपए की आवश्यकता हुई, तब-तब उसने ब्रिटेन के सामने क़र्ज़ के लिए हाथ फैलाया। और सब से दयनीय बात तो यह है कि जहाँ विश्व के बाज़ार में सूद का भाव तीन रुपए प्रति सैकड़े था, वहाँ उसने ब्रिटेन से छः रुपए सैकड़े का भाव तय करके लिया! भारत-सरकार की इस नीति में चाहे मूक-भारतवासियों की विवशता हो अथवा सरकार के लौह-शासन की दृढ़ता; पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि विश्व के बाज़ार से भारत की साख उठ गई है। और यदि थोड़ी देर के लिए हम यह भी मान लें कि भारत की साख विश्व के बाज़ार से उठ गई है, तो इसका अर्थ क्या होगा? भारत ब्रिटेन का आश्रित है; भारत ब्रिटेन का गुलाम देश है। उसका शासन भारतवासियों के हित के लिए नहीं; वरन् उसके गोरे मालिकों की थैली भरने के लिए होता है! इतना ही नहीं, भारत के आयात-निर्यात की चुङ्गी, कर, माल आय-व्यय तथा विनिमय-दर सभी पर भारतवासियों का नहीं, वरन् ब्रिटेन का अधिकार है। इस स्थिति में भारत की साख उठने का अर्थ केवल यही होता है कि विश्व के बाज़ार से ब्रिटेन की साख उठ गई है। फिर दिवालिया ब्रिटेन भला दिवालिया भारत की सहायता किस भाँति कर सकता है? बात भी कुछ वैसी ही है। जो ब्रिटेन अमेरिका का क़र्ज़ख़ोर है, जिस ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति स्वयं ख़राब होने के कारण अमेरिका ने एक वर्ष के लिए क़र्ज़ की किश्त स्थगित करने की उदारता दिखलाई है, वह ब्रिटेन भारत को क़र्ज़ देगा, इसमें कौन सा रहस्य छिपा है? क्या ब्रिटेन की इस प्रत्यक्ष उदारता में भारत की दरिद्र जनता के घोर परिश्रम की कमाई से अधिक से अधिक सूद के रूप में अङ्गरेज़ व्यापारियों की थैली भरने की गहरी चाल नहीं है?

हम मानते हैं भारत-सरकार की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं। हम यह भी मानते हैं कि भावों की मन्दी के कारण उसकी यह वर्तमान आर्थिक समस्या उपस्थित हुई है। पर क्या भारत-सरकार की दशा ब्रिटेन से क़र्ज़ लेने पर ही सुधरेगी? क्या इसका दूसरा कोई निदान नहीं है? भारत-सरकार की आय का लगभग आधा ख़र्च आज भारत में सेना पर व्यय किया जा रहा है—उस सेना पर, जिसका अधिकांश भाग भारत के हित के लिए नहीं; वरन् ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को अधिक दृढ़ बनाए रखने के लिए भारत के ख़र्च पर क़ायम है। क्या सेना के उस भयानक ख़र्च को कम कर देने से भारत-सरकार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी? परन्तु भारत-सरकार ऐसा करेगी ही क्यों और यदि करना भी चाहे तो ब्रिटिश सरकार उसे करने ही क्यों देगी?

सच बात यह है कि मि० मैकडॉनल्ड राउण्ड टेबल की असफलता के लिए चाहे आज से ही उछल-कूद वाली कोई भी नीति क्यों न ग्रहण करें, पर न तो अब वे ही और न उनके सम्राट की सरकार ही, भारत तथा संसार के अन्य राष्ट्रों की आँखों में धूल झोंक सकती है। शासन-सुधार का सारहीन टुकड़ा फेंकना अथवा न फेंकना तथा उस टुकड़े को अमल में लाने देना अथवा न लाने देना, निश्चय ही मि० मैकडॉनल्ड तथा सम्राट की सरकार की इच्छा पर है; पर जब कोई भी राष्ट्र स्वतन्त्रता देवी की आहुतियों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाता है, तो संसार की सारी सरकारें सम्मिलित होकर भी उसे अपने ध्येय से नहीं हटा सकतीं। भारत की सेना और पुलिस पर अधाधुन्ध ख़र्च कर भारत-सरकार ब्रिटेन के व्यापारियों से दूने सूद पर क़र्ज़ लेकर भारत की साख भले ही 'क़ायम' (!) करती रहे, पर स्वराज्य सरकार उस क़र्ज़ को दे सकेगी अथवा नहीं, यह बात संसार के राष्ट्रों की पञ्चायत निश्चय करेगी। अब रही शासन-सुधारों की बात, वह तो कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को भीख माँगने से नहीं देता। राष्ट्र के शासन का अधिकार उस राष्ट्र की जनता के आत्म-त्याग एवम् बलिदानों पर निर्भर रहता है। ब्रिटेन और भारत इस अनन्त-सत्य के अपवाद नहीं हैं!!

*　　*　　*

अखिल भारतीय रेलवे-हड़ताल

गत २७वीं जून को शिमले में श्री० जमनादास मेहता की अध्यक्षता में अखिल भारतीय रेलवे-कर्मचारी-सङ्घ का विशेष अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में सारे भारत के और प्रायः सभी रेलवे-सङ्घ के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इन प्रतिनिधियों को अपने-अपने सङ्घों के निर्णय का आदेश विशेष रूप से मिला था। हाल में सारे भारत की रेलवे कम्पनियों की उस अदूरदर्शी और अहितकर नीति पर विचार करने के लिए, जिसका अनुसरण कर वे अपने छोटे-छोटे और मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों की काट-छाँट कर रहे हैं, अखिल भारतीय रेलवे-सङ्घ के इस विशेष सम्मेलन की आयोजना की गई थी।

भारत की रेलवे कम्पनियों की इस काँट-छाँट वाली नीति के सम्बन्ध में यहाँ कुछ प्रकाश डालना आवश्यक जान पड़ता है। गत फ़रवरी में जब काट-छाँट की चर्चा पहले-पहल आरम्भ हुई थी, तभी अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी-सङ्घ ने अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड को एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसमें बोर्ड से इस बात की प्रार्थना की गई थी कि इस काट-छाँट सम्बन्धी नीति के विषय में विचार करने के लिए बोर्ड और सङ्घ के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई जाय। परन्तु बोर्ड ने सङ्घ की इस प्रार्थना को असावधानी के साथ अस्वीकार कर दिया था। इस पर सङ्घ ने भारत-सरकार से इस बात की प्रार्थना की कि वह 'ट्रेड डिस्प्युट्स ऐक्ट' (Trade Disputes Act) के अनुसार ऐसा बोर्ड स्थापित करे, जिसमें अखिल भारतीय रेलवे बोर्ड तथा अखिल भारतीय रेलवे-कर्मचारी-सङ्घ के प्रतिनिधि बैठ

कर आपस में इस झगड़े को निबटा लें। परन्तु भारत की विदेशी सरकार को बोर्ड के हित के विरुद्ध जाना पसन्द न था; कारण ब्रिटिश भारत में प्रायः सभी बड़ी-बड़ी रेलवे कम्पनियाँ तो सरकार की हैं ही, और जो कम्पनियाँ नहीं हैं, वे शीघ्र ही होने वाली हैं। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत में जो रेलवे कम्पनियाँ बच जाती हैं, उनका मूल-धन ब्रिटेन ने दिया है और उनके स्वामी ब्रिटेन के पूँजीपति व्यापारी हैं। तात्पर्य यह कि सरकार ने सङ्घ की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। सरकार का यह रुख़ समझने के लिए यहाँ यह बात स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि प्रार्थना में सङ्घ की ओर से निवेदन किया गया था कि भारत-सरकार उक्त प्रार्थना के सम्बन्ध में अपना निर्णय गत २४वीं मई के पहले ही भेज दे, जिसमें उक्त तारीख़ को बम्बई नगर में होने वाली सङ्घ की जेनरल-काउन्सिल में सरकार के निर्णय पर विचार करने का भरपूर अवसर मिले; पर सरकार ने उत्तर देने में विलम्ब किया और उसकी अस्वीकृति का उत्तर गत २६वीं मई को अर्थात् सङ्घ की जेनरल-काउन्सिल की बैठक के बाद मिला। अस्तु।

शिमला वाले अधिवेशन में भारत-सरकार और अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड के इस रुख़ की निन्दा की गई और यह निश्चय हुआ कि पहली अगस्त अथवा यदि सुविधा हो तो उससे पहले ही भारत की सभी रेलवे कम्पनियों के कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल कराने का यत्न किया जाय। यहाँ इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि गत २६वीं जून को सङ्घ की ओर से वॉयसराय महोदय की सेवा में यह प्रार्थना की गई कि वे सङ्घ के एक डेपुटेशन को मिलने की स्वीकृति दें; परन्तु वॉयसराय महोदय ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। वॉयसराय लॉर्ड वेलिङ्गडन की इस अस्वीकृति के सम्बन्ध में रेलवे-बोर्ड की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि डेपुटेशन के मिलने के सम्बन्ध में वॉयसराय की स्वीकृति २८वीं जून तक ही माँगी गई थी; इसलिए समयाभाव के कारण उन्होंने वह प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

इस मामले में हम सरकार और रेलवे-बोर्ड, दोनों की ही नीति का घोर विरोध करते हैं। हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि सरकार की इस नीति का परिणाम केवल रेलवे-कर्मचारियों के हित के ही लिए हानिकर नहीं होगा, वरन् सरकार के शासन और बोर्ड के सञ्चालन के पथ में यह इतना अधिक बाधक होगा, जिसकी कल्पना मात्र से हम काँप उठते हैं। बोर्ड के वर्तमान निश्चय के अनुसार प्रति वर्ष तीस सहस्र श्रमजीवी अपनी नौकरी से अलग कर दिए जायँगे। इसका अर्थ यह है कि इस दरिद्र देश में, जहाँ करोड़ों प्राणी दिन-रात पेट की ज्वाला से जलते रहते हैं, वहाँ केवल रेलवे-बोर्ड की ही कृपा से प्रति वर्ष तीस सहस्र परिवार उन करोड़ों भूख से मरने वाले लोगों की टोलियों में सम्मिलित हो जायँगे! पर अभागे भारतवासियों के जीवनों का मूल्य ही क्या है। ग़ुलामों की मृत्यु भेड़ और बकरियों की मृत्यु है!

परन्तु इस स्थान पर हम भारत-सरकार को पूर्ण-रूप से सावधान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हम पत्रकार हैं और पत्रकार का पवित्र कर्तव्य हमें वाध्य करता है कि हम निष्पक्ष एवं निर्विकार भाव से सरकार की नाशकारी नीति के भयावह परिणामों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करें। हम चाहते हैं कि भारत-सरकार के उद्योग से अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड और अखिल भारतीय कर्मचारी-सङ्घ में सन्तोषप्रद समझौता हो जाय। अन्यथा यदि सङ्घ को भारतव्यापी रेलवे-हड़ताल के लिए बाधित किया गया और उन्होंने यदि हड़ताल के अपने अन्तिम शस्त्र का प्रयोग किया तो सरकार और अन्य रेलवे कम्पनियों को प्रति दिन करोड़ों का नुक़सान होगा। इतना ही नहीं, यदि यह सर्वव्यापी हड़ताल सफल हुई, जिसकी सफलता के विरुद्ध सोचने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, तो एक दिन के लिए भी इतने बड़े देश का शासन चलाना सरकार के लिए कठिन हो जायगा।

साथ ही हम इस स्थान में सङ्घ से भी कुछ निवेदन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमें उसकी कठिनाइयों से पूर्ण सहानुभूति है और हम उसके भावों का आदर करते हैं। फिर भी हम उसे यह परामर्श अवश्य देंगे कि वह यथाशक्ति मामले के सुलझाने का प्रयत्न करे तथा इस पवित्र प्रयत्न में जहाँ तक सम्भव हो, नम्रता एवम् सहनशीलता से काम ले। मनुष्य-जीवन में समझौतों का महत्व बहुत ही बड़ा है, पर यदि सङ्घ के सारे प्रयत्नों पर भी कोई उचित एवम् सम्मानपूर्ण समझौता न हो सका तो हड़ताल के दुखद उपाय के अतिरिक्त उन्हें अन्यत्र शरण है ही कहाँ?

* * *

काट-छाँट और पुरस्कार

इधर केन्द्रीय एवम् भिन्न-भिन्न स्थानीय सरकारों से नौकरी तथा अन्य कई विभागों में काट-छाँट करने के समाचार आ रहे हैं। अभी उस दिन शिमले की ख़बर थी कि काट-छाँट वाली इस नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि वायुयान-विभाग के तथा उसके अड्डों के सम्बन्ध में जो ख़र्च होने वाला था, वह बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय। इस कार्यक्रम में भारतीय रियासतों के वायुयान-विभाग वाले अड्डों के बनाने का काम भी सम्मिलित है। इसके बाद ही दूसरा समाचार आया है कि केन्द्रीय सरकार स्टेट ब्राडकॉस्टिङ्ग (बेतार का तार) विभाग के व्यय में भी काट-छाँट करने वाली है। कुछ दिन हुए मद्रास-सरकार के द्वारा मद्रास ऑबज़रवेटरी (Madras Observatory) के बन्द कर देने की भी सूचना मिली थी। भारत के अन्य स्थानीय सरकारों के द्वारा भिन्न-भिन्न अन्य अनुचित काट-छाँट के समाचार नित्य ही आ रहे हैं। कहीं बेचारे ग़रीब क्लर्कों की काट-छाँट हो रही है, तो किसी विभाग से चपरासी, चौकीदार तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी निकाले जा रहे हैं!

हम स्वयं काट-छाँट के पक्षपाती हैं। संसार की इस आर्थिक सङ्कट के अवसर में भारत-सरकार के व्यय में काट-छाँट होना केवल उचित ही नहीं, वरन् आवश्यक एवम् अनिवार्य समझते हैं। परन्तु किस विभाग में काट-छाँट होना चाहिए और किस विभाग में नहीं, इस व्यवस्था में हमारा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों से घोर मतभेद है।

वायुयान-विभाग और बेतार का तार-विभाग ये दोनों ही चीज़ें आधुनिक विज्ञान के अन्तिम और प्रमुख आविष्कार हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में इन विभागों का ख़ूब ही प्रचार हो रहा है। यूरोपीय देशों में जहाँ इस बात का सफल प्रयत्न किया जा रहा है कि देश का बच्चा-बच्चा हवाई-उड़ान की विद्या में विशारद हो तथा जन-साधारण में सर्वत्र बेतार के तार का समुचित उपयोग हो; वहाँ भारत-सरकार इन दोनों विभागों में, जो पहले से ही बहुत अपूर्ण रूप में थे, काट-छाँट कर भारतवासियों को सभ्य-संसार के विज्ञान सम्बन्धी इन दो आवश्यक अङ्गों से वञ्चित कर रही है!

इस समय भारत के करोड़ों रुपए उन भारी-भारी अफ़सरों की तनख़्वाहें, भत्ता और पेन्शनों में स्वाहा हो रहे हैं, जो न तो भारतीय हैं और न उन्हें भारतीय ढङ्ग से ही तनख़्वाह दी जा रही है। दरिद्र भारत की गाढ़ी कमाई से अङ्गरेज़ अफ़सरों को जो विशाल रक़म दी जा रही है, वह सर्वथा अनुचित और निन्दनीय है। और सब से दारुण बात तो यह है कि सरकारी व्यय कम करने के लिए जब काट-छाँट की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार या तो सार्वजनिक विभाग के छोटी-छोटी तनख़्वाह पाने वाले लोगों के वेतन में काट-छाँट करती है अथवा निर्धन एवं असहाय भारतीय क्लर्कों और शारीरिक काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से अलग करती है। यह दारुणता उस समय भीषण रूप ग्रहण कर लेती है, जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि उन अभागों के निर्वाह के लिए न तो इस देश में इङ्गलैण्ड की भाँति कोई "ग़रीब-क़ानून" (Poor Law) ही है और न उनके निर्वाह का कोई अन्य साधन ही है। परन्तु अभागे भारतीय चाहे भूखे मर जायँ अथवा आत्म-हत्या कर लें, पर इससे सरकार के रुख़ में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अबाध गति से चल रही है और भविष्य में इसी प्रकार चलती रहने का यत्न करती रहेगी! जो सरकार एक देश का शासन दूसरे देश के हित के लिए करती है, जिस सरकार का उद्देश्य भारत को अनन्त काल तक दरिद्र और ग़ुलाम बना कर ब्रिटेन को संसार का सब से शक्तिशाली साम्राज्य बनाना है, उस सरकार को अभागे भारतवासियों की हाहाकार-भरी दरिद्रता से क्या प्रयोजन? अन्यथा केन्द्रीय सरकार केवल सेना-विभाग से ही कम से कम तीस करोड़ प्रति वर्ष बहुत आसानी से बचा सकती थी। बड़े-बड़े अफ़सरों की तनख़्वाहें, भत्ता और पेन्शनों में कमी कर इससे भी बड़ी रक़म बचाई जा सकती थी। इसके बाद केन्द्रीय सरकारों के द्वारा पुलिस-विभाग तथा बड़े-बड़े अफ़सरों पर व्यय की जाने वाली अपार सम्पत्ति में काट-छाँट किए जाने पर करोड़ों रुपए की बचत होती। उस अवस्था में न तो भारत-सरकार की साख ही विश्व के बाज़ार में कम होती (?) और न भारत की साख क़ायम करने के लिए ब्रिटेन को चिन्ता (!) ही करनी पड़ती। पर यहाँ तो एक दूसरा ही दृश्य है। एक ओर दरिद्रता का भीषण साम्राज्य अपनी नग्न पाशविकता के साथ उपस्थित है और दूसरी ओर ब्रिटेन का लौह-शासन हमारे सिर पर अपनी सारी भीषणता से खड़ा है। इतना ही नहीं, दरिद्रता की मारी हुई इस भूमि में प्रत्येक प्रान्तीय सरकार इस आर्थिक सङ्कट के समय भी पुलिस तथा उन लोगों को पुरस्कार बाँटने में संलग्न है, जिन्होंने गत सत्याग्रह आन्दोलन में सरकार की सहायता की है। इस पुरस्कार के सम्बन्ध में केवल मद्रास सरकार ने ही ९८ हज़ार,६२ रुपए व्यय किए हैं। अन्य प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में यदि यही हिसाब रक्खा जाय तो क्या उस ख़र्च से मद्रास ऑबज़र्वेटरी जैसी कई उपयोगी संस्थाएँ और भी स्थापित नहीं की जा सकती थीं? यह बात सरकार के लिए कितनी निन्दनीय है, वह स्वयं ही इसका अनुभव कर सकती है।

* * *

हमारी भयानक दरिद्रता

ब्रिटेन के सम्पर्क से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस देश की दरिद्रता एक प्रकार से इस देशवासियों की पैतृक सम्पत्ति हो गई है; यह बात देश के आर्थिक जीवन की दो स्पष्ट प्रवृत्तियों से भली भाँति

प्रकट हो जाती है। प्रथम यह कि प्रत्येक मनुष्य की आय सन् १८९६ से लेकर सन् १९३० तक तनिक भी नहीं बढ़ सकी है। दूसरी यह कि शिल्प और कला के क्रमशः विनाश के कारण रोज़गार करने वालों की संख्या घटी और कृषि करने वालों की संख्या बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के रोज़गार और कृषि की पैदावार, दोनों ही में घाटा होता रहा है।

भिन्न-भिन्न तालिकाओं के देखने से ज्ञात होता है कि इस अभागे देश में पेट की ज्वाला से पीड़ित रहने वालों की संख्या पिछले ३०-४० वर्षों से क्रमशः उन्नति पर है। इसका भयावह परिणाम यह हुआ है कि देशवासियों को जीवन-शक्ति पहले से कहीं अधिक घट गई है। पर एक ओर जहाँ भारतवासियों की जीवन-शक्ति घटी है, वहाँ दूसरी ओर सरकार के द्वारा उन रोगों के रोकने का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है, जो आसानी से रोके जा सकते हैं। परिणाम-स्वरूप इस अभागे देश में सन् १९०१ से लेकर सन् १९२१ ई० तक अर्थात् केवल २० वर्षों में मलेरिया से मरने वालों की संख्या एक करोड़, अस्सी लाख है। मलेरिया एक ऐसा रोग है, जिसका भरपूर नियन्त्रण किया जा सकता है तथा उचित उपाय करने से जिसे सदा के लिए देश से हटाया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में प्लेग से मरने वालों की संख्या अस्सी लाख है। तात्पर्य यह कि इस देश के अभागे मनुष्यों की जीवन-शक्ति का इतना अधिक ह्रास हो गया है कि वे मलेरिया जैसे रोग के, जिसका प्रतिबन्ध भली भाँति किया जा सकता है, आक्रमण से भी सहज ही प्राण खो देते हैं।

एक ओर तो पेट की ज्वाला से उनकी जीवन-शक्ति का ह्रास होता जा रहा है; दूसरी ओर अपने वर्तमान कष्टों को सहन न कर सकने के कारण वे अपने जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे हैं। उन अभागों को मृत्यु की शीतल गोद में सब से अधिक विश्राम और शान्ति मिलती है। पेट-ज्वाला से विवश होकर आत्म-हत्या करने वाले ऐसे लोगों के समाचार चारों ओर से आ रहे हैं। कुछ दिन हुए लाहौर में एक सिक्ख रेलवे गार्ड ने इसलिए आत्म-हत्या करली कि रेलवे की नौकरियों की काट-छाँट में उस बेचारे की भी नौकरी छूट गई। दो महीने पूर्व ही उस अभागे का विवाह हुआ था। अभी कुछ ही दिन हुए डूँगरीवाड़ी (बम्बई) में रहने वाले किसी शेख़ ग़ुलाम हुसैन की आत्म-हत्या की भी ख़बर मिली थी। अब बम्बई के अनन्तराम राव नामक तथा बङ्गाल के सुशीलकुमार दत्त नामक व्यक्तियों की आत्म-हत्याओं के समाचार आए हैं। कहते हैं कि अनन्तराम राव एक साल से बेकार था और कोई रोज़गार न मिलने के कारण परेशान हो गया था। सुशीलकुमार की आत्म-हत्या के सम्बन्ध में पुलिस की जाँच से यह मालूम हुआ कि वह एक सौदागर के यहाँ बहुत थोड़े वेतन पर नौकर था तथा उसका भाई बिलकुल बेकार था और भरपूर यत्न करने पर भी उसे कहीं भी नौकरी न मिल सकी। इस दारुण परिस्थिति में अपने परिवार वालों का कष्ट उससे न देखा गया और उसने नाइट्रिक एसिड खाकर आत्म-हत्या कर ली।

इस अभागे देश में पेट की ज्वाला से आत्म-हत्या करने वालों की यही संख्या है, सो बात नहीं। ये तो कतिपय वे उदाहरण हैं, जो सुविधा के अनुसार अख़बारों में आ सके हैं। इस दरिद्र देश की विस्तृत भूमि में न जाने कितने सुशीलकुमार और अनन्तराम राव होंगे, यह कौन कह सकता है?

यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है। वह यह कि उपरोक्त आत्म-हत्या करने वाले शिक्षित रहे हैं। इससे यह बात प्रकट होती है कि बेकारी और भूख की ज्वाला केवल अपढ़ और मज़दूर श्रेणी के लोगों में ही सीमित नहीं है। अब तो पेट की ज्वाला उन लोगों को भी जलाने लगी है, जो शिक्षित कहे जाने वाले हैं। देश की इस भयानक दरिद्रता में भी देश की आय का लगभग आधा भाग सेना में व्यय किया जाता है तथा शिमले और नैनीताल, दार्जिलिङ्ग और राँची......के शैल-शिखरों के राजसी वैभव में कुछ कमी नहीं होती। दरिद्रता के इस दारुण-उपहास में स्वेच्छाचारपूर्ण शासन का यह नग्न-ताण्डव और कहाँ देखने को मिल सकेगा। फिर भी ब्रिटेन के पत्रकार भारत की राजनीतिक अशान्ति एवम् सत्याग्रह आन्दोलन को कोसते हुए नहीं थकते। उनका कहना है कि भारत अराजकता की ओर बढ़ रहा है! हम तो कहते हैं कि जिस अभागे देश को शासन-व्यवस्था के द्वारा होने वाली दरिद्रता से ऊब कर मनुष्य मृत्यु की शरण में विश्राम करने और शान्ति पाने के लिए लालायित रहता है, उस देश की वर्तमान शासन-प्रणाली से अराजकता का शासन भी अच्छा और श्रेयस्कर है! भारत इस महान सत्य को समझता है और भारत की वर्तमान राजनीतिक अशान्ति के मूल में इस सत्य की सारी शक्तियाँ संलग्न हैं।

* * *

आज़ादी का पुरस्कार

इस विदेशी सल्तनत में कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता—चाहे वह अर्थशास्त्रज्ञ हो, प्रकाण्ड पण्डित हो या राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हो! बम्बई विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान और अन्यतम-प्रोफ़ेसर श्री० के० टी० शाह को भी—जो अपनी निर्भीकता, मौलिक विचार-धारा, एवं अनुपम प्रतिभा के लिए भारतवर्ष के अर्थ-शास्त्र-संसार में अद्वितीय समझे जाते हैं—अपनी स्वतन्त्र विचार-शैली की क़ीमत चुकानी पड़ी है! नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बम्बई यूनिवर्सिटी ने यह तय किया है, कि इस वर्ष के उपरान्त प्रोफ़ेसर साहब वहाँ न रहें। प्रो० शाह बम्बई विश्वविद्यालय के उन जगमगाते हीरों में से हैं, जिनके लिए सारे देश को गर्व हो सकता है! प्रो० शाह का क़ुसूर सिर्फ़ यही है, कि उन्होंने सरकार के पाखण्ड एवं धूर्ततापूर्ण (Exchange policy) विनिमय-नीति पर स्वतन्त्रतापूर्वक विवेचन किया था और इसी कारण वे इस पराधीन देश की सरकार की आँखों में खटके! अपने विचारों को छिपा कर वे सरस्वती का अपमान नहीं कर सकते थे। अतएव वे अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहे—उन्होंने न तो अपनी स्पष्टवादिता के लिए खेद ही प्रकट किया और न क्षमा-याचना ही की थी।

उनकी "भारतीय सम्पत्ति के साठ साल" नामक पुस्तक इस धाँधली और रक्त-शोषण के युग में भारत की आर्थिक परिस्थिति पर बहुत काफ़ी प्रकाश डालती है। प्रोफ़ेसर शाह स्वतन्त्रतापूर्वक सोचने और निर्द्वन्द्वता-पूर्वक अपने विचार प्रकट करने वालों में हैं! उन्हें अपने पद से हटा कर सरकार ने अपनी नीच एवं कलुषित मनोवृत्ति का परिचय तो दिया ही है, किन्तु इस कार्य ने बम्बई विश्वविद्यालय के मस्तक पर भी कलङ्क-कालिमा पोत दी है, उसे सारे समुद्र का जल भी न धो सकेगा!!

* * *

राष्ट्रीय आन्दोलन में ३ हज़ार सरहदी वीराङ्गनाएँ

सहयोगी 'मिलाप' के सम्वाददाता ने ख़बर दी है कि गत २८ और २९ जून को पेशावर के गूजरगढ़ी नामक स्थान में एक ज़बरदस्त सार्वजनिक सभा हुई थी। सभा-नेत्री का स्थान मियाँ शाकिरउल्लाह साहब की बेगम महोदया ने ग्रहण किया था। इस सभा में तीन हज़ार महिलाएँ भी उपस्थित थीं। खद्दर-प्रचार तथा दुकान के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण भाषण हुए। प्रस्तावों का समर्थन करती हुई बेगम अमीर ख़ाँ ने महिलाओं की ओर से कहा कि ईश्वर न करे, अगर हमारे नवयुवक इस आन्दोलन में असफल रहे, तो हम स्त्रियाँ इसे सफल बनाएँगी। उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर से इस उक्ति का समर्थन किया।

छावनी की सड़क पर ख़ुदाई ख़िदमतगारों के जाने की मनाही

नौशहरा में ख़ुदाई ख़िदमतगार रोके गए!

मरदान, २९ जून। कई दिन हुए ख़ुदाई ख़िदमतगारों का एक जत्था रिसालपुर छावनी की सड़क से जा रहा था। परन्तु पुलिस ने छावनी-मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि यह छावनी की सड़क है, इस पर से रात के समय ख़ुदाई ख़िदमतगार नहीं जा सकते! अन्त में एक वकील साहब के इत्तला देने पर स्वयं मैजिस्ट्रेट साहब मौक़े पर आए और पुलिस वालों को समझाया कि यह साधारण रास्ता है। तुम्हें इन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही आपने पुलिस की आज्ञा का लिहाज़ करते हुए ख़ुदाई ख़िदमतगारों को दूसरे रास्ते से चले जाने का अनुरोध किया।

गोरे सार्जेण्ट पर गोली

उटाकामण्ड (मद्रास) की तारीख़ २९ वीं जून की ख़बर है कि मेजर गुडमेल नाम के एक गोरे सार्जेण्ड को किसी ने गोली मार दी। कहते हैं, उक्त गोरा सार्जेण्ट रात को अपने हल्क़े में गश्त लगा रहा था, वहाँ उसे एक शराबी मिला, जो नशे में बदहोश था। सार्जेण्ट ने अपनी नोटबुक में उसका नाम आदि लिख लिया। इसके बाद वह अपने वासस्थान पर चला आया और ज्योंही आकर आरामकुर्सी पर बैठा, त्योंही एक व्यक्ति उसे पूछता हुआ आया और गोली दाग़ दी। सार्जेण्ट वहीं ढेर हो गया!

सिक्ख गुरुद्वारे में बम का सन्देह

पञ्जाब में पतीकी नाम का कोई स्थान है और सिक्खों का एक गुरुद्वारा भी है। कहते हैं, गुरुद्वारे के ग्रन्थी (पुजारी) भाई सुन्दरसिंह ने कौवों को भगाने के लिए एक बोतल में पोटास और मैनसिल पीस कर डाल रक्खा था और आवश्यकता पड़ने पर कौवों को भगाने के लिए पटाख़े बना कर व्यवहार में लाया करते थे। एक दिन उन्होंने बोतल अपनी लड़की को रखने के लिए दी। लड़की ने कौतूहलवश उसे हिला दिया, जिससे बोतल फट गई और बालिका की तीन अँगुलियों में चोट आ गई, इसलिए लड़की अस्पताल भेजी गई। डॉक्टर ने घटना की इत्तला थाने में करा दी। फलतः पुलिस ने ग्रन्थी महोदय के घर और गुरुद्वारे की तलाशी ली, परन्तु बोतल के टुकड़ों के सिवा और कोई सन्देहजनक वस्तु न मिली। ग्रन्थी जी गिरफ़्तार होकर ज़मानत पर छूटे हैं।

करुण-कहानी

[श्री० ऋषभचरण जी जैन]

पञ्जाब के एक नामी शहर में एक आर्य-समाजी के घर मेरा जन्म हुआ था। वहीं बचपन के लाड़ों में खेली, वहीं किशोरावस्था के मीठे राग गाए, वहीं जवानी की मधुर तरङ्गों का अनुभव किया, वहीं एक दिन धूम से दूल्हे की बग़ल में बैठ कर सुहागिन बनी और वहीं एक दिन सुहाग की वे प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ भी तोड़नी पड़ीं!

इसके बाद वहाँ और क्या-क्या हुआ? ओह! उसे कहते रोंगटे खड़े हो जाते हैं! पर कहूँगी ज़रूर; बिना कहे नहीं रह सकती! क्योंकि यह तो पानी का प्रवाह है, जब तक बाँध मज़बूत रहा, रुका रहा और जब बाँध टूट गया तो उसे कौन रोक सकता है?

माँ-बाप की हम दो बेटियाँ थीं। बहिन मुझसे छः बरस बड़ी थीं। माँ का साया बचपन में ही हम पर से उठ गया था। बहिन ने माँ की जगह ले ली। यानी माँ के प्यार की कमी मुझे महसूस न हुई और अगर बहिन को मैंने पूरे अर्थों में माँ न समझा, तो केवल बहिन भी न समझा।

बहिन ने ऊँचे दर्जे की अङ्गरेज़ी शिक्षा पाई थी। प्रकृति उनकी अत्यन्त गम्भीर और दृढ़ थी। तो भी मेरे लिए उनके हृदय में जो अतुल वात्सल्य छलछला रहा था, उसकी झाँकी अक्सर मुझे मिल ही जाती थी।

बहिन ने एम० ए० पास किया था और मैं पढ़ी थी एफ़० ए० तक। पिता मुझ पर ज़्यादा स्नेह करते थे। ज़्यादा दिन तक बोर्डिङ्ग हाउस में रख कर मेरा वियोग सहना उन्हें मञ्ज़ूर न हुआ। बहिन ने उनके इस स्नेह का प्रतिवाद किया, पर परास्त हुईं, और मुझे बोर्डिङ्ग से उठ जाना पड़ा।

पिता मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, इसके कई कारण हैं। बहिन ने ज़्यादा समय पिता से अलग रह कर ही बिताया था और मैं छुटपन से उनके पास ही रही। बहिन गम्भीर थीं और हमेशा पढ़ने-लिखने में लगी रहती थीं, परन्तु मैं पिता जी के बुढ़ापे की लकड़ी बनी हुई थी। बहिन का रङ्ग ज़रा साँवला था, और मैं अनिन्द्य सुन्दरी थी। फिर एक बात और भी थी, मेरी सूरत माँ से क़रीब-क़रीब मिलती-जुलती थी।

मैं थी अठारह वर्ष की और बहिन थीं चौबीस की। पिता जी चाहते थे कि बहिन ब्याह कर लें, पर वे कुछ ध्यान न देती थीं। लाइब्रेरी से रोज़ ढेरों किताबें लातीं और पढ़तीं। न जाने क्या धुन समा गई थी, कि ब्याह की बात सुनतीं तो हँस कर टाल देतीं, या भृकुटी चढ़ा लेती थीं! पिता जी अपनी भूल पर सिर धुनते और पछताते थे! क्यों कन्या को ऐसी आज़ादी दी? कुछ कहना चाहते थे, पर लड़की की लियाक़त का लिहाज़ करके चुप रह जाते थे।

अपनी भूल को दोहराना उन्हें मञ्ज़ूर न था। इसलिए सतर्क हो गए और कॉलेज से मुझे बुला लिया, साथ ही उसी साल मेरा ब्याह कर देने की भी तैयारी करने लगे।

उन्हीं दिनों एक नई बात मैंने सुनी। बहिन ब्याह करने का विचार कर रही थीं। शायद कोई मन-माफ़िक़ वर उन्हें मिल गया था। ख़बर कुछ उड़ती सी थी और हँसते-हँसते सुनाई गई थी, पर मैं ख़ुशी से उछल पड़ी। क्यों उछल पड़ी, इसका वैज्ञानिक समाधान करना मेरे बस की बात नहीं।

दो हफ़्ते बाद तक इस विषय की और कोई बात मैंने न सुनी। अठारह बरस की होने पर भी मैं एक भोली बालिका थी, सारा समय खेल-कूद में बिता देती थी। बस, वह चर्चा मुझे भूल सी गई।

एक दिन बहिन के साथ 'वे' घर पर आए। ओहो! कैसा था वह रूप! हँसी तो लुप्त होने का नाम न लेती थी! आँखें भोली, रङ्ग धूप जैसा, शरीर सुगठित और निर्दोष चेहरा एक अपूर्व तेज से चम-चम कर रहा था! छरहरा बदन, लम्बा क़द, अङ्गरेज़ी वेश-भूषा और बातचीत का ढङ्ग बड़ा ही आकर्षक और मोहक था! हाय! वह मूर्ति अब कहाँ विलीन हो गई!

मैं पापिन उनका नाम न बताऊँगी। वे स्वर्ग के देवता, साक्षात् भगवान के अवतार, सत्यता और सरलता की मूर्ति और मैं नरक-गामिनी इस जली जीभ से कैसे उनका नाम लूँ? बहिन ने उनका परिचय मुझसे कराया। वे उसी साल विलायत से लौटे थे और दो हज़ार रुपए पर नौकर थे। उस दिन टी-पार्टी का जो छोटा-मोटा संस्करण हुआ था, पिता जी भी उसमें शामिल थे। बहिन ने पिता जी से भी उनका परिचय कराया था और मुझे ख़ूब याद है, पिता जी उन्हें देखते एकबारगी उन पर मोहित हो गए थे!

उस दिन बहिन ने मानो गम्भीरता की चादर उतार दी थी। ख़ूब हँस और हँसा रही थीं, मुझ पर ढाल-ढाल कर बहुत सी चोज़ भरी बातें कह रही थीं और उनके साथ मिल कर मुझे ख़ूब झेंपा रही थीं। पिता जी तो किसी काम से या किसी काम का बहाना करके, बीच में ही चले गए थे, हम तीनों में वह क़हक़हे उड़े कि जिसका नाम!

बहिन के साथ वे भी हँसते थे। पर मैंने अनुभव किया, कि यह साथ मानो उन्हें ज़बरदस्ती देना पड़ता था। मैं तो बहिन के अत्याचार का शिकार बनी हुई थी; कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए रह-रह कर उनकी तरफ़ देखती और शर्म से आँखें नीची कर लेती। वे भी बहिन की नज़र बचा कर कनखियों से मुझे देख लेते थे, और सहसा उनके मुँह का भाव बदल जाता था। परन्तु मुझे तो बहिन की नज़र बचाने की ज़रूरत पड़ती न थी, क्योंकि उसका अत्याचार मानो मुझे शर्मिन्दा करने के लिए ही था और मेरी भाव-भङ्गी उस अत्याचार के प्रतिकार की ओट में छिप जाती थी! उन्हें बहिन की नज़र बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, इसका भेद मुझे आगे चल कर मालूम हुआ।

चाय पी चुके थे, कि एक सखी के यहाँ से बहिन की ज़रूरी बुलाहट आ गई और वे उनसे क्षमा माँग कर चली गईं। वे गईं, कि पिता जी आ गए और ड्रॉइङ्ग रूम में न जाने क्या-क्या बातें करते रहे।

कुछ देर बाद नौकर के द्वारा उन्होंने मुझे भी वहीं बुला लिया। दोनों आराम-कुर्सियों पर बैठे थे। मैं भी जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। दो-चार मिनिट तो पिता जी ने उनसे इधर-उधर की बातें कीं, फिर चुप हो गए।

तब उन्होंने—ना, नाम न बताऊँगी—मेरी तरफ़ मुँह उठा कर बातें शुरू कीं—"आप क्या पढ़ती हैं? क्या करती हैं? क्या जानती हैं? अमुक पुस्तक पढ़ी है या नहीं? अमुक पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए।" इत्यादि।

आख़िर मैं सयानी थी, बहुत कुछ समझती थी। इन सब प्रश्नों से मैंने बहिन की टी-पार्टी और व्यंग्य अत्याचार का मेल मिलाया, और उनकी छिपी नज़रों का स्मरण किया, तो जैसे एक बिजली सी मेरे शरीर में दौड़ गई, और एक मधुर भविष्य की कल्पना से रोमाञ्चित होकर मैं उसी दम वहाँ से उठ गई!

२

दो घण्टे बाद बहिन वापस आईं। आते ही हँस कर बोलीं—क्यों, क्या चले गए?

"हाँ।"—मैंने शर्मा कर उत्तर दिया।

"नाराज़ तो नहीं कर दिया?"

मैंने अजीब सा भाव बना कर कहा—चलो हटो!

मुझे याद है, कि बहिन मेरे इस भाव पर कुछ चौंकी थीं, तो भी ज़्यादे ध्यान न देकर उसने पूछा—तुझे कैसे लगे?

मैं तुनुक कर बोली—छिः! कैसी बातें पूछती हो?

बहिन फिर चौंकीं और बोलीं—तुझे मेरी क़सम, सच बता। कोई बात ख़राब तो नहीं लगी?

मैं समझ गई, बहिन मेरी स्वीकृति ले रही हैं। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया—नहीं।

बहिन ख़ुशी-ख़ुशी ड्रॉइङ्ग रूम की तरफ़ चलीं। मैं भी उनके पीछे-पीछे गई। न जाने कैसी वह उत्सुकता थी कि बैठी न रह सकी! बहिन घुस गईं ड्रॉइङ्ग रूम में और मैं खड़ी हो गई बाहर दरवाज़े पर!

रात हो गई थी, बत्तियाँ जल चुकी थीं। ड्रॉइङ्ग रूम में पिता जी कुर्सी पर बैठे किताब देख रहे थे। बहिन जाकर उनके सामने बैठीं। पिता जी ने किताब मेज़ पर रख दी और तुरन्त ही कहा—बेटी, तुम उन्हें छोड़ कर क्यों चली गईं?

उस दिन पहले-पहल मैंने बहिन को लजाते देखा। सिर झुका कर बोलीं—एक ज़रूरी काम था?

पिता जी बोले—बड़ा होनहार नौजवान है!

बहिन इस बार सँभल गईं और सिर उठा कर बोलीं—मुझे तो उनका चरित्र बहुत ऊँचे दर्जे का जान पड़ा!

"बेशक! देख कर मेरा तो दिल बाग़-बाग़ हो गया!"

बहिन का मस्तक झुके बिना न रह सका।

"बेटी, एक बात कहता हूँ।"

"जी ?"

"मैं अगर इन्हें दामाद बना लूँ, तो ?"

बहिन का मस्तक और झुक गया और मैंने देखा था, उसका शरीर रोमाञ्चित हो उठा था।

"मैंने दोनों की बातचीत भी करा दी है। अभी निश्चित उत्तर तो नहीं दिया, पर आशा होती है कि मान जाएँगे !"

मैंने देखा, पिता जी की बात पूरी सुने बिना ही बहिन चिहुँक पड़ी थीं, और हठात् सिर ऊपर उठ गया था।

पिता जी अपनी ही धुन में कहते रहे—सरला (मेरा नाम है) को उन्होंने ख़ूब पसन्द किया है। तुम जानती हो, मैं इस विषय में लड़के-लड़की को पूरी आज़ादी देने का पक्षपाती हूँ। वे तो क़रीब-क़रीब राज़ी हैं, तुम ज़रा सरला से पूछ लेना !

बहिन ने क्षण भर में ही सब कुछ स्थिर कर लिया और रुँधे गले से कहा—वह भी राज़ी है ; ब्याह हो जाना चाहिए !

इसके बाद वह उठ कर बाहर आने लगीं। मैं हट गई। लेकिन बहिन ने मुझे देख लिया और हँस कर बोलीं—सरला, वे जो आज शाम को आए थे न, उनके साथ तेरा ब्याह होगा। बोल, राज़ी है न ?

उस वक़्त तो हर्षातिरेक से लजा कर मैं भाग गई थी, पर ब्याह के बाद ख़ुद उनके मुँह से मुझे मालूम हुआ कि बहिन ने कैसा महान त्याग मेरे लिए किया !

३

ब्याह हुआ। तीन साल तीन दिन की तरह उड़ गए। मैं एक सुन्दर बच्चे की माँ बन गई। स्वामी के स्नेह-रस में चौबीस घण्टे डूबी रहती थी। तीन साल में कभी उन्होंने मेरी आधी बात भी न टाली। उनके वे मधुर संस्मरण इस समय कैसी तीव्र वेदना का अनुभव करा रहे हैं ! कभी मुझे ज़ुकाम हो गया, तो उन्होंने रुपए को रुपया न समझा, देह को देह न समझा और न खाने-पीने की परवाह की।

परन्तु, उफ़ ! मैंने उनके स्वर्गीय स्नेह का निन्दनीय उपयोग किया। यह लालसा उनके मन में रही, कि मैं किसी दिन अपने हाथ से रोटी करके उन्हें खिलाऊँ। यह ख़्वाहिश आख़िरी दिन तक उनके दिल में रही कि मैं अपने मुँह से किसी चीज़ की फ़र्माइश उनसे करूँ। शादी के बाद तीन साल तक वे इस संसार में रहे, और पहले छः महीने के बाद हमेशा उनके दिल में यह लालसा रही कि मैं उनके साथ जाकर उनकी मित्र-मण्डली से परिचय प्राप्त करूँ, मित्रों के सामने मेरी सुन्दरता पर गर्व करने का सुख वे लूटें और जवानी तथा सौन्दर्य के रङ्गीन दरिया में ग़ोते लगा कर सच्चे और स्वर्गीय सुख का अनुभव करें। पर मैं अभागिनी ऐसी बिगड़ी—ऐसी बही, कि उनका सरल-स्नेह भी मुझे अपनी तरफ़ खींचने में असमर्थ हो गया। वह जाते ऑफ़िस, तो मैं जाती स्कूल की सहेलियों के पास; वह क्लब जाते, तो मैं मोटर लेकर जमुना किनारे पहुँचती; वे जाते सिनेमा, तो मैं घर में बैठ कर नॉवेल पढ़ती ! यानी उनकी छाया से, उनकी बू से, और उनके साथ से मुझे यहाँ तक विरक्ति हुई कि एक बार वे गर्मियों में पहाड़ जाना चाहते थे और मुझे चलने को कहा, तो मैंने साफ़ इन्कार कर दिया। आख़िर वे भी रह गए। उस दिन सुबह से शाम तक उनका मन उदास रहा।

एक दिन की बात है। बच्चा पैदा हो चुका था। अकस्मात् पिता जी गेरुए कपड़े पहने मेरे पास आए और एक रजिस्ट्री-शुदा दान-पत्र मुझे सौंप कर बोले—बेटी, मेरा सर्वस्व तेरा है। लीला (बड़ी बहिन) ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ़ एक मकान लेना स्वीकार किया है। मैंने आज विधि-पूर्वक संन्यास ले लिया है।

जब मैं रो-धो चुकी और वे चलने को तैयार हुए, तो कहने लगे—बेटी, मेरा एक आदेश मानना। अभी हाल में लीला से मालूम हुआ है कि तू उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती है। देख बेटी, वे ही तेरे सर्वस्व हैं, उन्हीं के चरणों की शरण जाने में तेरी मुक्ति है। बेटी, मैंने तुझे देवता के हाथ सौंपा है। तू लड़कपन और नादानी छोड़, उन्हें पहचान, और उनकी इज़्ज़त करना सीख, यही मेरा अन्तिम आदेश है !

पिता जी तो बिना कुछ जवाब सुने चले गए। और मैं मोटर में बैठ कर बहिन के पास पहुँची। उन्हें ख़ूब खरी-खरी सुनाई। क्यों उसने मेरे निजी मामले में टाँग अड़ाई और मेरी तौहीन की ? ओह ! वह मेरा कैसा दम्भ था ! कितना घोर पतन था !!

४

उस दिन वे मेरे पास आकर बैठ गए। उनकी आँखें लाल हो रही थीं, जैसे रोकर आए हों। मुँह विषण्ण हो

हम किसी के लिए काँटे नहीं बोने वाले

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

तुम यह क्या कहते हो रोते रहें रोने वाले,
दिल के अरमाँ कभी पूरे नहीं होने वाले !
ख़्वाब से चौंकना दुश्वार नज़र आता है,
देखें कब तक यूँही सोते रहें सोने वाले !
महफ़िले नाज़ में हँस-हँस के यह कहना उसका,
अभी क्या रोए हैं, अब रोएँगे रोने वाले !
बारे ग़म से तेरे उश्शाक़ को फ़ुरसत कैसी,
सर उठा सकते नहीं बोझ के ढोने वाले !
बाग़े आलम से गुज़र जाएँगे नकहत की तरह,
हम किसी के लिए काँटे नहीं बोने वाले !
हो चुके बिस्मिले अन्दाज़ हम उनके "बिस्मिल"
अब किसी के लिए बिस्मिल नहीं होने वाले !

* * *

रहा था, जैसे कोई असह्य कष्टप्रद घटना हुई हो। हाथ-पैर काँप रहे थे, जैसे विवशता और कातरता से व्यग्र हो उठे हों।

धीरे से बोले—सरले !

मैं किताब पढ़ रही थी। रुखाई से बोली—हाँ !

"आज क्या हुआ ?"

"कहाँ ?"

"लीलादेवी से तुमने कुछ कहा था ?"

अब मैंने किताब पर से नेत्र हटाए और स्थिर नेत्रों से उन्हें ताक कर बोली—क्यों ? क्या उन्होंने मेरी शिकायत की है ?

उन्होंने नरमी से कहा—नहीं-नहीं।

"फिर ?"

"आज मैं उनके पास गया था। तो बहुत उदास थीं। बहुत पूछने पर उन्होंने तुम्हारी नाराज़ी की बात बताई। प्रिये, लीला स्वर्ग की देवी हैं, तुम्हें उनका अनादर नहीं करना चाहिए था !"

उनका वक्तव्य सुन कर कुछ देर तो मैं निश्चय न कर सकी कि क्या उत्तर दूँ ; फिर क्षण भर बाद मेरे मुँह से निकल पड़ा—सभी देवी-देवता हैं, और मैं ऐसी राक्षसी हूँ कि किसी का भी देवत्व नहीं पहचान सकती !

यह कह कर मैं उसी दम कमरे से बाहर निकल गई और दूसरे कमरे में जा बैठी।

तीन-चार मिनिट मैं चुप बैठी रही। फिर किसी का पद-शब्द सुन पड़ा। सिर उठा कर देखा, वे ही थे। वही भाव था, वही चेष्टा और वही चाल थी। आकर वह मेरे पास बैठ गए और रुँधे गले से बोले—देखो सरले, लीलादेवी ने या मैंने कोई बात तुम्हारा दिल दुखाने को नहीं कही थी। यह तुम कैसे कहती हो कि तुम राक्षसी हो ! छिः ! प्रिये, तुम मेरे सामने ऐसी बात मुँह से निकालती हो ! तुम जानतीं नहीं, तुम्हारी ऐसी बातों से मेरे दिल पर कैसी बीतती है !

मैंने ठिनक कर कहा—आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ?

उनकी आँखों में आँसू भर आए। मैं कुछ सहमी और पिघली।

"देखो सरला"—उन्होंने कहना शुरू किया—"तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होतीं ! अगर तुम अपने पास मेरा बैठना भी नहीं सह सकतीं, तो अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तो तुम्हें अपने दिल की मालिक समझता हूँ, तुम्हें सुखी देखना ही मेरे जीवन का सुख है। मैं जानता हूँ, तुम्हारी इस विरक्ति का कारण लड़कपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पर तुम पुरुष के दिल से वाक़िफ़ नहीं हो, इस तरह की विरक्ति उसके स्वाभिमान को चूर-चूर कर देती है। सरला, ऐसा मनस्वी मैं नहीं हूँ, जो स्वाभिमान को खोकर क्षण भर भी यहाँ बैठूँ। लो, मैं जाता हूँ।"

वे उठ खड़े हुए।

मेरा दुर्भाग्य मेरे सिर पर खेल रहा था। मैं बोल न सकी।

"देखो सरला"—खड़े-खड़े ही उन्होंने कहा—"तुम्हारी बहिन पर मैं श्रद्धा करता हूँ। तुमने उनका अपमान करके ख़ुद मेरा अपमान किया है। तुम बच्ची नहीं, बच्चे की माँ हो, आदमी को समझने की कुछ शक्ति तुममें होनी चाहिए। देखो, लीला ने मेरे-तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकतीं।"

वे क्षण भर रुके और मेरे कान खड़े होते देख कर फिर बोले—उनका मेरा विवाह स्थिर हुआ था। मेरा-उनका दिल मिल गया था। पर उस दिन तुम्हारे घर आकर सारे मन्सूबे उलट गए। मैं तुम्हें देख कर स्थिर न रह सका और तुमने भी शायद मुझे पसन्द किया। उन्हें ज्योंही इस बात का पता लगा, आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ीं और बोलीं—'तुम्हें सरला को ग्रहण करना होगा।' मैंने अपने वचन का स्मरण दिलाया, बहुत हाँ-ना की, पर उन्होंने एक न सुनी ; ब्याह करा कर छोड़ा। यही उनके त्याग का इतिहास है। आशा है, तुम उनकी महानता को समझोगी !

मैं स्तम्भित सी हो गई और वे चले गए।

५

वह बात ज़्यादा देर याद न रही, सखी-सहेलियों और सैर-तमाशों को लेकर मैं जल्दी ही उसे भूल गई। मेरी दिनचर्या में भी कोई अन्तर न पड़ा और मैं सन्ध्या-समय मोटर में बैठ कर सखियों के पास पहुँची। उस दिन मैं पिता की लाखों की सम्पत्ति की मालिकन बन गई थी, मेरी ख़ुशी का क्या ठिकाना था ?

कई सहेलियों का विचार-विनिमय हुआ और अगले दिन मोटरों द्वारा मेरठ की नौचन्दी देखने जाना स्थिर हुआ। ख़ुशी-ख़ुशी घर लौटी। उनकी स्वीकृति मिल जाने का तो निश्चय ही था। पर घर आकर पूछने पर

मालूम हुआ कि वे पोलो खेलने जालन्धर चले गए हैं, तीन-चार दिन में लौटेंगे। एक बार तो मन में कुछ धक्का सा लगा, फिर सँभल गई और भगवान को धन्यवाद दिया कि अनायास ही अनुमति माँगने के अपमान से बच गई!

परन्तु हाय! मैं क्या जानती थी कि भगवान ने सदा के लिए मुझे उस अपमान से बरी कर देने का विधान रच दिया है!!

अगले दिन हम लोग मेरठ चलीं। मेरे सिवा पाँच और साथिनें थीं। दो मोटरें थीं; एक मेरी और एक हसीना की। हसीना का भाई अबुलहसन उसकी मोटर चला रहा था।

हसीना भी एफ़० ए० तक पढ़ी थी और मेरे साथ ही उसने भी कॉलेज छोड़ा था। अबुलहसन चौबीस बरस का था और एम० ए० फ़ाइनल पढ़ता था। शुरू से ही उनके घर मेरा आना-जाना था और अबुलहसन से मेरा कोई पर्दा न था।

यथासमय मेरठ पहुँचे। उनके एक मित्र के बङ्गले में सब लोग ठहरे। दो दिन वहाँ रहे। ख़ूब नौचन्दी का आनन्द लिया। परन्तु उस हृदय-विदारक घटना का उल्लेख अब मुझे यहाँ कर देना चाहिए, जो अन्त में मेरे अधःपतन और सर्वनाश का कारण हुई। अस्तु।

अबुलहसन के प्रति मेरे मन में एक अभूतपूर्व भाव का अङ्कुर जम गया।

दो दिन बीत चुके थे। अगले दिन लौटने का इरादा था। सहसा शाम को गर्द-गुब्बार में सनी हुई एक मोटर वहाँ पहुँची और लीला उतरी। चेहरा उसका उतरा हुआ था। मुझे देखते ही चिल्ला कर रोती हुई, गले से लिपट गई। जब कुछ देर बीती और रोना थमा तो उसने कहा—हाय सरला, तेरा सुहाग लुट गया।

पोलो खेलते वक़्त वे घोड़े से गिर पड़े, और उसी दम उनका प्राणान्त हो गया!!

६

कह सकती हूँ, कि उस ताज़े घाव ने कुछ दिन के लिए मेरी आँखें खोल दी थीं। सारा संसार एक बार अँधेरा दीखने लगा था, जीवन में मानो कोई मिठास ही न रह गई। सौन्दर्य मानो काट खाने को आता था, वैभव और ऐश्वर्य पाँवों की बेड़ियाँ बन गए और ऊँची अट्टालिका श्मशान-भूमि से अधिक भयानक हो गई!

हफ़्तों रोती रही, महीनों सिर धुनती और पछताती रही, मुद्दतों आँखों का पानी न सूखा और शरीर सूख कर काँटा हो गया। चेहरे की रङ्गत ज़र्द पड़ गई।

बहिन मेरे पास ही रहती थीं। उनका सारा दिन मुझे सान्त्वना देते बीतता था। आधी-आधी रात तक मेरे मनोरञ्जन के लिए नई-नई कहानियाँ सुनाती रहतीं, रोज़ बाज़ार से अच्छी-अच्छी शिक्षाप्रद पोथियाँ मेरे पढ़ने के लिए लातीं, और हर समय मेरे मुँह की तरफ़ इस तरह देखती रहतीं कि मैं कुछ कहूँ, और वह जवाब दें!

कई महीने बीत गए। दुख हल्का पड़ने लगा, याद धुँधली होने लगी, और दिल बहलने लगा। बहिन के आश्वासन और समय की विचित्रता ने अन्धकारपूर्ण संसार में मानो प्रकाश की क्षीण रेखा उत्पन्न कर दी, बच्चे का मुँह देख कर जीवन का कुछ मोह होने लगा, धन-दौलत और परिस्थिति को देख कर मानो कुछ होश सा हुआ।

कुछ महीने और बीते। स्मृति की धुँधली रेखा भी धीरे-धीरे लुप्त हो गई, सखी-सहेलियों में दिल बहलने लगा, बच्चे की तोतली बातों पर रह-रह कर हँसी आने लगी, कपड़े-लत्ते पहनने की सुध आई और जीवन फिर कुछ आकर्षक मालूम होने लगा।

और कुछ दिन बीते। सौन्दर्य फिर नई आन-बान से चमकने लगा, चञ्चलता का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, मन की कलियाँ खिलने लगीं, दिमाग़ के एक कोने में उदासी ने घर जमा लिया, हृदय रह-रह कर जैसे कुछ माँगने लगा शरीर दिन-दिन निखरने लगा, राग-रङ्ग और हँसी-दिल्लगी की मात्रा बढ़ी।

उस वक़्त चाहे ज़रा होश न हो, परन्तु अब, सिलसिला मिलाने के लिए बहिन को भूलते नहीं बनता। उनकी दशा ठीक मेरे प्रतिकूल थी। पहले महीने में तो उसके चेहरे पर पीलापन दिखाई दिया, फिर शरीर सूखने लगा, और जब नए सिरे से मेरा विकास हो रहा था, तो मेरी देवी-स्वरूपा बहिन खटिया पकड़ चुकी थीं।

७

नौचन्दी पर जो गाँठ लग गई थी, वह अब धीरे-धीरे खुलनी शुरू हुई। आज़ादी तो पहले भी थी और अब भी। वह दिल, जो पहले मानो खूँटे के बल पर उछलता फिरता था, अब खूँटा उखड़ जाने पर रस्ता भूल गया। वे जवानी की तरङ्गें, जो टूटे फूटे किनारे पर टकरा कर शान्त हो जाती थीं, अब शत-धार बह निकलीं। वे पाशविक भावनाएँ, जो कड़ी डाट के नीचे दबी पड़ी थीं, अब डाट खुलने पर मानो वीभत्स रूप में प्रकट हो गईं!

सहेलियों का आना-जाना, मिलना-जुलना बदस्तूर था। हसीना भी आती थी। मुझे भी बदले में उसके घर जाना पड़ता था! परन्तु अब अपने आपको धोखा न दूँगी। वास्तव में अबुलहसन की मूर्ति ज़बर्दस्ती मुझे उधर खींच ले जाती थी।

बहिन उन दिनों खाट पर पड़ी थीं। एक दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया और बड़े दुलार से बोलीं—देख सरला! मैंने तुझे बेटी बना कर रक्खा है!

ऐसी बात पहले-पहल बहिन के मुँह से निकली थी। मैंने कुछ उत्तर न दिया। सिर्फ़ चकित दृष्टि से उसकी ओर ताकती रही।

बहिन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा—देख बीबी, मैं तुझे प्राणों से अधिक चाहती हूँ।

फिर भी मैं कुछ न बोली।

"मैं जो कुछ कहूँगी, तेरे भले की कहूँगी।"

फिर क्षण-भर ठहर कर वह बोलीं—तू मेरी बात पर विश्वास तो करती है?

अब मैं बोली—हाँ।

"तू यह तो जानती है कि तू अभी नादान है?"

"हाँ।"

"और यह भी कि तुझ पर कितना बोझ है? पिता की सम्पत्ति है, उनकी (उसकी आँखों में आँसू आ गए) दौलत है, ज़मींदारी का काम है, बच्चे का पालन-पोषण करना है?"

"हाँ।"

"बहिन, तू दिल पर पत्थर धर कर यह सुन कि मैं अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ।"

मैंने चिहुँक कर कहा—क्या?

"डरती क्यों है? एक दिन सभी को जाना है; दो दिन आगे या पीछे।"

मेरी आँखें भर आईं। बहिन फिर कहने लगीं—सरला, मैं अपनी हालत समझती हूँ; मेरे शरीर में घुन लग चुका है और मैं अब नीम मुर्दा हूँ, आज गई कि कल गई! तू कान लगा कर मेरी बात सुन और गम्भीरतापूर्वक उस पर विचार कर!

मैं सुनने लगी।

"मैं पत्थर की तरह दिल कड़ा करके यह बात तुझसे कह रही हूँ। अगर बुरी लगे, तो क्षमा करना। मैं तेरा भला चाहती हूँ, और जो कुछ कहूँगी, तेरा भविष्य विचार कर कहूँगी।"

उनकी भूमिका से कुछ ऊब कर मैंने सिर हिला दिया।

उसने ज़रा और धीमे स्वर से कहना शुरू किया—देख, जो हुआ उसको भूल और आगे की सोच। तू अभी लड़की है, तूने अभी कुछ देखा नहीं है, तेरे ऊपर बड़ा भारी दायित्व है, ऐसी स्थिति में तुझे एक पुरुष के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता है। मेरा ऐसा निश्चित मत है।

मेरा मुँह लाल हो गया और मैं चुप बैठी रही।

"हमारे समाज में जो बात जायज़ है और जिसमें कोई पाप मुझे दिखाई नहीं देता, उसे करना अनुचित नहीं। आगा-पीछा सोच कर आज इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि इस विषय में तेरा निश्चित परामर्श लूँ और अपनी सम्मति तुझे सुना दूँ।"

मेरे शरीर में काटो तो लहू नहीं। लज्जा से मुँह कानों तक लाल हो उठा। कहीं अबुलहसन के विषय में तो कुछ बात बहिन ने नहीं सुन ली? कैसे यह बात आज उसने उठाई।

"ख़ूब सोच ले"—उसने मेरा भाव देख कर कहा—"जल्दी में ऐसी बातों का निर्णय नहीं होता। मैंने सारी परिस्थिति तेरे सामने रख दी है। मुझे आशा है, तू मेरी बात मानेगी। समाज में एक से एक अच्छे युवक निकल सकते हैं, जो..."

मैंने आगे कुछ नहीं सुना और रो पड़ी। परन्तु वह रोना असली रोना न था। थोड़ी देर के बाद अभिनय समाप्त करके मैंने कहा—"बहिन, तू ही ऐसी बात कहेगी! हाय भगवान्!"—कह कर मैं उसी दम उठ खड़ी हुई।

चलते-चलते कनखियों से देखा था, बहिन के चेहरे पर सन्तोष और आनन्द की रेखा विद्यमान थी। बोलीं—सरला, जल्दी नहीं है, ख़ूब सोच कर जवाब देना।

८

कई दिन मैं घर से न निकली। रोज़ बहिन के पास बैठती और रोज़ वह मेरी आँखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करतीं। आख़िर एक दिन वह पूछ ही बैठीं—प्यारी सरला, कुछ विचार किया?

मैं फिर रोने लगी।

उसने गद्गद कण्ठ से कहा—रो मत, सच बता, तेरी क्या इच्छा है? मुझसे छिपाने की ज़रूरत नहीं।

मैंने रोते-रोते कहा—जीजी, क्यों दिल को छेड़ती हो?

बहिन के मुँह पर वही सन्तोष और आनन्द की रेखा दिखाई दी। बोलीं—ना, सब तेरे भले की बात है।

"जीजी, मेरा दिल दुखता है; मुझसे ऐसी बात मत करो। भगवान ने मेरा सोहाग छीना, तो क्या तुम इस तरह मेरा उपहास करोगी?"

बहिन ने व्यथित होकर कहा—सरला, उन बातों को भूल जा। भगवान को यही मञ्ज़ूर था। अब तो आगे की बात सोच!

"बस, जीजी, अब चुप रहो। मैं सह नहीं सकती; कहो तो उठ कर चली जाऊँ।"

बहिन कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं—तो क्या सारा जीवन वैधव्य में काट देगी?

मैंने दृढ़ स्वर में कहा—हाँ!

"अकेली सब बोझ सँभाल लेगी?"

"तुम जो हो?"

बहिन हँस कर बोलीं—मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ।

"वाह ! तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है ? वैद्य जी..."

"वैद्य जी को छोड़, सोच कर बता, मेरे बिना चला लेगी ?"

"पर तुम तो अच्छी हो रही हो ।"

"सरला, मेरी बात का जवाब दे ।"

"क्या ?"

"मेरे बाद सारा बोझ उठा लेगी ?"

"उठा लूँगी ।"

"ज़मींदारी का ? सम्पत्ति का ? बच्चे का ?"

"सब उठा लूँगी ।"

"और जवानी का भी ?"

मैं फिर रोने को हुई, तो वह बोलीं—बस, मैं यही पूछना चाहती थी । अब मुझे और कुछ नहीं कहना है । तू जाने, तेरा काम जाने । पर देख, एक बार फिर विचार कर ले, अभी समय है ।

"मैं ख़ूब सोच चुकी हूँ !"

"भगवान तुझे दृढ़ रक्खें ।"—बहिन का मुँह तेजोमय हो उठा ।

पिछले तीन-चार दिनों में दिल मज़बूत बना चुकी थी । बहिन के आशीर्वाद से मेरी छाती फूल उठी ।

इसके तीन दिन बाद मेरी तपस्विनी बहिन का स्वर्गवास हो गया !

९

बहिन मरी, और मैंने अपने जीवन को बदल देने का निश्चय कर लिया । घर से निकलना कम हो गया, शृङ्गार की वस्तुएँ नष्ट कर दीं, बाइस्कोप-थियेटर की आन ले ली, वेश-भूषा सादी हो गई और हसीना के घर जाने की तो क़सम ही खा ली ।

दो हफ़्ते बीत गए । एक दिन मैं बरामदे में बैठी, बच्चे से खेल रही थी । शाम का वक्त था, ठण्डी हवा चल रही थी, आसमान पर हल्के बादल थे, तबियत उमङ्ग पर थी ।

सहसा अबुलहसन आ गया ! बिल्कुल हिन्दू बना हुआ था । खद्दर की टोपी, खद्दर की अचकन और खद्दर का पायजामा । चेहरे पर मलाल और भोलेपन के आसार थे । वह आकर बैठ गया ।

देखते-देखते उसकी आँखों में आँसू भर आए । बच्चे को गोद में लेकर रुँधे गले से बोला—आपका मिज़ाज तो अच्छा है ?

ओह ! उसकी उस छटा ने मेरा सर्वनाश कर दिया ! मन में एक अजीब तरङ्ग उठी और तबियत खिल गई । हँस कर बोली—भगवान की दया है ।

मिनिट भर रुक कर उसने इधर-उधर देखा और सिर झुका कर कहने लगा—क्या भगवान सिर्फ़ आप पर ही दया करेंगे । मुझे बिसार देंगे ?

उसके मुँह से 'भगवान' का नाम सुन कर मेरा मन-मयूर नाच उठा ! ओह ! हिन्दू और मुसलमान में भेद ही क्या है ? एक ही ज़मीन पर पैदा हुए हैं, एक ही हवा में साँस लेते हैं, एक ही जैसा चेहरा-मोहरा है । लोग कैसे मूर्ख हैं, जो हिन्दू और मुसलमान को अलग समझते हैं ?

उसने फिर कहा—क्या आप मुझसे रूठ गईं ?

मैं हँस पड़ी । उसी वक्त हवा का एक बड़ा झोंका आया । मैंने कहा—यहाँ ठण्ड है, भीतर चलिए !

बच्चा उसकी गोद में था । जब हम खड़े हुए तो हाय ! इस दृश्य में मुझे कितना सौन्दर्य दिखाई दिया था !!

सारे वादे और सारे इरादे तिनके की तरह उड़ गए ! देवता की याद न रही, बहिन का ख़्याल न आया, अबुलहसन को दिल तो पहले दे दिया था, आज ज़बान भी दे दी !!

अगले दिन सारे अख़बारों में यह ख़बर छप गई कि अबुलहसन से मेरा ब्याह होने वाला है ! यह कारस्तानी भी शायद ख़ुद उसी की थी ।

अन्तर्जातीय विवाह के पक्षपाती हिन्दू-मुसलमानों के अनेक सन्देश शाम तक मुझे प्राप्त हुए !

१०

अगले दिन मैं बैठी मुबारकबादी के सन्देश पढ़ रही थी और आनन्द और उत्साह से विह्वल हो रही थी । सहसा एक वृद्ध सज्जन ने कमरे में पदार्पण किया । मैं खड़ी हो गई । उन्होंने मुझसे पूछा—आप ही महाशय......की पुत्री सरला देवी हैं ?

मैंने कहा—हाँ ।

वृद्ध महाशय ने सिर से पगड़ी उतार कर मेरे पैरों पर रख दी, और मेरे अकचकाहट पर किञ्चित ध्यान न देकर स्थिर भाव से बोले—बेटी, मैं शहर के आर्य-समाज का प्रधान हूँ और तुम्हारे पिता का अभिन्न मित्र भी । मैंने तुम्हारा इरादा अख़बारों में पढ़ा है ! बेटी ! यह पगड़ी अपने बाप की ही समझो और इसकी लाज रक्खो !

मैंने सहम कर कहा—आप क्या चाहते हैं कि मैं सारा जीवन वैधव्य में ही काट दूँ ?

"नहीं बेटी !"—वृद्ध ने कहा—"अपने समाज के युवक क्या मर गए हैं, जो तुमने उस आवारे को स्वीकार किया है ? बेटी, विवाह अवश्य करो, पर सोच-समझ कर । यह हँसी-खेल नहीं है । हिन्दू-औरत मुसलमान से ब्याह करके कभी सुखी नहीं हो सकती । हिन्दू-मुसलमानों का विवाह-सम्बन्ध कभी हो नहीं सकता ।"

मैंने हिम्मत करके कहा—आप तो सुधारक हैं, आपके ऐसे सङ्कुचित विचार ?

"बेटी, यह बातें तुम नहीं समझ सकतीं, तुम अभी बच्ची हो । देखो, अपने पहले स्वामी के ऐश्वर्य की याद करो, अपने पिता की इज़्ज़त का ख़्याल करो और इस सत्तर बरस के बूढ़े की पगड़ी और सफ़ेद बालों की लाज रख लो !"

मैं स्तब्ध सी हो गई । वृद्ध के तेजस्वी नेत्र मानो भीतर घुसे जा रहे थे । मैंने सिर झुका लिया ।

वृद्ध ने फिर कहा—बेटी, अगर मेरी बात मञ्ज़ूर हो, तो यह पगड़ी उठा कर मेरे सिर पर रख दो !

मैंने पगड़ी उनके सिर पर रख दी, उन्होंने ख़ुश होकर कहा—तो मञ्ज़ूर है न ?

मैं बोली—सोचूँगी ।

उन्होंने पगड़ी पर हाथ लगा कर कहा—अब सोचने-विचारने की गुञ्जाइश नहीं है बेटी, मञ्ज़ूर करो ।

"क्या ?"

"कि उससे ब्याह न करोगी ।"

"इसी दम ?"

वृद्ध ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा—बेटी, मेरे बुढ़ापे में ख़ाक न डालो ।

मेरी आँखों में आँसू आ गए । बोली—मञ्ज़ूर है ।

वृद्ध "कल फिर आऊँगा" कह कर चले गए ।

बाहर से आवाज़ आई—बोलो, वैदिक धर्म की जय !

मैंने खिड़की से झाँक कर देखा—वृद्ध के साथ बहुत से आदमियों की मण्डली "वैदिक धर्म की जय !" बोलती चली जा रही है !

११

हाय ! वह फिर आया और अकस्मात् एक जादू सा हो गया । मेरे सारे निश्चय जिस प्रकार एकबारगी छिन्न-भिन्न हो गए, हिन्दुत्व का गौरव और पिता की लाज का ख़्याल जैसे हठात् ग़ायब हो गया, उसकी कथा कहते मेरा दिल थर्राता है । बस, वह आया, आँखों में आँसू भर लाया, और मेरा हाथ पकड़ कर दो-चार बातें कहीं कि मैंने आत्म-समर्पण कर दिया, और प्रधान महोदय की सारी बातें भी उसे सुना दीं ।

हाय ! हाय ! मेरा कलेजा फटता है, फिर भी कहे बिना नहीं बनता ! प्रधान महोदय अगले दिन आने को कह गए थे, इसलिए उसी रात को मैंने विधिपूर्वक अबुलहसन के साथ निकाह पढ़ा लिया !!

जब निकाह पढ़ा जा चुका, तो मैं सहसा अपनी जगह पर उछल पड़ी । देखा—अँधेरे में दो मूर्तियाँ खड़ी हैं । एक मेरे देवता थे और दूसरी थी देवी-स्वरूपा बहिन लीला । दोनों मूर्तियाँ घूर-घूर कर मुझे ताक रही थीं । जैसे ही मैं भयभीत होकर उछली, दोनों मानो ग़ायब हो गए ! और उसी वक्त से जैसे मेरे अनुताप का आरम्भ हुआ ।

* * *

मेरे निकाह को पाँच महीने बीत चुके हैं । पहले दो महीने तो अबुलहसन के प्यार का, नहीं प्रदर्शन का, क्या कहना ? उसके बाद से रङ्ग बदलने लगा । बड़े-बड़े दढ़ियल मुल्लाओं की सूरतें दिखाई देने लगीं, यार-दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी, रुपया पानी की तरह बहाया जाने लगा । रण्डी, कबाब, शराब और हारमोनियम और तबले की थपक में सारा वक्त बीतने लगा ।

वे दोनों मूर्तियाँ या उनकी छाया, हर घड़ी आँखों के आगे रहती हैं । दोनों की आँखें जैसे कलेजे में धँसी जाती हैं, शरीर सूखता जाता है और जीवन के प्रति कोई अनुराग शेष नहीं रह गया है ।

अबुलहसन हफ़्तों में दिखाई देता है । कल मैंने कह डाला—अरे बे-वफ़ा ! कुछ दिन तो निभाई होती ?

शायद वह शराब पिए हुए था । आँखें लाल करके बोला—हरामज़ादी, बकवाद की, तो जीभ निकाल लूँगा ! ख़बरदार !

मेरे पाप का प्रायश्चित्त शुरू हो गया था । दम साध कर रह गई ।

हसीना निकाह में शामिल न हुई थी, न पाँच महीनों में वह मेरे पास आई थी । मेरी बीमारी का हाल सुन कर आज सुबह आई और आते ही रोने लगी, बोलीं—हाय बहिन ! तेरा यह क्या हाल हुआ ?

मैंने आकाश की तरफ़ उँगली उठा दी ।

कुछ देर वह निस्तब्ध रही । फिर कान में बोली—मेरी सलाह मानेगी ?

मैंने प्रश्न-सूचक सङ्केत किया ।

"ज़ेवर सारा तेरे क़ब्ज़े में है, आर्य-समाज में चल कर शुद्ध हो जा, समाज के प्रधान मेरे पति के दोस्त हैं !"

ओह ! हसीना का हृदय कितना उदार था !

पर मैंने सिर हिला कर उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ।

उसने अचरज से पूछा—क्यों ?

मैंने फिर आकाश की तरफ़ उँगली उठा दी, और कहा—अब तो देवी-देवताओं के चरणों में जाकर ही शुद्ध होऊँगी !

हसीना कुछ समझी, कुछ नहीं समझी !

बस, यही मेरी कहानी है !

* * *

१९१७ की रूसी क्रान्ति

[श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर]

सन् १९०५ की क्रान्ति सन् १९०७ तक पूर्णतया कुचल डाली गई थी। रूस में ऐसे बहुत से लोग थे, जो क्रान्ति की असफलता के लिए प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। प्रति दिन पानी पी-पीकर इसे कोसा करते थे। अभी तक ये लोग चुप बैठे थे। क्रान्ति के असफल होते ही इन लोगों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। ज़ारशाही का इन लोगों ने पूर्ण समर्थन किया और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ख़ूब चेष्टाएँ कीं। इनमें अधिकतर ज़मींदार और पादरी थे।

इन लोगों ने मिल कर एक सङ्घ की स्थापना की और उसका नाम रक्खा 'रूसी-प्रजा-सङ्घ' (Union of the Russian people), मोशियो पुरिशकेविच और मोशियो मारकोव इस सङ्घ के प्राण थे। पुलिस के एजेण्ट तक इस सङ्घ में शामिल थे। इसके सिवा कुछ ऐसे व्यापारी तथा धनी किसान थे, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकार का साथ देना आवश्यक समझते थे। इन अन्तिम लोगों का काम था जनता को भुलावा देने के लिए प्रदर्शन करना, मज़दूरों की सभाओं तथा प्रदर्शनों में भाग लेना और ख़ूब सरगर्मी दिखलाना, तथा अन्त में अवसर प्राप्त होते ही सभाओं तथा प्रदर्शनों की शान्ति भङ्ग कर अशान्ति पैदा कर देना, ताकि इन सभाओं और प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करने का पुलिस को मौक़ा मिले। इस तरह इन लोगों ने पुलिस को हस्तक्षेप करने को अनेक अवसर दिए और पुलिस ने भी इन अवसरों से ख़ूब लाभ उठाया।

जनता के प्रदर्शनों को पुलिस भङ्ग कर दिया करती थी। कई बार गोलियाँ चलाई गईं। दमन-चक्र तेज़ी से चल रहा था और सहस्रों मज़दूर तथा किसान जेलों में बन्द कर दिए गए थे। बहुतों को आजीवन देश-निकाला दिया गया। बहुत से मज़दूर तथा किसान साइबेरिया के सुदूर प्रान्त की जेलों में बन्द कर दिए गए। यही नहीं, सैकड़ों मनुष्य फाँसी के तख़्तों पर भी लटका दिए गए। सन् १९०७ में १,६९२ आदमियों को फाँसियाँ दी गईं, सन् १९०८ में १,६५९ देशभक्त मौत के घाट उतार दिए गए और सन् १९०९ में १,४३५ माता के लाल संसार से सदा के लिए बिदा कर दिए गए।

ज़ार की पुलिस अपनी इस क्षणिक सफलता पर फूली नहीं समाती थी। उसे अपने कार्यों पर बड़ा गर्व था। देश भर में पुलिस ने विजयोत्सव मनाया। ज़ार की शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही थी। क्रान्ति के नए-नए विरोधी पैदा हो रहे थे। ज़मींदार और पूँजीपति, दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। इस अमानुषिक दमन तथा क्रान्ति-विरोधी सङ्गठन का विशेष श्रेय स्टोलिपिन नाम के एक मनुष्य को था। वह क्रान्ति का घोर शत्रु था और राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसने आन्दोलन को कुचलने में कोई बात उठा नहीं रक्खी। अपनी इस घृणित नीति के कारण वह देश भर में शैतान की तरह प्रसिद्ध था। प्रत्येक गाँव में उसने कुछ ऐसे किसान चुन रक्खे थे, जो सरकार का साथ देने को तैयार थे। ऐसे किसानों की वह सहायता करता था और उनसे आन्दोलन का विरोध करवाता था।

भूमि का प्रश्न अब तक ज्यों का त्यों बना था। ज़ारशाही इस प्रश्न को हल करने में सम्पूर्ण असमर्थ थी। क्योंकि वह बड़े-बड़े ज़मींदारों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी, साथ ही प्रश्न की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि जनता में इस प्रश्न पर घोर असन्तोष फैल रहा था। दिन प्रतिदिन ज़मींदार लोग अपनी भूमि छोड़ रहे थे और छोड़ी हुई भूमि किसानों के हाथों में चली जा रही थी। सन् १९०५ से लेकर सन् १९०९ तक के चार वर्षों में बड़े-बड़े ज़मींदारों ने अपनी भूमि का दसवाँ हिस्सा किसानों के हाथों बेच दिया था। धनी किसान प्रति दिन नई-नई भूमि ख़रीद रहे थे।

इन किसानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए। इसी के लिए स्टोलिपिन ने कई सुधार भी किए। सन् १९०६ की ९वीं नवम्बर को एक क़ानून पास किया गया और धनी किसानों को गाँवों के मुखिया के शासन से अलग होने की अनुमति दे दी गई। सन् १९०५ तक संयुक्त भूमि का $\frac{4}{5}$ हिस्सा गाँवों के मुखियों के अधिकार में और केवल $\frac{1}{5}$ हिस्सा अन्य किसानों के हाथों में था। इन मुखियों में से ७५ फ़ी सदी अपनी भूमि किसानों को मालगुज़ारी पर दे दिया करते थे। सरकार बहुत दिनों तक इन मुखियों का समर्थन करती रही। क्योंकि इनके कारण उसे राजस्व वसूल करने में बड़ी आसानी होती थी। बड़े-बड़े ज़मींदार भी इन मुखियों के पक्षपाती थे। क्योंकि इन्हीं के बल पर वे किसानों पर मनमाना अत्याचार कर सकते थे। परन्तु स्टोलिपिन के कृषि-सम्बन्धी सुधारों के परिणाम-स्वरूप गाँवों पर से मुखियों का पुराना आधिपत्य जाता रहा और उनका अन्त निकटतर आ गया। स्टोलिपिन के सुधारों के प्रचलित होते ही २२ लाख किसान मुखियों के चङ्गुल से अलग हो गए। इनमें से ९ लाख किसानों के पास निजी सम्पत्ति की तौर से भूमि हो गई। फलतः ये सभी ज़ारशाही के समर्थक बन गए।

इन दिनों मज़दूरों का सङ्गठन भी कमज़ोर हो चला था। उनमें अब वह पुरानी शक्ति न रह गई थी। सन् १९०५ की क्रान्ति में तथा हड़ताल आन्दोलन में मज़दूर सब से आगे थे। अपने सङ्गठन के बल पर उन्होंने ज़ारशाही को परेशान कर रक्खा था। उन दिनों दनादन हड़तालें होती थीं। रूस के मज़दूर अपनी शक्ति से तमाम संसार को चकित कर रहे थे। पर 'सब दिन जात न एक समान'—अन्त में उनका सङ्गठन शिथिल हो गया और हड़तालों की संख्या भी पहिले से बहुत कम हो गई। जो हड़तालें होती भी थीं, तो उनमें बहुत कम मज़दूर भाग लेते थे।

सन् १९०९ में तो यह संख्या और भी कम हो गई थी और मज़दूरों का सङ्गठन यहाँ तक कमज़ोर हो गया था कि वे हड़तालों से लाभ न उठा सकते थे। वे हड़तालें करते थे, कुछ दिनों तक वे जारी रहती थीं, पर अन्त में जब ग़रीब मज़दूरों के पास खाने-पीने को कुछ न रह जाता तो वे काम पर वापस चले जाते। पूँजीपतियों की बन आती और वह इस स्थिति से पूरा लाभ उठाते थे। सन् १९०८ में जितनी हड़तालें हुईं, उनमें से ६९ फ़ी सदी का अन्त पूँजीपतियों के लाभ में हुआ। सन् १९०९ में ८० फ़ी सदी हड़तालों ने अन्त में मज़दूरों को हानि पहुँचाई। चौबे जाते छब्बे होने, पर दुबे ही रह जाते। मज़दूरों की इस कमज़ोरी का बहुत बड़ा कारण सोशल-डिमोक्रैटिक पार्टी की कमज़ोरी थी।

इस पार्टी पर ज़ारशाही का पूरा कोप था। उसने इस पार्टी के लीडरों को चुन-चुन कर पकड़ लिया था और बहुतों को देश-निकाला दिया गया था। ग़ैर-क़ानूनी प्रेस भी बन्द कर दिए गए। अतएव पार्टी की जनता तक पहुँच न रह गई थी। उसके सदस्यों की संख्या भी पहिले से अब बहुत कम थी। पढ़े-लिखे लोग विशेषतः पार्टी से अलग हो गए थे। क्योंकि उनमें सरकार का दमन सहने की ज़ुर्रत न थी। एक समय था कि पार्टी में १,५०,००० सदस्य थे। पर अब उसमें बहुत थोड़े सदस्य रह गए थे। जो थे उनमें भी आपस में फूट थी। मेनशेविकों में तो न जाने कितनी ही दलबन्दियाँ हो गई थीं। कई दलों के पास अपने अख़बार भी थे। सभी अपने-अपने ढङ्ग से काम करना चाहते थे। कोई वैध आन्दोलन का पक्षपाती था, तो कोई क्रान्ति का पुजारी और कोई दोनों उपायों से काम लेना चाहता था। 'अपनी-अपनी डफ़ली और अपना-अपना राग' की कहावत पूर्णतया चरितार्थ हो रही थी।

बोल्शेविकों ने मज़दूरों के सामने तीन माँगें रक्खी थीं। उनकी पहली माँग थी, लोकतन्त्रीय प्रजातन्त्र, और पुराने ढर्रे के ज़मींदारों का अन्त करना उनकी दूसरी माँग थी। तीसरी और अन्तिम माँग थी, प्रत्येक दिन ८ घण्टे से अधिक काम न करना। बोल्शेविकों का नेता लेनिन था। वह वैध तथा अवैध, दोनों उपायों से काम लेना चाहता था। बोल्शेविकों ने अपनी प्रत्येक कॉङ्ग्रेस तथा कॉन्फ़्रेन्स में लेनिन की नीति का समर्थन किया।

सन् १९१० में हड़ताल-आन्दोलन ने पुनः ज़ोर पकड़ा। मज़दूरों में फिर एक बार पुरानी जागृति पैदा हो गई। सन् १९१० से लेकर सन् १९१४ तक हड़तालों की संख्या बीस गुनी हो गई। सन् १९१२ में हड़तालों की जो लहर बह रही थी, उसमें कम से कम १० लाख मज़दूर शामिल थे। सन् १९१३ में १५ लाख मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। और सन् १९१४ के पहिले ६ महीनों में २० लाख मज़दूर हड़ताल में भाग ले रहे थे। दिन प्रतिदिन राजनैतिक हड़तालों का महत्व बढ़ता जा रहा था। सन् १९१२ के अप्रैल के 'लेना के ख़ूनी-

स्नान' (Lena Blood-bath) ने मज़दूरों में रूह फूँक दी और आम हड़ताल आन्दोलन की धूम मच गई। साइबेरिया में एक स्थान है, जिसे 'लेना' कहते हैं। यह स्थान रेलवे-स्टेशन तथा बड़े-बड़े नगरों से बहुत दूर है। इस स्थान पर सोने की बड़ी-बड़ी खानें हैं और इन खानों में हज़ारों मज़दूर काम करते हैं। ये बेचारे अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत असन्तुष्ट थे। उन्हें बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और कष्टमय जीवन बिताना पड़ता था। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अधिकारियों के सामने कुछ आर्थिक माँगें पेश कीं। माँगें साधारण थीं, परन्तु तो भी पूँजीपतियों ने उनकी अवहेलना कर दी। इस पर मज़दूरों ने एक प्रदर्शन करके अपनी माँगों का समर्थन करना चाहा। वे एक जुलूस बना कर निकल रहे थे कि इन पर गोलियाँ चलाई गईं और वे तितर-बितर कर दिए गए। सैकड़ों मज़दूर सदा के लिए पृथ्वी पर सो गए और वहाँ की ज़मीन ख़ून से लाल हो गई। जनता ने इस घटना का नाम 'ख़ूनी-स्नान' (Blood-bath) रक्खा।

रूस के मज़दूर इस अपमान को चुपचाप सहने वाले न थे। उनके ख़ून में काफ़ी गरमी थी। उन्होंने 'ख़ूनी-स्नान' के उत्तर में हड़ताल कर दी। सन् १९१४ की पहली मई को दस लाख से अधिक मज़दूर हड़ताल में शामिल थे। दिन प्रतिदिन इन हड़तालों को राजनैतिक रूप दिया जा रहा था। मज़दूरों में राजनैतिक आन्दोलन उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और ऐतिहासिक दिवसों (२२वीं जनवरी, मई-दिवस आदि) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था।

गत यूरोपीय महायुद्ध के कुछ दिन पहले रूस के मज़दूरों ने भीषण स्थिति उत्पन्न कर दी। पिटर्सबर्ग की सड़कें रोक दी गई थीं और जनता तथा पुलिस में सशस्त्र सङ्घर्ष हो रहे थे। बोल्शेविकों की केन्द्रीय कमिटी ने युद्ध पर एक मेनीफ़ेस्टो निकाला। इसमें कहा गया था कि पिछले कुछ वर्षों में ज़ारशाही के विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक बार फिर विशाल आकार धारण कर लिया है। रूस के मज़दूर इस आन्दोलन में आगे रहे हैं। युद्ध के प्रारम्भ होने से पहिले फ़्रान्स की प्रजातन्त्र के प्रेज़िडेण्ट पोश्याङ्कोर, जब ज़ार द्वितीय निकोलस से मिलने आए थे, तो उन्होंने देखा था कि पिट्रोग्राड की सड़कों पर रूस के मज़दूरों ने रुकावटें लगा रक्खी थीं।

उस समय रूस के उद्योग-धन्धे विदेशी पूँजी पर निर्भर करते थे। यूरोप के कई देशों की करोड़ों की पूँजी रूस में लगी थी। इसी पूँजी के बल रूस उद्योग-धन्धे में इतनी उन्नति कर रहा था। मित्र-राष्ट्रों की पूँजी का—विशेषकर फ़्रान्स की पूँजी का—इस उन्नति में विशेष भाग था। जर्मनी की पूँजी केवल बिजली के धन्धे में लगी थी। इस विदेशी पूँजी का अन्दाज़ा इसी से लगा लीजिए कि युद्ध का अन्त होने पर रूस के कुल बैङ्कों का $\frac{3}{5}$ हिस्सा यूरोपीय पूँजीपतियों के हाथों में था। पेरिस के बैङ्कों का रूस के कोयले के धन्धों पर पूरा राज था। फ़्रान्स और इङ्गलैण्ड के बैङ्क मिल कर तेल के धन्धों को अपने हाथों में लिए बैठे थे। बाकू में जितना तेल पैदा होता था, उसका ४० फ़ी सदी इनके हाथों में था। इन्हीं कारणों से बाध्य होकर महायुद्ध में रूस को भाग लेना पड़ा। रूस के आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन पर मित्र-राष्ट्रों के बैङ्कों का विशेष प्रभाव था। इसलिए रूस, इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स के पूँजीपतियों की इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता था। इसके सिवा रूस बालकान देशों को अपनी पैदावार की खपत के लिए बाज़ार बनाना चाहता था। इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स ने रूस को इस इच्छा-पूर्ति का आश्वासन भी दिया। इसी प्रलोभन ने रूस को युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की ओर से भाग लेने को मजबूर कर दिया। इसके सिवा एक और भी बात थी, जिसने रूस को जर्मनी का विरोधी बना दिया। अर्थात् रूस और जर्मनी में कृषि-सम्बन्धी प्रतियोगिता थी, और जर्मनी ने रूस के ग़ल्ले पर बहुत कर लगा रक्खा था। अस्तु।

इस युद्ध ने रूस के द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय (Second International) कॉङ्ग्रेस का अन्त कर दिया। युद्ध के पहिले तक तो साम्यवादी युद्ध का विरोध करते रहे और द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉङ्ग्रेस में उन्होंने इसके विरुद्ध प्रस्ताव भी पास किए थे। पर जैसे ही युद्ध का श्रीगणेश हुआ, उन्होंने अपना रङ्ग बदल दिया और उसका समर्थन करने लगे। जर्मनी, फ़्रान्स और इङ्गलैण्ड के साम्यवादियों ने युद्ध के सम्बन्ध में अपनी-अपनी सरकारों का समर्थन किया। उस पर तुर्रा यह कि उनमें से प्रत्येक यही कहता था कि उसकी सरकार अपनी रक्षा के लिए युद्ध कर रही थी। प्रत्येक अपने को शान्ति का सब से बड़ा पुजारी कहता था और कहता था कि अटल शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध अत्यावश्यक है।

परन्तु बोल्शेविक युद्ध के विरोधी थे। इनके नेता लेनिन और ज़िनोवीव ने युद्ध का खुल्लमखुल्ला विरोध

कवि के प्रति—

[डॉक्टर माताप्रसाद जी त्रिपाठी, 'महेश']

जल, थल, अनल, अनिल, कण-कण में,
नवजीवन सत्वर भर दे !
हृत्तन्त्री की स्वर-लहरी से,
विश्व-मञ्च झङ्कृत कर दे !
तेरी मधुमय मादक तान—
सुन फिर जागे हिन्दुस्तान।

❀

गायक के प्रति—

मधुर रागिनी गा वीणा पर,
कर दे पुनः प्रेम-सञ्चार !
तान-तान पर मोहित होकर,
बलि-बलि जावे सब संसार !!
तेरे मञ्जुल मङ्गल गान—
सुन फिर जागे हिन्दुस्तान।

* * *

किया और उन साम्यवादियों की भी कड़ी निन्दा की, जो युद्ध का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक देश के मज़दूरों से अपने देश के पूँजीपतियों के विरुद्ध युद्ध करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक देशभक्त को चाहिए कि वह इस साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की हार की इच्छा करे।

जब महायुद्ध हो रहा था, बोल्शेविक लोग निम्नलिखित तीन बातों का प्रयत्न कर रहे थे :—(१) साम्राज्यवादी युद्ध को गृह-युद्ध में परिवर्तित करना, (२) साम्राज्यवादी युद्ध में अपने देश की सरकार की हार और (३) अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना।

रूस की स्टेट ड्यूमा में बोल्शेविक प्रतिनिधियों ने युद्ध के विरुद्ध वोट दिए। इसके लिए पाँच बोल्शेविक प्रतिनिधियों को आजीवन साइबेरिया में देश-निकाला दिया गया। परन्तु बोल्शेविक बराबर ज़ारशाही के पतन का प्रयत्न करते रहे। मज़दूरों तथा सेना में उन्होंने युद्ध के विरुद्ध ज़ोरों का प्रचार किया और जनता को भी ज़ारशाही के विरुद्ध ख़ूब भड़काया। उनसे साम्राज्यवादी युद्ध में किसी प्रकार का सहयोग न देने की प्रार्थना की।

पेट्रोग्राड के मज़दूर फ़रवरी की क्रान्ति के नेता थे। युद्ध के शुरू से लेकर अन्त तक हड़तालों की धूम थी। मज़दूरों का आन्दोलन दिन प्रतिदिन भीषण रूप धारण कर रहा था। सन् १९१७ के प्रारम्भ में ही जनता में घोर असन्तोष फैल गया था। २२वीं जनवरी को पेट्रोग्राड में हड़तालियों की संख्या ३,००,००० थी। तमाम फ़ैक्टरियों में सभाएँ हुई थीं। मास्को में एक तिहाई मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने दो प्रदर्शन किए, जिनमें हज़ारों मज़दूर शामिल हुए थे। खारकोव में भी हड़तालें हुईं। फ़ैक्टरियों के अन्दर ही मज़दूरों ने सभाएँ कीं। अनेक स्थानों पर मज़दूरों में क्रान्तिकारी पर्चे बाँटे गए। सरकार ने २५ जनवरी को ड्यूमा (Duma) की बैठक करने का निश्चय किया था, पर जनता के असन्तोष को देख कर बैठक करने की हिम्मत न पड़ी। परन्तु इसका असर उलटा पड़ा। क्योंकि जनता ने समझा कि बैठक इसलिए मुलतवी कर दी गई है कि सरकार जनता की बातें नहीं सुनना चाहती।

युद्ध-सहायक कमिटी (War Industrial Committee) में ११ मज़दूर मेम्बर थे। सरकार ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और मज़दूरों से लोहा लेने की तैयारी करने लगी। सेना से मैशीनगनें लेकर पुलिस को दे दी गईं।

२७वीं फ़रवरी को ड्यूमा की बैठक हो रही थी। मेनशेविकों ने मज़दूरों से सभा-भवन तक एक जुलूस ले जाने को कहा। परन्तु बोल्शेविक इसके विरुद्ध थे। वे ड्यूमा को क्रान्ति से अलग रखना चाहते थे। यद्यपि मेनशेविक न माने, वे जुलूस ले ही गए। परन्तु इसमें केवल ५०० ही मज़दूर शामिल थे। चौथी मार्च को सड़कों पर उत्पात मच गया। लोग रोटी माँग रहे थे। इस उत्पात में औरतें भी शामिल थीं। ६ठी मार्च को जनता ने रोटी की दूकानें लूट लीं। जगह-जगह पुलिस और जनता में मुठभेड़ें होने लगीं। फ़ैक्टरियों के मालिकों ने मज़दूरों को बरख़ास्त करना तथा फ़ैक्टरियाँ बन्द करना आरम्भ कर दिया। ८ मार्च महिला-दिवस था और यह क्रान्ति का पहला दिवस था। उस दिन ५० फ़ैक्टरियों में, जिनमें ९०,००० मज़दूर काम करते थे, हड़तालें थीं, फ़ैक्टरियों में काम करने वाली औरतों तथा अन्य मज़दूरों की स्त्रियों ने एक जुलूस निकाला। वे टाउन हॉल तक गईं और रोटियों का तक़ाज़ा किया। अनेक स्थानों पर मज़दूरों ने ट्रामों का चलना बन्द कर दिया। सड़कें पुलिस से भरी थीं। घुड़सवार पुलिस सड़क की पटरियों पर चल रही थी और भीड़ पर कोड़ों की वर्षा हो रही थी। ९वीं मार्च को पेट्रोग्राड में हड़तालियों की संख्या २,००,००० थी। सड़कों पर गोलियाँ चल रही थीं। जगह-जगह पर पुलिस और जनता में मुठभेड़ें हो जाती थीं। एक स्थान पर तो जनता ने पुलिस को खदेड़ दिया था। सरकारी सेना में भी असन्तोष फैल रहा था। सरकारी घुड़सवारों का एक हिस्सा जनता से सहानुभूति रखता था।

९वीं मार्च का प्रातःकाल था। एरिक्सन फ़ैक्टरी के मज़दूरों ने काम करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपनी एक सभा की और जुलूस बना कर सड़कों पर निकल पड़े। उनका जुलूस लिटोनिया पुल की तरफ़ जा रहा था, परन्तु अभी थोड़ी ही दूर गया था कि घुड़सवारों (Cossacks) ने उसे रोक लिया। जिस स्थान पर जुलूस को रोका गया था, वह एक अत्यन्त तङ्ग गली थी। उस गली में इतनी अधिक भीड़ थी कि अगर जुलूस लौटना चाहता तो लौट न सकता था। उस पर तुर्रा यह कि चारों तरफ़ से नए-नए जुलूस आकर उस बड़े जुलूस में शामिल हो रहे थे। अगर घुड़सवारों

ने जुलूस पर हमला किया तो भागने तक की जगह न थी।

घुड़सवारों के अफ़सर ने आज्ञा दी और घुड़सवार तलवारें निकाल कर निशस्त्र जुलूस की तरफ़ दौड़ पड़े। सब से आगे घुड़सवारों के अफ़सर थे। वे जुलूस को चीड़ते-फाड़ते आगे बढ़ रहे थे। पर यह क्या? घुड़सवारों के हाथों में नङ्गी तलवारें थीं, पर किसी ने भी जनता पर हाथ नहीं उठाया। वे अपने अफ़सरों के पीछे हँसते हुए जा रहे थे। तलवार चलाने की कौन कहे, वे किसी को डाटते तक भी न थे। घुड़सवारों के भाव देख कर जनता के आनन्द का ठिकाना न रहा। एक ही दफ़े नहीं, चार दफ़े अफ़सरों ने आज्ञा दी और स्वयं आगे बढ़े, पर घुड़सवार अपनी बात पर डटे रहे और जनता पर हाथ नहीं उठाया।

इसके बाद घुड़सवार पुनः जुलूस के आगे आकर खड़े हो गए और मित्रतापूर्वक जुलूस के लोगों से बातें करने लगे। जुलूस आगे बढ़ने लगा। अफ़सरों ने जुलूस को रोकने की आज्ञा दी, परन्तु घुड़सवार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। जुलूस घुड़सवारों के बीच से होता हुआ आगे गढ़ गया।

१२ मार्च को पेट्रोग्राड की हालत एक ऐसे नगर की भाँति थी, जो चारों तरफ़ से दुश्मनों से घिरा हो। पेट्रोग्राड में कोई ऐसी जगह न थी, जहाँ गोलियों की आवाज़ न सुनाई देती हो या मैशीनगनें न दिखाई देती हों। न्यायालयों तथा पुलिस-स्टेशनों में आग लगी हुई थी। बैरकों में आग लगाई जा रही थी। सशस्त्र क्रान्तिकारी लॉरियों में घूम रहे थे। एक स्थान पर कुछ सरकारी अफ़सर तथा मोटर-साइकलिस्ट्स् घेरा डाले पड़े थे। जनता उन्हें घेरे खड़ी थी। कुछ काल तक दोनों तरफ़ से गोलियाँ चलीं। तत्पश्चात् अफ़सरों ने आत्म-समर्पण कर दिया। सारा शहर मानो समर-भूमि बना हुआ था।

एक स्थान पर पुराने सिपाहियों की दो कम्पनियाँ खड़ी थीं। उनका कमाण्डर कुछ अन्य अफ़सरों के साथ वहाँ आया और सिपाहियों को लक्ष्य कर कहना आरम्भ किया—"भाइयो, अपनी ख़ुश-क़िस्मती पर मैं आपको बधाई देता हूँ। सरकार का, जिससे सभी लोग घृणा करते थे, पतन हो गया। एक अस्थायी सरकार का निर्माण हो गया है। प्रिन्स लोव (Prince Loov), जिसकी इज़्ज़त ड्यूमा के सभी साथी करते हैं, इस सरकार का प्रधान है। अब केवल बाहरी शत्रु को नष्ट करना है। अस्थायी सरकार आपसे प्रार्थना करती है कि आप शान्ति से रहें, अपने बैरकों को वापस चले जाएँ और पहिले की तरह अपने अफ़सरों का कहना मानें।"

कमाण्डर के इस उपदेश से सिपाहियों में घबड़ाहट सी फैल गई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा—"कमाण्डर, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ?" कमाण्डर ने आज्ञा दे दी और उसने कहना शुरू किया—"कॉमरेड सिपाहियो, आपने अभी अपने कमाण्डर की सलाह सुनी है, कि आप लोग बैरकों में लौट जावें, अपने अफ़सरों के मातहती में रहें और शान्तिपूर्वक नवीन अस्थायी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें—उस अस्थायी सरकार के, जिसके प्रधान लोव और राज़ीआन्को ऐसे ज़मींदार हैं। कॉमरेडो, क्या पिछले तीन दिनों में मज़दूरों ने अपना ख़ून इसीलिए बहाया है कि एक ज़मींदार का स्थान दूसरा ज़मींदार ले ले? क्या इसी ध्येय के लिए हज़ारों ग़रीबों ने अपनी जानें दी हैं? नहीं, पेट्रोग्राड के मज़दूर उस समय तक फ़ैक्टरियों में वापस नहीं जावेंगे, जब तक ज़मींदारों का सदा के लिए अन्त करने का हमें अधिकार न मिल जावेगा। हम उसी समय शान्ति ग्रहण करेंगे, जब सरकार में मज़दूरों और किसानों का हाथ होगा। अफ़सरों से मुझे यह कहना है कि यदि आप वास्तव में जनता की भलाई चाहते हैं, तो हमारा साथ दीजिए। बोलिए, हाँ या नहीं? कॉमरेड सिपाहियो, तुम्हारे अफ़सर ख़ामोश हैं। इसके मानी यह है कि उनका कुछ और ही ध्येय है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अफ़सर गिरफ़्तार कर लिए जावें और उनकी जगह पर आप नए अफ़सर चुन लें।"

इस प्रस्ताव के समर्थन में ज़ोरों से तालियाँ बजीं और फ़ौरन कम्पनी के नए अफ़सर चुने गए। सिपाही सैनिक ढङ्ग से क्रान्तिकारी गाने गाते हुए अपने अफ़सरों को ले चले।

१०वीं मार्च को रूस की सोशल-डिमोक्रैटिक लेबर पार्टी (बोल्शेविकों) ने निम्न-लिखित आशय की अपील निकाली थी:—

"तमाम देश के ग़रीबों को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि उनका जीवन असम्भव हो गया है। उनके पास न खाना है, न कपड़ा। सरहद पर रक्तपात, कष्ट और मौत का ताण्डव हो रहा है, एक के बाद दूसरी सेनाएँ युद्धक्षेत्र में भेजी जा रही हैं। जानवरों की तरह हमारे भाई, मनुष्यों के बूचड़ख़ाने में भेजे जा रहे हैं। इसलिए अब चुप रहना सम्भव नहीं है। भाइयों और लड़कों को बूचड़ख़ाने में चले जाने देना, ठण्ड और भूख से अपने को नष्ट होने देना कायरता होगी। आप अपने बचने की कोशिश व्यर्थ ही करते हैं। यदि जेल न मिलेगा तो बीमारी से या भूखों मरना होगा। अपना मुँह छिपाना आपको शोभा नहीं देता। देश पर आफ़त है। रोटी नहीं है, अकाल पड़ने वाला है। इससे भी बदतर हालत होने को है। घातक बीमारियों की पूरी सम्भावना है। जब हम रोटी माँगते हैं, तो हमें डण्डे मिलते हैं। यह सब किसका क़सूर है? ज़ार की सरकार तथा धनी लोग ही इसके उत्तरदायी हैं। वे घर और बाहर जनता को लूटते हैं। युद्ध से ज़मींदार तथा पूँजीपति लाभ उठा रहे हैं। उन्हें इतना लाभ होता है कि वे उसका अन्दाज़ा भी नहीं लगा सकते। वे युद्ध को सर्वदा के लिए जारी रखना चाहते हैं। आर्थिक लाभ उठाने के लिए, कुस्तुन्तुनिया, अरमिनिया तथा पोलैण्ड को जीतने के लिए वे जनता का बलिदान कर रहे हैं। उनके लोभ का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने आर्थिक लाभों का अन्त करने की राज़ी नहीं हैं। प्रतिक्रियावादी धनिकों को हाथ में लाने का यही अवसर है। लिबरल, प्रतिक्रियावादी, सरकार और ड्यूमा, सब मिल कर ख़ून के प्यासे हो रहे हैं। ज़ार का दरबार, साहूकार तथा पादरी लोग सोना इकट्ठा कर रहे हैं। एक सुस्त लुटेरों का दल जनता की हड्डियाँ चबा रहा है, उनका ख़ून पी रहा है। हम लोगों को भुगतना ही पड़ता है। हम लोग काम करते-करते मरे जाते हैं। खाइयों में हमको मरना पड़ता है। अब हम चुप नहीं रह सकते। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बलगेरिया के मज़दूर सिर ऊँचा कर रहे हैं। वे लोग शान्ति और स्वतन्त्रता के लिए ख़ून के प्यासे धनियों से लड़ रहे हैं। अपने अत्याचारियों से लड़ कर हमें उन मज़दूरों की सहायता करनी चाहिए। अब खुल्लमखुल्ला युद्ध का समय आ गया है। हड़तालें, सभाएँ तथा प्रदर्शन संस्थाओं को कमज़ोर नहीं, बल्कि उन्हें मज़बूत करते हैं। कोई भी अवसर या दिन मत खोइए। हमेशा और प्रत्येक स्थान पर अपने क्रान्तिकारी नारों सहित जनता के साथ रहो। प्रत्येक व्यक्ति को लड़ाई का सन्देशा दीजिए। पूँजीपतियों के लाभ के लिए युद्ध-क्षेत्र में मरने से, भूख से या अधिक काम से मरने की अपेक्षा मज़दूरों के लिए मरना अच्छा है। जुदा-जुदा कामों से तमाम रूस में क्रान्ति फैल सकती है और रूस की यह क्रान्ति दूसरे देशों में क्रान्ति पैदा कर सकती है। घोर युद्ध हमारे सामने है, पर विजय हमारे साथ है। प्रत्येक पुरुष को क्रान्ति के लाल झण्डे के नीचे आ जाना चाहिए। बस, ज़ारशाही का अन्त हो। डिमोक्रैटिक रिपब्लिक चिरजीवी हो। आठ घण्टे का दिन चिरजीवी हो। बड़े-बड़े लोगों की सारी भूमि जनता के लिए हो। युद्ध का अन्त हो। तमाम संसार के मज़दूरों का भाईचारा चिरजीवी हो। साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय चिरजीवी हो।"

इस अपील का जनता पर ख़ूब प्रभाव पड़ा। ११वीं मार्च को सारी फ़ैक्टरियाँ बन्द हो गईं। शहर भर में मज़दूर ही मज़दूर दिखाई पड़ते थे। सरकारी अफ़सर रह-रह कर गोलियाँ चला रहे थे, यहाँ तक कि अन्त में मैशीनगनों का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की शक्ति बढ़ाने के लिए फ़ौजी सिपाहियों को पुलिस की वर्दी पहनाई गई। परन्तु इससे सिपाहियों में घोर असन्तोष फैल गया और वे जनता की तरफ़ हो गए।

स्टेट ड्यूमा के प्रेज़िडेण्ट ने उसी दिन ज़ार को निम्न-लिखित तार दिया कि—"स्थिति गम्भीर है। राजधानी में अराजकता फैली हुई है। सरकार असहाय है, भोजन और रोशनी का प्रबन्ध पूर्णतया असङ्गठित है। जनता का असन्तोष बढ़ रहा है। सड़कों पर गोलियाँ चल रही हैं। किसी ऐसे पुरुष को नई सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें जनता का विश्वास हो। हिचकिचाइए नहीं, देरी करना अधिक ख़तरनाक होगा।"

दूसरे दिन राज़ीआन्को ने ज़ार को एक दूसरा तार भेजा कि—"स्थिति ख़राब हो रही है, फ़ौरन प्रबन्ध होना चाहिए। कल तक समय बीत जायगा। देश और राजवंश के लिए निश्चय करने का यह अन्तिम अवसर है।"

परन्तु ज़ार ने उपर्युक्त तार पाकर अपने मन्त्री से कहा—"बौड़म राज़ीआन्को ने अपनी दूसरी बेवक़ूफ़ी का प्रमाण भेजा है। मैं इसका उत्तर तक देने का कष्ट न उठाऊँगा।"

ख़ैर, अन्त में पेट्रोग्राड की सेना जनता से मिल गई। विद्रोही सिपाहियों तथा मज़दूरों ने मिल कर पेट्रोग्राड के मध्य में बसे हुए पिटर-पाल क़िला को अपने अधिकार में कर लिया। और वहाँ जितने राजनैतिक क़ैदी क़ैद थे, सबको छुड़ा दिया। सन् १९१७ की क्रान्ति सफल हो गई। ज़ारशाही का अन्त तो हो ही चुका था, केवल उसे दफ़नाना बाक़ी था।

* * *

फ़रियादे-बिस्मिल

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

देखिए साहब ने दुनिया भर को अपना कर लिया,
आपसे कुछ हो सका भी, आपने क्या कर लिया!
हसरते बाज़ारे दुनिया सब को लाई खींच कर,
हमने भी चल-फिर के कुछ मतलब का सौदा कर लिया!
दीन जाता है तो जाए, सेठ जी को ग़म नहीं,
मालोज़र अच्छी तरह दुनिया में पैदा कर लिया!
दरहक़ीक़त हमने 'बिस्मिल' में यह देखा ख़ास वस्फ़,
जिससे दो बातें हुईं, बस उसको अपना कर लिया!

* * *

मुनहरिफ़[२] रहते हैं मुझसे, दोस्त भी, ग़मख़्वार भी,
मेरे "फ़ेवर" में नहीं लिखता कोई अख़बार भी!
हज़रते 'बिस्मिल' ने देखा अब नया सामाने जङ्ग,
तोप के आगे तो रक्खी रह गई तलवार भी!

१—गुण, २—ख़िलाफ़,

मेरा मन

[कविवर श्री० रामचरित जी उपाध्याय]

रहता है स्वाधीन सदा ही पराधीनता से अनभिज्ञ,
स्वावलम्ब का सहयोगी बन, बन बैठा है रण का विज्ञ।
क्रूर जनों के वचन-जाल में फँस सकता है कभी नहीं,
भेद-भावना का भास्कर है नीतिज्ञों में है नीतिज्ञ ॥
जो मुख से कह देता उसको कर दिखलाता मन मेरा।
तिनके से भी गिरिवर का गिरना सिखलाता मन मेरा ॥

❀

यदपि निरङ्कुश है पर समयोचित कामों को करता है,
चाहे हो विकराल काल पर अरि से कभी न डरता है।
वज्रपात होने पर भी निज प्रण से डिगता कभी नहीं,
स्वस्व सुरक्षित रखने के हित सत्व दिखा कर मरता है ॥
गुफा गहन में समर-सदन में अविचल रहता मन मेरा।
देश-वेश भाषा के कारण दुख-सुख सहता मन मेरा ॥

❀

तोप, तीर, तलवार, तमञ्चे की, कुछ भी परवाह नहीं,
विषय-विषाक्त विलासी बन कर जीने की है चाह नहीं।
मनोदेश में विचरण करता रहता है बन कर सम्राट,
अपने सम्मुख अन्य किसी को कभी समझता शाह नहीं ॥
न्याय-निरत हो अन्यायी को उत्तर देता मन मेरा।
स्वयं सरल हो कुटिल जनों से बदला लेता मन मेरा ॥

❀

अबलाओं को प्रबला कहता उन्हें समझ कर अपनी शक्ति,
लेखा देख विश्व का, अपने भारत में रचता है भक्ति।
विपक्षियों को पक्षहीन पक्षी के सम लखता है नित्य,
विविध विघ्न-बाधाएँ आएँ आने देता नहीं विरक्ति ॥
स्वयं न गिर कर गिरे हुए को ऊपर लाता मन मेरा।
जग कर स्वयं पड़े सोते को खींच जगाता मन मेरा ॥

❀

पापी पेट पीठ हो जावे पर परवशता से है दूर,
चापलूस बन सुयश न लेना चाहे जलें भले ही क्रूर।
परिणति कुछ हो पर निशङ्क हो कहता है बातें दो टूक,
सत्य-सोमरस के सरूर में चूर सदा रहता भरपूर ॥
प्रलय-पवन उनचास चलें पर कभी न रोता मन मेरा।
द्वादश दिनकर जगत जला दें धैर्य न खोता मन मेरा ॥

❀

पर का पर लगने क्यों पावे अपने को कहता अपना,
हिन्दू-हिन्दी-हिन्द-मन्त्र का सीख रहा है नित जपना।
जैसे को तैसा बन जाता होता कभी हताश नहीं,
दुष्ट जनों से दब जाने का नहीं देखता है सपना ॥
रहो एक हो, यही सभी को शिक्षा देता मन मेरा।
कर फैला कर नहीं स्वस्व की भिक्षा लेता मन मेरा ॥

❀

अन्यायी अरि-करि-निकरों को चूहों के सम लखता है,
असहयोग की असि दोधारी सदा साथ में रखता है।
मुरने से मरना अच्छा है करता व्यक्त विचार यही,
पीयूषोपम रौद्र वीर-रस को रसना से चखता है ॥
कायरोक्ति की युक्ति दिखाना नहीं जानता मन मेरा।
भव में सम्भव सभी कार्य हैं, यही मानता मन मेरा ॥

❀

परशुराम-बलराम राम के कामों को कहना अभिराम,
काम निकम्मा कभी न करता लेता सदा श्याम का नाम।
जग-जीवन के लिए स्वजीवन लिए हथेली पर फिरता,
घाम-छाँह को तुल्य समझता नहीं चाहता है धन-धाम ॥
जन्मभूमि-जननी के पग की धूल बना है मन मेरा।
प्रतिकूलों के मनःकूल में शूल बना है मन मेरा ॥

❀

मृतक-हृदय में वाक्य-यन्त्र से जीवन-ज्योति जगाता है,
क्रान्ति न करके शान्ति-शस्त्र से भय की भ्रान्ति भगाता है।
भू-मण्डल का दृश्य देखता बैठ अकेला कुटिया में,
पत्थर को पिघला देता पानी में आग लगाता है ॥
दशेन्द्रियों के मध्य स्थित हो अजर-अमर है मन मेरा।
साहित्यिक-संसृति-सरसिज का भव्य भ्रमर है मन मेरा ॥

❀

तुच्छ काम कर नहीं चाहता जग में करना नाम बड़ा,
नाम न हो पर सदा चाहता करना हितकर काम बड़ा।
शुनोवृत्ति से पेट पाल कर बनता-फिरता सिंह नहीं,
गुण-ग्राम के धाम बैठ कर करता है आराम बड़ा ॥
प्रतिभा-प्रभा दिखा कर भू पर रवि बनता है मन मेरा।
पवि से पुष्ट लेखनी लेकर कवि बनता है मन मेरा ॥

* * *

विहग-विलाप

[श्री० बालकृष्णराव 'दिनेश']

छोटा था पर सुखकर था वह तरुवर का मेरा आवास,
मिलता था उसमें ही मुझको जग के सभी सुखों का भास !
सदा प्रसन्न-चित्त रहता था, होता कभी न ज़रा उदास,
चिन्ता-रहित रहा करता था अपने सुहृदजनों के पास !!
अरुणोदय होते ही जग कर रवि का करता था स्वागत,
उसे जगाता सोया हो जो तरु के नीचे अभ्यागत !
चारे की तलाश में उड़ जाता जब होता सूर्योदय,
करके स्मरण गगन-विचरण को होता है सन्तप्त हृदय !!
उड़ कर अगणित नभ-मार्गों से चारे ले जाता था घर,
पाता स्वर्गिक सुख मैं उसको शिशुओं के मुँह में देकर !
दिनभर नभमें, थल पर, जल पर विचरण करता सहित प्रमोद,
हृदय नाच उठता था, नभ में आते थे जब प्रथम पयोद !!

× × ×

कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन,
नहीं जानता था कैसे जग में होते हैं जीव मलीन !
बन्द किए जाने पर पिंजड़े में है कैसा परिवर्त्तन,
हाय लुट गया मेरे जीवन का सब से वह प्यारा धन !!
भूखों मर कर के भी रहना उस तरुवर की डालों पर,
वही मुझे प्यारा था जीवन, वही मुझे प्यारा था घर !
बन्दी बनने पर पाया है मैंने पिंजड़े का आराम,
नहीं 'दिनेश' ज़रा भी है कुछ मुझको ऐसे सुख का काम !!

* * *

भारत-गान

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

चेत जाओ भारत-सन्तान,
कुछ जगते हो, कुछ सोते हो,
स्वयं व्यर्थ अवसर खोते हो,
रह जग में कुछ नहीं गया है
हाय तुम्हारा मान।
मनुष्यत्व से मत मुख मोड़ो,
बात बनाना अब तो छोड़ो,
क्या तुममें रह नहीं गया है
तनिक आत्म-सम्मान।
उठो शीघ्र कुछ कर दिखला दो,
उठो जगत को शीघ्र हिला दो,
फिर से ला दो भरतखण्ड में
अपनेपन का भान।
फिर स्वतन्त्र-भारत-जय बोलो,
ज्ञान-कोष सबके हित खोलो,
फिर नर-समता-गान सुना दो
शुभ आध्यात्मिक तान !

* * *

कामना

[श्री० छैलबिहारी जी दीक्षित "कण्टक"]

चाह नहीं है नाम-धाम-धन उच्च-पदवियाँ पाने की ;
बस आमोद-प्रमोद-गोद में मस्ती से इठलाने की।
चाह नहीं है स्वर्ग-सदन में मन भर मौज मनाने की ;
या फिर-फिर मानव-तन पाकर जीवन सफल बनाने की ॥
विध्वंसी वंशी कर लेकर—
प्रलय-रागिनी गाता हूँ !
रोक न, अमिट-आग सुलगी है—
मिटने दे बलि जाता हूँ !!

❀

शीर्षकहीन

मिलन-वियोग-द्वार पर छलना छल में गति निश्छल की;
कुशल माँगती मीठी-मस्ती पागल की पल-पल की।
झलकी एक बूँद आँसू में झाँकी उस हलचल की ;
सुख-दुख की फुलझड़ी ले खुली खिड़की अन्तस्तल की ॥
कड़ियाँ कटीं, हटीं टुकड़े हो—
हाथों की हथकड़ियाँ !
रे बन्दी ! आ गईं अचानक—
आज मुक्ति की घड़ियाँ !!

❀

बस, हाँ ....?

ढले न यों बोतल की बोतल बूँद-बूँद गिरने दे ;
लिए लालसा को मस्ती में पागल हो फिरने दे !
उस बाँकी-झाँकी की झलकें इन पलकों पर झूमें;
पुलकित प्राण सराह आह भर मृदु-पीड़ा को चूमें ॥
दीवाना सर्वस्व लुटा दे—
कर रूप का मसौदा !
हृदयहीन से हो न कभी पर—
प्रिये, प्रेम का सौदा !!

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

इन अभागे सिरों की दो कहानियाँ हैं। जन-साधारण का कथन है कि ये बर्मी-विद्रोही अङ्गरेज़ सैनिकों के द्वारा एक मुठभेड़ में मारे गए थे और मरणोपरान्त उनकी लाशों से उनके सिर काट कर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए थे। सरकार का वक्तव्य है, कि एक विवेकशून्य अधिकारी के द्वारा पहचान के निमित्त ये सिर लाश से काट कर नगर में भेजे गए थे! सचाई चाहे जो कुछ भी हो, पर यह बात सत्य है कि मध्यकालीन ऐतिहासिक बर्बरता का यह रोमाञ्चकारी दृश्य देख, सहस्त्रों आत्माएँ काँप उठी थीं, सहस्त्रों आँखें गीली हो गई थीं और हज़ारों हृदय मूक-घृणा एवं विवश-प्रतिकार के भावों से नाच उठे थे!!!

विगत २६वीं जून को होने वाली बम्बई की महिलाओं की एक विराट सभा का दृश्य। महिलाओं की इस सभा का आयोजन महात्मा गाँधी का भाषण सुनने के लिए किया गया था। चित्र में बाईं ओर महात्मा जी के भाषण देने के समय की ली हुई तस्वीर है। दाहिनी ओर का चित्र उस समय का है, जब सभा-मण्डप में पहुँच कर महात्मा जी महिला-श्रोताओं के नमस्कार और स्वागत के उत्तर में अभिवादन कर रहे थे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मरुस्थल की सुन्दरियों का एक नमूना—इतस्ततः भ्रमण करने वाली शाविया नाम की एक पहाड़ी जाति और उनसे बन्दी की हुई नीग्रो-जाति की स्त्रियों से उत्पन्न होने के कारण श्राउलेडनेल जाति की सन्तति रूपवान होती है। बरबर जाति के चाँदी के आभूषण पहिने हुए इस अत्यन्त रूपवती स्त्री का सौन्दर्य प्रशंसनीय है।

केबाइल जाति की एक अलङ्कार-युक्ता स्त्री

शोकाकुला—यह सुन्दरी बिस्करा में एक दीवाल के पास अपने अति परिश्रम से अर्जित सुवर्ण तथा रजत के भूषण से शरीर को आभूषित कर अपने कटाक्षों से पथिकों के चित्ताकर्षक में तत्पर खड़ी रहती है, यहाँ तक कि थक जाती है। अरब के प्रेम-सङ्गीत में निपुण वह कई प्रकार के बाजे बजा सकती है। नृत्य में अन्य जाति की बालिकाओं की अपेक्षा अधिक चपल होती है और उसका सिगरेट तथा कॉफ़ी बनाने का चातुर्य प्रसिद्ध है। परन्तु उसके समस्त गुण और सारा रूप-यौवन किराए के लिए ही होता है।

मरुस्थल की एक सुन्दरी अपने जङ्गली आभूषण धारण किए हुए ऊँट की झूलती हुई काठी में बैठ, दरी के परदे चारों ओर लटका कर परदे की प्रथा को चरितार्थ कर रही है। कहना न होगा कि यह परदा बिना प्रयास उठाया जा सकता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।

साइरेन जाति की नर्तकियाँ। बिस्करा शहर के दक्षिण में ज़िबन ओसिस में इनका जन्म हुआ है। ये नृत्यादि विलास-व्यापार द्वारा धन कमा कर स्वदेश लौट जाती हैं। वहाँ इनका विवाह अपनी जाति में सम्मान-पूर्वक होता है, क्योंकि द्रव्य की इनको कमी नहीं होती।

इसकी डफली इसे धन एकत्र करने के काम आती है और इसी की सहायता से यह बिस्करा के मद्य-गृह में नाचती है, जहाँ यह स्वयं प्रेक्षकों के आकर्षण की वस्तु है।

यह नीग्रो-तरुणी अलजीर्स में आधुनिक पहिनाव की रीतियों को किञ्चित भी महत्व नहीं देती। वक्षस्थल पर पड़े हुए ताबीज़ उसकी मनोहरता के रक्षार्थ हैं।

अपने पति, माता-पिता और अन्तःपुर की महिलाओं के अतिरिक्त शासक-जाति की अरबी-सुन्दरी सहसा किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती।

[विस्तृत परिचय के लिए अन्यत्र प्रकाशित अलजीरिया-सम्बन्धी लेख देखिए]

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

स्यालकोट (पञ्जाब) की डॉक्टरा (कुमारी) दमयन्ती देवी, बी० ए०, जो विशेष अध्ययन के लिए आज-कल इङ्गलैण्ड गई हुई हैं।

गुजरात प्रान्तीय इण्डियन एसोसिएशन की अवैतनिक मन्त्रिणी—श्रीमती विद्या बहिन रमणबाई नीलकण्ठ, बी० ए०।

अखिल भारतवर्षीय महिला-सङ्घ की महाराष्ट्रीय सदस्या—श्रीमती नलिनी आर० चिटनवीस।

बम्बई की सुप्रसिद्ध गुजराती डॉक्टरा—श्रीमती कुमुद-गौरी मेहता, एल० एम०; एम० आर० सी० पी०, जिन्होंने लन्दन तथा एडिनबरा विश्वविद्यालयों से शिशु-पालन-सम्बन्धो विशेषता की विशेष डिग्रियाँ प्राप्त की हैं।

कलकत्ता के श्रीरामपुर कॉलेज के विश्राम-प्राप्त प्रिन्सिपल रेवरण्ड जॉर्ज हॉवेल की धर्मपत्नी—मिसेज़ हॉवेल—जो बराबर अपने पति की प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से कार्य करती रही हैं।

सर्व-प्रथम गुजराती महिला-एडवोकेट—कुमारी तारामती पटेल, बी० ए०, एल्-एल्० बी०।

वेलोर (उत्तरीय अरकाट) के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सदस्या—श्रीमती एन० कुन्ती अम्मल।

इङ्गलैण्ड के सुप्रसिद्ध होटल—रूबेन की बाल सँवारने वाली (Hair Dresser) मैडम विनफ़्रेड।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मि० जॉर्ज अर्लीकैटी दक्षिण भारत के उन घूँसेबाज़ खेलाड़ियों (Boxer) के चैम्पियन (सर्व-श्रेष्ठ खेलाड़ी) हैं, जिनकी तौल ११६ पौण्ड तक है। हाल ही में आपका आदर्श विवाह मङ्गलोर की मिस बी० पैलन से हुआ है। इस विवाह की रुचिकर विशेषता यह है कि विवाह के अवसर पर वर-वधू दोनों ही हाथ से काती और बुनी हुई शुद्ध खादी की पोशाक में थे। कर्नाटक प्रान्त में यह अपने ढङ्ग का सर्व-प्रथम ईसाई-विवाह हुआ है।

श्रीमती एस० एस० लक्ष्मीबाई राजवाडे, एल० एम० एस० (बम्बई), एम० आर० सी० एस० (इङ्गलैण्ड) एल० एम० (रोटण्डा डबलिन)—आप ग्वालियर रियासत के राव-राजा जनरल राजवाडे ओ० बी० ई० की विदुषी धर्मपत्नी हैं। गवर्नमेण्ट ने आपको इण्डियन हिस्टॉरिकल रिकार्ड कमीशन की सदस्या नियुक्त किया है।

भारतीय रियासतों की पीड़ित प्रजावर्ग के स्वत्वों के निमित अनवरत उद्योग करने वाले प्रमुख कार्य-कर्ताओं का एक सामूहिक चित्र। बैठे हुए बाँईं ओर से—श्री० मनीशङ्कर त्रिवेदी, डॉक्टर सुमन्त मेहता, श्री० अमृतलाल ठक्कर, श्रीयुत रामानन्द चटर्जी (सभापति), प्रोफ़ेसर अभयङ्कर, श्री० अमृतलाल सेठी, श्री० जी० वी० त्रिवेदी और श्री० पी० एल्० चुदगर।

सच यह कहते हैं, कि हँसने की जगह दुनिया नहीं, चश्मे इबरत है चमन में फ़ूल मुरझाने के बाद !
कौन होता है दिले अफ़सुर्दा का पुरसाने हाल, फ़ूल की .खुशबू भी चल देती है मुरझाने के बाद !!

लुत्फ़ की भी ख़ूब सूझी, उनको तड़पाने के बाद,
पूछने आए हैं मुझको, दम निकल जाने के बाद !

ऐ सबा[1] तूने बलाएँ लीं, अगर शाने[2] के बाद,
फिर उलझ जाएँगी ज़ुल्फ़ें उनको सुलझाने के बाद !

हम उसे देखा किए, जब तक हमें ग़फ़लत रही,
पड़ गया आँखों पे परदा, होश आ जाने के बाद !

इम्तिहाँ सोज़े[3] मुहब्बत का हुआ करता है यों,
तुमने देखा जल गई है शम्आ[4] परवाने के बाद !

इज़तिराबे[5] शौक़ में, क़ाबू से बाहर है ज़बाँ,
इल्तिजा[6] उनकी भी होगी दिलको समझानेके बाद!

शैख़ साहब सारी दुनिया चूमती आकर क़दम,
खींचना था हाथ तुमको, पाँव फैलाने के बाद !

तेरे दम से थी बहारे गुल की सारी आबो-ताब,
बाग़ जङ्गल बन गया तेरे चले आने के बाद !

मैं हक़ीक़त[7] आशना हूँ हस्तिये मौहूम[8] का,
देखता हूँ ग़ौर से फूलों को मुरझाने के बाद !

भूल कर आई अजल[9] हम मरने वालों में न थे,
कुञ्जे तुरबत[10] जा बसाया हमने काशाने[11] के बाद !

हो गई दिल को तसल्ली, आ गया दिल को क़रार,
कान में कुछ कह दिया है उसने शरमाने के बाद !

चश्मे[12] साक़ी ने भरी महफ़िल को बेख़ुद[13] कर दिया,
कौन कहता, और देना एक पैमाने के बाद !

राह में बैठा हूँ मैं, तुम सङ्गे-[14] रह समझो मुझे,
आदमी बन जाऊँगा, कुछ ठोकरें खाने के बाद !

तुम परेशाँ क्यों हो इतने, तुम हो क्यों इतने उदास,
मैं तो कहता हूँ कि जो उट्ठूँगा मर जाने के बाद !

हाय क्या-क्या लोग गुज़रे हैं नज़र से क्या कहूँ,
याद आता है मुझे काबा भी मैख़ाने[15] के बाद !

हमने यह माना हसीं जब भी कहेंगे तुमको लोग,
शाने माशूक़ी कहाँ दिल से उतर जाने के बाद !

हज़रते "बेख़ुद" के पीने के यही दो वक़्त हैं,
या कभी खाने से पहले, या कभी खाने के बाद !

—"बेख़ुद" देहलवी

१—हवा, २—कङ्घी, ३—प्रेम की आशा, ४—दीपक, ५—बेचैनी, ६—प्रार्थना, ७—असलियत जान जाना, ८—नाश होने वाला शरीर, ९—मौत, १०—क़ब्र का कोना, ११—घर, १२—शराब पिलाने वाले की आँख, १३—बेहोश, १४—रास्ते के पत्थर, १५—शराब-ख़ाना,

क्या हिना[16] ख़ूँ रेज़[17] निकली, हाय पिस जाने के बाद,
बन गई तलवार उनके हाथ में आने के बाद !

नींद का क्या ज़िक्र हमदम दिल कहीं आने के बाद,
ख़्वाब हो जाता है सोना, आँख लड़ जाने के बाद !

.खूने नाहक़ लेके रहता है एवज़ जल्लाद से,
शम्अ भी रुख़सत हुई, जल-बुझ के परवाने के बाद ।

हम न कहते थे कि साक़ी प्यास बुझने की नहीं,
आ गई नौबत .खुमो[18] मीना की, पैमाने के बाद !

नातवाँ हूँ कर न बेख़ुद जलवए जानाँ[19] मुझे,
आप में आना है मुश्किल, आप से जाने के बाद ।

शम्आ माशूक़ों को सिखलाती है तर्ज़े आशिक़ी,
जल के परवाने से पहले बुझके परवाने के बाद ।

चल गया रिन्दों[20] में दौरे जाम कह दो चर्ख़[21] से,
अब तेरी गर्दिश की क्या हाजत है पैमाने के बाद ?

आशना होकर बुतों के, हो गए हक़[22] आश्ना,
हमने काबे की बिना डाली है बुतख़ाने के बाद ।

जान पर खेले तो शुहरत हो मुहब्बत में नसीब,
उड़ चला है, नाम परवानों, का जल जाने के बाद ।

.खूगरे[23] ज़ौक़े असीरी[24] पाएँगे ऐसा कहाँ,
रोएँगे तौक़ो सलासिल[25] तेरे दीवाने के बाद ।

अब न वह गुलचीं[26] का खटका, अब न वह ख़ौफ़े ख़िज़ाँ
हो गई आज़ाद बुलबुल, दाम में आने के बाद !

मैकदे की कैफ़ियत साक़ी न भूलेगी कभी,
रक़्स[27] करना हाय वह मस्तों का पैमाने के बाद ।

शम्अ महफ़िल का हुआ वह रङ्ग उनके सामने,
फूल की होती है सूरत, जैसे मुरझाने के बाद ।

सच यह कहते हैं कि हँसने की जगह दुनिया नहीं,
चश्मे[28] इबरत है चमन में फूल मुरझाने के बाद

फ़िक्र काफ़ी हो, तो निकले मानिए रङ्गीं "जलील"
लाल उगलती है ज़बाँ ख़ूने जिगर खाने के बाद ।

—"जलील" हैदराबादी

१६—मेहँदी, १७—.खून बरसाने वाली, १८—घड़ा, १९—प्रेमिका की ज्योति, २०—शराबी, २१—आकाश, २२—ईश्वर को जान जाना, २३—आदी, २४—क़ैद होने का मज़ा, २५—ज़ञ्जीर, २६—फूल चुनने वाला, २७—नाचना, २८—शिक्षा ग्रहण करने वाली आँख,

कहते हैं दिल थाम कर वह, मेरे मर जाने के बाद,
होगा क्या दीवाना कोई, ऐसे दीवाने के बाद !

आतशे[29] ग़म से वह जल कर मिल गया जब ख़ाक में,
शम्अ रोती रह गई, महफ़िल में परवाने के बाद ।

बेकसी यह कह के रोती है हमारी क़ब्र पर,
पूछने वाला नहीं, अब कोई मर जाने के बाद !

हज़रते ज़ाहिद तुम्हें जल्दी है नाहक़ इस क़दर,
सैर हम काबे की भी, देखेंगे बुतख़ाने के बाद ।

यह अयादत[30] का तरीक़ा ही जुदा दुनिया से है,
देखने आए वह मुझको, मेरे मर जाने के बाद ।

हज़रते नासेह, यूँ ही बकते हैं, बकने दीजिए,
दिल यह समझाता है मुझको उनके समझाने के बाद

बैठ रहना थक के, ऐ जोशे जुनूँ अच्छा नहीं,
दूसरा वीराना देखें, एक वीराने के बाद ।

जब यह देखा, प्यास इससे मेरी बुझ सकती नहीं,
दे दिया साक़ी ने मुझको, .खुम भी पैमाने के बाद ।

होते होते हो गया, रुख़सत निगाहों का हेजाब,
खुल गया मुझसे कोई, कुछ देर शर्माने के बाद ।

हज़रते नासेह से, कोई बात बन आती नहीं,
दिल को भी समझाते हैं, वह मुझको समझानेके बाद

देख लेना यह वफ़ाएँ, याद आएँगी तुम्हें,
क़द्र मेरी होगी तुमको, मेरे मर जाने के बाद ।

कौन होता है दिले अफ़सुर्दा[31] का पुरसाने[32] हाल,
फूल की .खुशबू भी, चल देती है मुरझाने के बाद !

हम तेरी बख़शिश[33] के क़ायल होंगे ऐ पीरे मुग़ाँ[34],
दूसरा पैमाना भी दे, एक पैमाने के बाद ।

क़ैस[35] के मरने पे मुझको मिल गई जागीरे दश्त[36],
देखिए अब कौन पाए, मेरे मर जाने के बाद !

यह अदा भी मेरे क़ातिल की क़यामत ढा गई,
देखना मुड़-मुड़ के वह 'बिस्मिल' को तड़पाने के बाद ।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

२९—प्रेम की आग, ३०—बीमार को देखने आना, ३१—मुरझाया हुआ, ३२—पूछने वाला, ३३—दान, ३४—शराब की दूकान का मालिक, ३५—मजनूँ का असली नाम है, ३६—जङ्गल ।

भारतीय भारत

राजपूताने में दास-प्रथा

[एक भूतपूर्व उच्च कर्मचारी]

मस्त सभ्य संसार से दास-प्रथा उठ गई, यहाँ तक कि नैपाल जैसे अवनत राष्ट्र से भी उसको विदा मिल गई। परन्तु राजपूताने के राज-परिवार और जागीरदार-परिवारों में वह अब तक जारी है। क्षत्रिय नरेश जैसे अनेक पुरातन रूढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही इस प्रथा को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। दो-तीन रियासतों के सिवाय अन्य रियासतों में दास-प्रथा के पक्ष में कोई क़ानून नहीं है, परन्तु परम्परागत दास-वृत्ति के कारण दास लोग इतने दबे हुए हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का उनको कभी साहस ही नहीं होता। अभी तक राजपूताने की किसी रियासत में किसी दास ने दासता छोड़ने का न प्रयत्न किया है और न उसके स्वामी को उसके विरुद्ध कोई कार्रवाही करने का मौक़ा मिला है। यदि कोई ऐसा मामला आवे तो पता चले कि बीकानेर और जयपुर की हाईकोर्टों से इस सम्बन्ध में क्या फ़ैसला होता है। कुछ रियासतों में तो क़ानून है कि दास अपनी दासता नहीं छोड़ सकता। यह क़ानून-कलङ्क कोटा जैसी उन्नत रियासत में भी चालू है। हमको एक पत्र से मालूम हुआ है कि आज से दस वर्ष पूर्व यह क़ानून कम से कम लिखित-रूप में तो नहीं था। परन्तु जब आपजी ओङ्कारनाथ सिंह जी कोटा के मन्त्री बने, तो आपने इस क़ानून को लिखित-रूप में जारी करके सुयश प्राप्त किया। इस समय कोटा राज्य में क़ानून है कि कोई दास अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता, यदि वह चुपके से छोड़ भागे, तो कोई उसको नौकर नहीं रख सकता और न रियासत में उसको कोई नौकरी मिल सकती है। क़ानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि दास अपनी वृत्ति छोड़ कर दूकान करने या अन्यत्र नौकरी करने लग जावे, तो भी उस पर कोई अपराध लगाया जा सकता है या नहीं? लेखक यह भी निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि यदि कोई दास स्टेशन की सीमा के अन्दर जावे, अपने स्वामी की आज्ञा मानना छोड़ दे और गाड़ी में बैठ कर प्रस्थान करने लगे, तो उसका स्वामी उसको रोक सकता है या नहीं?

राजपूताने में दासों की एक जाति होती है, जिसको 'पासवान' या 'दरोगा' कहते हैं। घृणा प्रकट करने के लिए इन लोगों को 'गोला' भी कहा जाता है। जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में ये लोग बहुत मिलते हैं। परन्तु ऐसी कोई रियासत नहीं है, जहाँ इनका अभाव हो। राज-परिवारों में तो दास-दासियों की संख्या का कहना ही क्या, परन्तु ठिकानों में भी इनकी कमी नहीं होती। यहाँ तक कि जो राजपूत थोड़ा भी सम्पन्न होता है, वह भी एक-दो दास-दासी अवश्य रखता है। मनुष्य-गणना में इन लोगों की ठीक संख्या जानने का सरकार ने कभी प्रयत्न नहीं किया, वरना पता लगता कि सम्पूर्ण राजपूताने में इनकी कितनी तादाद है। अभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि दास लोग किस नसल के हैं। लेखक ने इस विषय में डॉक्टर शर्मा और महामहोपाध्याय पं० गौरीशङ्कर ओझा को विनीत-पत्र लिखे, परन्तु दोनों ही विद्वानों ने उत्तर देने की कृपा नहीं की। सम्भव है, हमारा अनुमान ठीक न निकले, परन्तु 'दरोगा' जाति की भाषा, रीति-रिवाज, धर्म, खान-पान और अन्य संस्कारों से यह पता चलता है कि ये लोग साँकर क्षत्रिय हैं। दरोगाओं की खोपड़ी और शरीर की रचना भी राजपूतों से मिलती-जुलती है। राजपूतों में उपपत्नियाँ और ख़वासें रखने की पुरातन प्रथा तो है ही, और अन्तःपुर की दासियों के साथ व्यभिचार करने से इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि जब वर्तमान राजपूतों ने इस देश पर अधिकार जमाया तो परास्त लोगों की और अन्य ग़रीब लोगों की स्त्रियों को पकड़-पकड़ कर अपनी दासियाँ बना लिया। इन स्त्रियों से जो सन्तानें हुईं, उनसे दासता करवाई जाने लगी और इस प्रकार दरोगा या पासवानों की जाति बनी। इस समय सैकड़ों ऐसी दासियाँ हैं, जिनका नरेशों तथा जागीरदारों से गुप्त सम्बन्ध है। ऐसे व्यवहार से जो सन्तानें होती हैं, वे अभी पासवान ही कहलाती हैं। यदि कोई जागीरदार या नरेश प्रत्यक्ष में किसी स्त्री को ख़वास बना लेता है, तब तो उसकी सन्तानें ख़्वासियों सन्तानें कहलाती हैं और उनका पद शुद्ध राजपूतों से नीचा तथा पासवानों से ऊँचा माना जाता है; परन्तु गुप्त व्यभिचार से जो राजपूत सन्तानें उत्पन्न करते हैं, वे जन्म से ही दास बन जाती हैं। ख़्वासीणे लोग भी दो-तीन पीढ़ियों के बाद पासवान माने जाने लगते हैं।

पासवानों की स्त्रियाँ अन्तःपुर में दासता करती हैं, और पासवान लोग मर्दाने में ऐसा कोई काम नहीं होता, जिसको ये लोग न करें। यहाँ तक कि पाख़ाना और पेशाब भी इनसे उठवाया जाता है। सारांश यह है कि व्यक्तिगत सेवा सब पासवान ही करते हैं। इस नौकरी के लिए इनको प्रायः केवल रोटी और कपड़ा ही दिया जाता है। कभी-कभी एक-दो रुपया बख़्शीस के नाम से भी इनको मिल जाता है। कुछ रियासतों में इनको अब कुछ रुपए भी मिलने लगे हैं, परन्तु अधिकांश राज्यों में केवल अन्न और वस्त्र ही मिलता है, पासवानों की स्त्रियों को कहीं भी रुपए नहीं दिए जाते, वे पूर्णरूप से दासियाँ ही हैं। पासवानों के पास कपड़े, बर्तन, रुपया, पैसा, जो कुछ भी होता है, वह सब उनके स्वामी की सम्पत्ति माना जाता है। कहीं ऐसा क़ानून तो नहीं है, लेकिन व्यवहार सर्वत्र ऐसा ही है। जब कोई पासवान निःसन्तान मर जाता है, तो उसकी सम्पत्ति का स्वामी उसका मालिक बनता है। पासवानों के बच्चे भी उनके मालिकों की जायदाद माने जाते हैं। उनको वे अपनी लड़कियों के दहेज में बर्तन और पशुओं की भाँति दे सकते हैं। इनको यह अधिकार नहीं है कि वे नए मालिक के पास जाने से इन्कार कर दें। लड़कियों के साथ जो दासियाँ दहेज में दी जाती हैं, उनकी, लड़की के ससुराल में, बराय-नाम की शादियाँ कर दी जाती हैं। वास्तव में अन्तःपुर में रहने वाली दासियाँ विवाहित हों या अविवाहित, दोनों समान हैं। विवाहित कहलाने वाली स्त्रियों को अपने नामधारी पतियों के पास रहने को वर्ष भर में दो-चार दिन भी बड़ी कठिनता से मिलते हैं।

अन्तःपुरों में जो ख़राबियाँ होती हैं, उसका मूल कारण दास-प्रथा है। पुरानी शान के जागीरदार तो यह समझते हैं कि दास और दासियों की संख्या से उनकी प्रतिष्ठा है। जब महाराणी साहिब राजप्रासाद से बाहर कहीं पधारें, तो उनके बन्द और 'एअरटाइट' यान के पीछे सौ-दो-सौ युवती दासियों का होना आवश्यक समझा जाता है। इसी प्रकार जब ठकुराणी जी कहीं जावें तो उनके रथ के साथ भी १०-५ दासियों का पैदल दौड़ना लाज़मी है। इसी शान की रक्षा के लिए विवाह-समय दहेज में दास और दासियाँ दी जाती हैं। इन दासियों को दावड़ी, बडारण, डायजवाल, बाई आदि कहा जाता है। इनको रात-दिन चौबीस घण्टे अन्तःपुर में बन्द रहना पड़ता है। लड़की का पिता जिन दासियों को दहेज में देता है, उनका विवाह लड़के के यहाँ दासों के साथ कर दिया जाता है, परन्तु यह केवल नाम-मात्र की कार्रवाई है। इस प्रकार के पति-पत्नी न आपस में प्रायः मिल सकते हैं, न साथ रह सकते हैं, न इच्छानुकूल खा-पहन सकते हैं और अगर कोई बच्चा हो जाय तो न उसको अपनी इच्छानुकूल खिला-पिला सकते हैं और न लिखा-पढ़ा सकते हैं। अनेक युवती स्त्रियों को इस प्रकार बन्द रखना अनाचार पैदा किए बिना नहीं रह सकता। इनके लिए अन्तःपुर एक प्रकार का निरवधि कारागार है और वह भी ऐसा, जो इनकी कामवृत्ति और विलास-कामना को निरन्तर उत्तेजित रखता है। ठाकुर और ठकुराणियों के भोग-विलास में दासियाँ आवश्यक उपकरण और साधन हैं। उनकी विलास-केलियाँ, मद्यपान, गायन और नाना प्रकार की भोग-विधियों को ये युवतियाँ रात-दिन देखतीं ही नहीं, बल्कि स्वयं अपने हाथों से जुटाती हैं। इस प्रकार की उत्तेजक परिस्थिति के कारण दासियों का मन कभी शान्त नहीं रहता। उनका जीवन यौवन-प्रलोभ और विवशता के बीच चूर हो जाता है। एक ओर उत्तेजना और दूसरी ओर विवशता तथा दमन, इस भयङ्कर स्थिति का केवल सहृदय पाठक ही अनुभव कर सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जागीरदार की या नरेश की कन्या की अवस्था तो होती है कम और उसके साथ दहेज में जाने वाली दास-पुत्रियाँ होती हैं युवतियाँ। ऐसी अवस्था में इन बेचारियों को अपने नाम-मात्र के विवाह के लिए भी अवसर नहीं मिलता। अपने स्वामी की कन्या का विवाह होता है, तब तक इनका बुढ़ापा आने वाला होता है। दहेज में जाने के बाद लड़की के ससुराल में इनको चाहे जैसे पासवानों के सुपुर्द कर दिया जाता है। ठिकाणा धाणेराव में लेखक ने एक ऐसा पास-

वान देखा, जिसकी अवस्था लगभग १६ वर्ष की थी और उसकी नामधारी स्त्री की आयु प्रत्यक्ष में ३५ वर्ष की। इन सब कुरीतियों का अन्तःपुर के जीवन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अशान्त यौवन का उन्माद, पागलपन का मौन प्रलाप, और दबी हुई कामाग्नि का ताप, अन्तःपुर के वायु-मण्डल को काम-वासनामय बना देता है। रात-दिन ठकुरानियों में और दासियों में भोग-विलास की चर्चा रहती है। युवती दासियाँ अपनी आग को शान्त करने के साधनों की तलाश में रहती हैं। किसी के गुप्त सम्बन्ध का पता लग जाने पर ठाकुर और ठकुरानी इनको अत्यन्त नृशंस दण्ड देते हैं। इनको पीटना, घसीटना, धूप में खड़ी रखना, रोटी-पानी न देना, पिसवाना, छत के कड़े से लटकाना आदि साधारण दण्ड-प्रकार हैं। ये असहाय स्त्रियाँ न किसी से पुकार कर सकती हैं और न किसी में इनकी पुकार सुनने का सामर्थ्य है। इनके यदि बच्चे हुए तो वे अपनी माताओं को पिटती हुई देख कर सिसकियाँ भरने लगते हैं और अपने निर्बल हाथों से अपनी माँ की रस्सी खोलने का प्रयत्न करने लगते हैं। इन बच्चों की विकलता, रुदन और करुण अवस्था को देख कर ठाकुर साहिब और ठकुरानियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। पाप और अत्याचार की आवृत्तियों से जिनका हृदय कठोर हो जाता है, उन पर करुण दृश्य का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठाकुर लोग समझने लग गए हैं कि दास-दासियों पर इस प्रकार अत्याचार करना उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है। नरेश और जागीरदारों के बालक इस निर्दय वायु-मण्डल में पलने के कारण स्वयं कठोर प्रकृति के बन जाते हैं। जन्म से ही वे लोग ईर्ष्या, द्वेष, नैराश्य, विलास, पाप, षड्यन्त्र और अनाचार का दृश्य देखते हैं। जीवन की सुन्दरता, उच्चता और पवित्रता का कभी उनको दर्शन भी नहीं होता। ज्ञान-चर्चा और पुण्य-प्रशंसा उनके कानों तक कभी पहुँचने भी नहीं पाती। सत्सङ्ग का उनको अवसर नहीं मिलता। शिष्टता की उनको आवश्यकता नहीं होती। रात-दिन उनको शराब के प्याले, मांस-पिण्ड, दासियों का पारस्परिक द्वेष और कलह, उनके प्रति नृशंस व्यवहार और अमानुषिक अत्याचार देखने को मिलता है। अन्तःपुर के इस कलुषित वायु-मण्डल में पले हुए बच्चे क्या मनुष्य बन सकते हैं? दया-दाक्षिण्य, उदारता और क्षमाशीलता वे कहाँ से सीख सकते हैं? लड़के बड़े होने के बाद मेयो-कॉलेज में दो-चार वर्ष पढ़ कर बैठना, उठना, कपड़े पहनना और थोड़ी अङ्गरेज़ी गिट-पिट करना सीख लेते हैं। परन्तु उनके बचपन के संस्कार उनके हृदय से नहीं निकलते। लड़कियों को इतना भी पॉलिश प्राप्त नहीं होता। वे दासियों को ठोकने-पीटने और उनसे अपरिश्रान्त परिश्रम करवाने में ही शान समझती हैं। राजपूतों की लड़कियों में कोई भूले-भटके ही सभ्यता और मनुष्यता आ घुसे तो दूसरी बात है, वरना उनके अन्तःपुर में तो केवल राक्षसी बनने के ही साधन होते हैं।

दास-दासियों के बच्चों की दशा अत्यन्त दयनीय होती है। बेचारों के बाप होते हुए भी ये माँ-बाप के लालन-पालन से वञ्चित रहते हैं। बाहर बाप को काम से अवकाश नहीं मिलता और भीतर उनकी माताएँ दासता से छुट्टी नहीं पातीं। यहाँ तक कि इन बच्चों को कभी-कभी तो माताएँ दूध भी अच्छी तरह नहीं पिला सकतीं। माता और पिता के सुख से वञ्चित रहने के कारण इन बच्चों को माँ-बाप के साथ विशेष स्नेह भी नहीं होता। जब ये बीमार होते हैं, तो न माँ-बाप इनका इलाज करवा सकते हैं और न पथ्य-पानी दे सकते हैं। यदि ठाकुर और ठकुरानी को भूल से दया आ गई, तो कुछ प्रबन्ध हो जाता है, वरना प्रकृति ही इनकी चिकित्सा करती है। तीन वर्ष के होते ही इनसे काम लिया जाना शुरू हो जाता है। विवश माताएँ करुण नेत्रों से देखती रहती हैं और उनके प्यारे बच्चों के नन्हें-नन्हें हाथों से वीर-शिरोमणि ठाकुर और वीर-पत्नी ठकुरानी घण्टों तक पङ्खा खिचवाया करते हैं। पाठकों को शायद अत्युक्ति जान पड़े, लेकिन लेखक ने जयपुर और जोधपुर के कई ठिकानों में ३ और ४ वर्ष के बीच दास-बालकों को दो-तीन घण्टे लगातार खड़े रह कर पङ्खा खींचते हुए और थक कर बैठ जाने पर पिटते देखा है। इनके माँ-बाप को इतना अधिकार नहीं कि इनको काम करने से रोक सकें और अपनी कमाई से इनका पालन-पोषण कर सकें। ठाकुर साहिब का यह सिद्धान्त है कि यदि दास-बच्चे रोटी खाते हैं, तो उनको काम भी करना चाहिए। माँ-बाप जो काम करते हैं, उसके लिए उनको रोटी मिलती है और बच्चे जो खाना खाते हैं, उसके लिए उनको अलग काम करना चाहिए। अभी तक किसी पासवान ने इस प्रथा का खुल्लमखुल्ला विरोध करके मामले को किसी न्यायालय तक नहीं पहुँचाया है। हमारी धारणा है कि किसी भी रियासत की अदालत यह फ़ैसला नहीं देगी कि दास का बच्चा ठाकुर के यहाँ से ही खाता है, इसलिए वह उसका दास है। जो बच्चे इस प्रकार घास और जङ्गली पौधों की भाँति बड़े होते हों और जिनको जन्म से ही अपने रोटी के टुकड़ों के लिए दासता करनी पड़ती हो, उनकी शिक्षा की तो कल्पना करना ही व्यर्थ है। दासता की बेड़ियों में जकड़े हुए हज़ारों बच्चों को इस प्रकार जीवन की सुन्दरता से और उन्नति के मार्ग से वञ्चित रक्खा जाता है। यदि इनको अनुकूल अवसर मिले तो क्या यह असम्भव है कि ये लोग देश के लिए उपयोगी नागरिक बन सकें और इनमें कितने ही जीवन-साफल्य प्राप्त कर सकें? परन्तु बेचारे जन्म से ही अपनी माताओं पर और स्वयं अपने ऊपर अनेक भीषण अत्याचारों को देखते-देखते इतने दब्बू और त्रस्त-प्रकृति बन जाते हैं कि पशुओं की भाँति अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं।

अन्तःपुर की दासियों पर नरेशों और ठाकुरों का अनुरक्त होना "रावलों" की साधारण घटनाएँ हैं। प्रायः यह होता है कि नववधू के साथ दहेज में आई हुई सुन्दर युवतियों पर युवा ठाकुर मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार के सम्बन्ध का आदि-प्रकरण बड़ा सङ्कट-सङ्कुल होता है। जब ठकुरानी को यह पता लगता है, तो वह दासी को ठोंकती-पीटती है और ठाकुर साहिब ठकुरानी को कोप-दृष्टि से देखने लगते हैं। दासियों की भी पार्टियाँ बन जाती हैं। कुछ ठकुरानी का साथ देती हैं और कुछ नव-प्रेमियों का। अन्त में विजय ठाकुर साहिब की होती है और ठकुरानी अपने भाग्य की रेखा को अटल मान कर धैर्य धारण करने लगती हैं। ठाकुर साहिब की प्रेम-पात्रा दासी वास्तव में ठकुरानी बन जाती है और अन्तःपुर में उसी की चलने लगती है। सब कुछ होते हुए भी जानने में तो दासी, दासी ही बनी रहती है, परन्तु जब नरेश या ठाकुर अपने गुप्त और पतित प्रेम की घोषणा कर देता है, तो वह 'ख़वास' या 'पातर' कहलाने लगती है। 'ख़वास' बनाई जाने पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। यदि ऐसी स्त्रियाँ पहिले से कुमारी हों, तब तो कोई बात ही नहीं। परन्तु यदि नाम-मात्र को विवाहिता हुईं, तो भी ठाकुर साहिब की इच्छापूर्ति में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। ज्योंही ठाकुर साहिब की दृष्टि में कुछ रस दीखा, त्योंही वह स्त्री स्वयं अपने पति से मिलना छोड़ देती है और वह बुलाने भी तो वह जाती नहीं। जब उसको मालूम हो जाता है कि उसकी स्त्री पर ठाकुर साहिब की दया-दृष्टि हो गई, तो वह स्वयं उसको बुलाने का साहस नहीं करता और ख़वास बना ली जाने पर तो वह ज़िक्र तक करने से डरने लगता है। हमारा ख़्याल है कि ऐसा आदमी यदि ठाकुर के ऊपर ताज़ीरात हिन्द के अनुसार मुक़दमा दायर करे, तो दो-चार रियासतों के सिवाय शेष सब जगह की अदालतें उसको ख़ारिज नहीं करेंगी।

जिन अत्याचारों का ऊपर की पंक्तियों में वर्णन है, वे प्रत्येक ठिकाणे में या राजप्रासाद में नहीं होते। कई जगह दास और दासियाँ अत्यन्त सुख में हैं। डिग्गी ठिकाणे के एक पासवान को लेखक ने सलाह दी कि वह अपनी लड़की को ज़नाने में से किसी प्रकार भगा कर अजमेर पहुँचा दे, तो वह दासता से छूट सकती है और किसी योग्य लड़के के साथ उसका विवाह किया जा सकता है। हमने उससे यह भी कहा कि यदि वह और उसकी स्त्री भी ठिकाणों की कोई चीज़ अपने साथ न लेकर भाग आवें तो उनको भी ठाकुर डिग्गी वापस नहीं बुला सकते। उस वृद्ध पासवान ने जो उत्तर दिया, वह हमको अब तक अक्षरशः याद है। उसने कहा—"मेरी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुज़र गईं। हमको काल (दुर्भिक्ष) की परवाह नहीं और सुकाल की परवाह नहीं। अन्न और कपड़े की कोई कमी नहीं। ठाकुर साहिब मुझे दादा कहते हैं और मेरी स्त्री को धा कहते हैं। पीटना तो क्या, कभी मुझ पर या मेरी स्त्री और लड़की पर नाराज़ भी नहीं होते। एक बार मैं घोड़े पर बैठ कर जा रहा था, तो उसकी टाँग टूट गई और घोड़ा मर गया। छः-सात सौ रुपए का बछेड़ा था। मैं डर के मारे दो दिन तक ठाकुर साहिब से मिला तक नहीं। फिर उन्होंने ख़ुद ही बुलाया और कहा—दादा, तेरे लगी तो नहीं? ऐसे मेरे मालिक हैं और फिर कहते हैं 'दादा'। मैं उनको छोड़ कर कहाँ जाऊँ? मेरी लड़की बेचारी जवान है और उसकी शादी होनी चाहिए, पर इसकी चिन्ता मेरे धणी को भी होगी।" वह आदमी फुलेरा से सवाई माधोपुर तक हमारे साथ था। हमने दासता की बुराइयों को समझाने में निरन्तर उद्योग किया और वह समझ भी गया। परन्तु अपने मालिक के व्यवहार, अहसान और स्वभाव पर वह इतना मुग्ध था कि उसको अपनी दासता, दासता ही नहीं मालूम होती थी। बार-बार वह यही कहता था कि "लाल जी सा" मुझे दादा कहते हैं। क्षत्रिय-परिवारों में यह शिष्टता है कि बच्चे अपनी माँ के साथ दहेज में आने वाले दास को मामा और दासी को मौसी कह कर पुकारते हैं। पासवानों को दादा, काका और उनकी स्त्रियों को बा, बीजी, दादी आदि कहते भी हमने बड़े-बड़े ठिकाणों के कुमारों को सुना है। सीतामऊ के सुशिक्षित और योग्य महाराजकुमार एक पासवान को बाबा कहते हैं। सुना है कि कोटा महाराज-कुमार भी दो बुड्ढों को मामा कहते हैं।

इस प्रकार के ममत्व और सद्व्यवहार के कारण दासता की कठोरता तथा भयङ्करता सह्य हो जाती है और कई रियासतों के तथा ठिकाणों के दास-दासी प्रसन्न हैं। पाठकों को यह भी न समझ लेना चाहिए कि राजपूताने में वैसी दासता है, जैसी किसी समय अमेरिका तथा रोम-राज्य में थी। वास्तव में राजपूताने की दास-प्रथा एक विचित्र संस्था है। वह न पूर्णरूप से दासता है, न नौकरी है। पुरुषों के विषय में वह अधिकतर नौकरी है और स्त्रियों के सम्बन्ध में अधिकतर दासता है। फिर भी इतना तो निर्विवाद सत्य है कि पासवान सैकड़ों वर्षों से दासता करते आए हैं, इनका जीवन अन्धकार में कटता है, उन्नति का पथ इनके वास्ते बन्द है, शिक्षा का माधुर्य इनको चखने तक को नहीं मिलता, इनका सुख और दुख इनके मालिक की प्रकृति पर निर्भर है, और इनका सम्पूर्ण जीवन नैराश्यमय होता है। दास-प्रथा के कारण अन्तःपुर में अना-

(शेष मैटर ३१वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

जेलर

[श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

संसार में अधिकतर देशों में और प्राचीन काल से लोगों का विश्वास जेल में क़ैदियों के साथ पशुता का व्यवहार करने पर जमा हुआ है। साधारणतया लोग समझते हैं कि अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति से दूर रखने का सब से अच्छा ढङ्ग पाशविकता का व्यवहार है। लोगों के इस विश्वास को दूर करना सहज नहीं है। पशुबल से पृथ्वी पर कहीं भी, किसी का, कभी भी सुधार नहीं हुआ है। जेलें अनेक देशों में अति प्राचीन काल से स्थापित हैं और उनमें अपराधियों के साथ नृशंस व्यवहार किए गए, पर अपराधियों की संख्या घटने के स्थान पर नित्य-प्रति बढ़ती गई है। कुछ लोग भावुकतावश दया का व्यवहार किए जाने का समर्थन करते हैं, पर इसके आगे बढ़ने से वे भी इन्कार करते हैं। पर अब, जब कि दण्ड-नीति का उद्देश्य समाज-रक्षा और अपराधी की नैतिक उन्नति करना है, तो उनके साथ जेल के भीतर किए जाने वाले व्यवहारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। किसी भी मनुष्य का चरित्र-गठन, स्वावलम्बन और उत्तरदायित्व के द्वारा ही किया जा सकता है। क़ैदी के सम्बन्ध में भी यही बात सत्य है। परन्तु लोगों को यह तुरन्त हृदयङ्गम करा देना सुगम नहीं है। इस लेख में इसी बात के स्पष्टीकरण का उद्योग किया जायगा। परन्तु इससे पहले क़ैदियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे लिखी जाती हैं, जो जेलों के विस्तृत अनुभव के बाद निश्चित की गई हैं :—

(१) बन्दी मनुष्य हैं और अधिक बातों में हम लोगों के समान ही।

(२) वे बलपूर्वक वश्य या आज्ञाकारी बनाए जा सकते हैं, पर उनका सुधार इस प्रकार नहीं किया जा सकता। बल से वश में लाने पर समय-समय पर के विद्रोह अवश्यम्भावी और अनिवार्य हैं।

(३) वे अनुग्रह और अच्छे व्यवहार की रियायत के रूप में घूस द्वारा भी नहीं सुधारे जा सकते।

(४) बन्दीगण भावुकता पसन्द नहीं करते।

(५) वे न्याय पसन्द करते हैं, जब उनके साथ किया जाता है।

(६) उनमें से अधिक लोगों में मानसिक न्यूनता (Mental Defect) नहीं होती ; अनेक काफ़ी चतुर होते हैं।

(७) यदि हम जेलख़ानों से समाज-रक्षा में सहायता चाहते हैं, तो इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा, अन्यथा हमारे जेलख़ाने अपराधों के महार्घ शिक्षालय ही रहेंगे।

जेलख़ानों में क्रूर और दया के व्यवहार काम में लाए जा चुके हैं, पर इनसे उद्देश्य-सिद्धि में तनिक भी सहायता नहीं मिली है। इसलिए अब हमें जेलख़ानों का सङ्गठन इस प्रकार करना होगा, जिसमें क़ैदी की सच्ची मानसिक अवस्था का भी विचार रहे। जेलख़ानों के सङ्गठन और सुधार की वास्तविक भित्ति अपराध और दण्ड के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की जाँच पर होनी आवश्यक है। देखना यह है कि क़ैदी किस प्रकार के व्यवहार से अपने रोग से मुक्ति पा जायगा और समाज का शत्रु न होकर मित्र बनेगा। हमारी वर्तमान कारागार प्रथा असफल सिद्ध हुई है। इधर कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, पर वे अधूरे ही नहीं, वरन् कुछ नहीं के बराबर हैं।

पहले साधारण अपराधों के लिए प्राण-दण्ड मिलता था और अब बहुत थोड़े अपराधों के लिए मिलता है। परन्तु वास्तव में अब प्राण-दण्ड उठा देने का समय आ गया है।

कठोरता बालकों या मनुष्यों पर शासन करने का पथ नहीं है। कठोरता द्वारा किसी बालक या मनुष्य का सुधार होते नहीं देखा गया है। इसी से स्कूलों से बेत की सज़ा उठा दी गई है।

जेलख़ानों का अस्तित्व समाज-रक्षा के लिए ही है। इसलिए इस सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों का उत्तरदायित्व महान होता है। परन्तु खेद है कि जेल-अधिकारियों की नियुक्ति के समय इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रक्खा जाता। वास्तव में उचित तो यह है कि जेल-अधिकारियों के निर्वाचन में अधिक नहीं तो उतनी सतर्कता से काम तो अवश्य लेना चाहिए, जितनी सतर्कता कि कॉलेज के अध्यापकों के निर्वाचन में रक्खी जाती है। इस सम्बन्ध में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी विज्ञ मनुष्य इससे असम्मत न होगा।

यह पुराना सिद्धान्त कि जेलख़ानों के कार्य प्रतिहिंसा, सभय निवृत्ति और सुधार हैं, बिल्कुल ग़लत है।

बदला लेने की प्रवृत्ति घृणास्पद ही नहीं, वरन् प्रत्यक्ष रूप से घृणा और दुष्ट भाव उत्पन्न करने वाली है। यदि बदला लिया जाय तो साथ ही यह आवश्यक है कि वह ठीक नपा-तुला हो, जैसे—आँख के बदले आँख निकाल लेना और दाँत के बदले दाँत तोड़ देना। परन्तु एक क्षण सोचने के बाद ही यह समझ में आ जायगा कि अब यह सम्भव नहीं है। अपराधी अपराध करने के लिए स्वयं कितना उत्तरदायी है, यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। उसके अपराध के कारणों में उसके पैतृक प्रभाव, बाल्यावस्था में उसके चारों ओर की परिस्थिति और वे कारण भी शामिल हैं, जिन पर अपराधी का कोई अधिकार नहीं होता। यदि इनका पृथक-पृथक निश्चय किया जा सके, तभी सज़ा नपी-तुली होगी। यदि अपराध को देखते हुए दण्ड कम मिला, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दण्ड कम मिलने से अपराधी को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। वह सोचेगा कि जितना दण्ड मिलना उसे उचित था, उससे कम उसे मिला, इसलिए वह लाभ में ही रहा। और यदि दण्ड अधिक दिया जाता है तो भी बुरा है। उचित से अधिक दण्ड पाने पर उसमें कटु और प्रतिहिंसक भाव उदय होंगे और इससे अपराध करने के लिए वह प्रोत्साहन पावेगा। इस प्रकार दोनों हालतों में हमारा उद्देश्य सफल न होगा और उसके परिणाम-स्वरूप समाज को हानि उठानी होगी।

प्रत्यक्ष सुधार की भित्ति पर किए जाने वाले क़ैदियों के साथ व्यवहार से भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। अपराधी या साधु, कोई भी दूसरे के कहने से अपने चरित्र या स्वभाव को बदलने पर उद्यत नहीं होता और बलात् सुधार करने का प्रयत्न तो अवश्यमेव असफल होता है, क्योंकि सुधार मनुष्य के अन्दर से होता है। फिर क्या हमारे सब कार्य ऐसे होते हैं, जिनका अनुकरण करने को हम दूसरों से कह सकते हैं? दूसरों से सुधरने को कहने का हमें क्या अधिकार है, जब हममें स्वयं अनेक दुर्गुण विद्यमान हैं? क्या हमारे पुलिस कर्मचारियों में, न्यायकर्ताओं में सभी ईमानदार ही हैं? पुराना अपराधी भली-भाँति जानता है कि उसकी पाप की कमाई में पुलिस-अफ़सरों का भाग रहता है।

कारागारों का मुख्य उद्देश्य निवृत्तिकारक है। समाज को भूतकाल की चिन्ता नहीं होती, पर भविष्य की चिन्ता से वह व्यग्र रहता है। जो अपराध हो गया वह हो गया। भविष्य में कोई किसी प्रकार का कुकृत्य न करे, यही समाज चाहता है। किया हुआ कुकृत्य एक व्यक्ति के लिए कुछ महत्व रखता है, पर सुसङ्गठित समाज के लिए वह कुछ भी महत्व नहीं रखता। अपराधी के साथ चाहे जैसा व्यवहार किया जाय, उसके द्वारा किए हुए अपराध की घटना में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता। केवल इस बात का ध्यान रहता है कि अपराधी भविष्य में स्वयं अपने कुकृत्य की पुनरावृत्ति न करे और दूसरे भी कुकृत्य से दूर रहें। अपराधी को जेल भेजने का उद्देश्य यही हो सकता है। जेल जाने पर अपराधी व्यक्ति अपनी प्रिय स्वतन्त्रता को खो बैठता है और साथ ही समाज में उसकी अपकीर्ति होती है। उसके बाद बुद्धिमानी इसी बात में है कि उसके साथ कारागार में ऐसा व्यवहार किया जाय कि जिससे वह फिर वैसा कृत्य न करे और साधु-जीवन व्यतीत करना सीखे। इस प्रकार वह स्वयं कुकृत्यों से दूर रहेगा और दूसरों को दूर रहने के लिए प्रभावित कर सकेगा।

योग्य कारागार-प्रथा चोरी (अपराध) बीमा का सर्वोत्तम प्रकार है।

यदि कारागार का उद्देश्य ऊपर लिखा हुआ मान लिया जाय, तो दण्ड की अवधि का अनिश्चित होना उचित है। यदि कोई डॉक्टर रोगी को अस्पताल में एक निश्चित समय के लिए ही रक्खे और उस समय को पहले ही नियत कर देवे तो वह डॉक्टर पागल समझा जावेगा। यही बात हमारी वर्तमान जेल-प्रथा पर लागू होती है। बहुधा यह देखा गया है कि एक भयङ्कर पुराना अपराधी अनेक बार अपराध करके भी एक अपराध के लिए साधारण दण्ड पाता है और दूसरा अपराधी पहिली बार जुर्म करने पर भी उससे कठोर दण्ड का भागी होता है। सच बात तो यह है कि यदि अदालतों में दिए हुए दण्डों को अपराधियों के चरित्र और उनके कुकृत्यों के अनुसार देखा जाय, तो उनमें अन्तर देख कर चकित होना होगा।

किसी को जेल भेजने का उद्देश्य समाज-हित रखने पर कुछ लोगों को आजन्म कारागार में रखना होगा, अधिक लोगों को बहुत थोड़े समय के लिए जेल में वास करना होगा और कुछ को तो तुरन्त छोड़ देना होगा—जो फिर अपराध न करेंगे।

परन्तु प्रश्न यह है कि यह निवृत्तिकारक प्रभाव अधिक से अधिक किस प्रकार डाला जा सकता है? इसके लिए कठोरता के पुरातन पथ को छोड़ना होगा। अपराधी के जेल जाने पर उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण और दण्डित होने पर समाज में अपकीर्ति ही सब से बड़े दण्ड उसके लिए हैं। ऊँची-ऊँची दीवारों के भीतर मनुष्य के बन्द हो जाने पर वहाँ उसके साथ बर्ती हुई कठोरता दण्ड नहीं, यातना है। हमारा इशारा केवल बेत लगाने,

धोखा साबित करनेवालेको ५००) रु० ईनाम ।

नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १२ शीशी लेनेसे मजबूत टाईम-पीस, २४ लेनेसे असली रेलवे पाकेट ३६ लेनेसे सुनहरी कलाई घड़ी मुफ्त ईनाम । प्रत्येक घड़ीकी गारन्टी ३ वर्ष । डाक खर्च अलग देना होगा ।

[नोट—अर्क कपूर ।) पुदीना ।=) का ।), सुरमा ॥) का, कामिनी तैल ।॥) का ॥), कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दी जा रही हैं । २७००० से ज्यादा ग्राहक और एजेन्ट हो चुके हैं । व्यापारियों-को खास दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे ।]

अर्क कपूर—हैजेकी शर्तिया दवा　कीमत ।)
अर्क पुदीना सब्ज—अजीर्ण व पेट दर्द आदिमें　,, ।)
अर्क पीपरमेन्ट (तैल)—खाने व लगानेका　,, ।)
सुरमा—भीमसेनी कपूरसे बना हुआ　,, ।)
नमक सुलेमानी—पेट रोगोंमें मशहूर　,, ।)

दादका मलहम—२४ घंटेमें शर्तिया फायदा कीमत　।)
प्राणदा—सब तरहके बुखारोंमें अक्सीर　,, ।)
सप्तगुण तैल—जला, चोट, वाय-दर्द आदिमें　,, ।)
अग्निमुख चूर्ण—अत्यन्त स्वादिष्ट पाचक　,, ।)
कामिनी बिलास तैल—सुगन्ध की खान　,, ॥)

पता—श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, पोष्टबक्स ६८३५, कलकत्ता ।

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए ! पता—
इण्टर नेशनल कॉलेज, (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड)
३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

–) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए ।
रामदास एण्ड को०,
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता

सच्चा और असली

"नेत्र-बन्धु सुर्मा"

रतौंधी, तारीकी, धुन्ध, जाला, माड़ा, लाली, मोतियाबिन्द, ढलका, नाख़ूना और खुजली अर्थात् नेत्र सम्बन्धी तमाम रोगों को जड़ से आराम कर देने के लिए हमारा यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और गुण सम्पन्न है । अगर आँखों में किसी क़िस्म की शिकायत न भी हो, तो भी इसे बराबर लगाने से नेत्र की ज्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वाली तमाम बीमारियों से बचाए रखता है । बच्चे, जवान, मर्द और औरत सबको समान रूप से हितकारी है । दाम प्रति तोला १) रुपया, डा० म० अलग । एक तोला से कम सुर्मा नहीं मिलेगा ।

पता—एस० ए० बी० बक्सी एण्ड कं०
कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

ऐसा कौन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ?

तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ

कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दर्द, क़ै, दस्त, जाड़े का बुख़ार (इन्फ़्लूऐन्ज़ा) बालकों के हरे-पीले दस्त और ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाले रोगों की एकमात्र दवा है । इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत न होने से मुसाफ़िरी में लोग साथ रखते हैं । क़ीमत ॥) आना डाक-व्यय १ से २ शीशी का ।=)

यदि संसार में बिना जलन और तकलीफ़ के दाद को जड़ से खोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है । दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो या पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा होता है । क़ीमत फ़ी शीशी ।), डा० ख़० १ से २ शीशी का ।=)

सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए !
पता—सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा

कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी की

असली और ताज़ी दवाइयाँ –)। प्रति ड्राम क्रमश २४, ३०, ४८, ६०, और १०४ शीशियों वाले फ़ैमिली बक्स की क़ीमत मय एक ड्रापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), ४॥), ६॥।) और १०॥।=) गोलियाँ, दूध की मिठाई, ट्यूब फ़ाएल्स, कार्क, कार्डबोर्ड-केस वग़ैरह सस्ते दाम पर मिलते हैं । उल्लिखित फ़ैमिली बॉक्स यदि अङ्गरेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा ।

पता—एस० आर० बिस्वास एन्ड सन्स, ७५—१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

यदि आपका घर पुत्र-रत्न से शून्य हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए ।

वैद्यराज, पो० वरालोकपुर,
इटावा (यू० पी०)

दोनों घड़ियाँ मुफ़्त

)॥ दो पैसे का लालच न करके आज ही अपना नाम-पता साफ़ हिन्दी में लिख भेजिए, तो ऐसी दोनों घड़ियाँ मुफ़्त में पा सकते हैं ।
पता—मैनेजर नं० १, C/O पो० ब० २८८, कलकत्ता

SWADESHI जर्मन कारीगरों द्वारा हिन्दोस्थान में बना हुआ CLOCK

यह छोटे आकार के क्लॉक गोल या अठपहल दीवार में लगाने या ताक व मेज़ पर रखने दोनों तरह काम में आ सकते हैं, पुर्ज़ों की मज़बूती और ज़्यादा दिन चलने तथा ठीक समय बताने में कोई विलायती ५००) की घड़ी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती । इसमें कूक रोज़ाना देना पड़ता है, १ घड़ी ख़रीद लेने से उम्र भर को छुट्टी हो जाती है । ५ साल की गारण्टी घड़ी के साथ दी जाती है, दाम मय डाक-ख़र्च वग़ैरा ४) में घर बैठे मिलेगी, ज़्यादा १ पैसा न देना होगा । इस पर भी नापसन्द होने पर वी० पी० करके लौटा देने की शर्त की जाती है ।

Rs. 4

रु० ४) नावेल्टी इण्डियन क्लॉक एजन्सी D. बिलडिङ्ग झाँसी JHANSI, U. P.

भूखा रखने तथा अन्य शारीरिक अत्याचारों की ओर ही नहीं है, किन्तु उन बातों के प्रति भी है, जिनसे क़ैदी के हृदय से समाज के प्रति आदर दूर हो जाता है, जैसे भयङ्कर एकरूपता (Monotony), छोटी-छोटी कोठरियों में घण्टों अकेले बन्द रहना, जूँ और खटमलों का बाहुल्य, निःशब्दता की रीति, समस्त स्वाभाविक अन्तर्स्फूर्ति का दमन, नित्यप्रति के अस्वाभाविक पाप का नैकट्य, बात-बात में और क्षण-क्षण पर बुरी से बुरी गाली सुनना और मार-पीट होना, ज़मींदारों के अत्याचार, जेलर तथा अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा, शिकायतों का न सुना जाना, नितान्त असहाय होने का भाव, कष्टों और दुखों का बना रहना आदि। जेल में कुछ अपराधियों का पागल हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि इतने थोड़े लोग ही पागल होते हैं।

जेल से बाहर होने पर ९९ प्रतिशत लोगों के भाव समाज के प्रति अति कटु हो जाते हैं। उनको समाज, पुलिस, न्याय-सभा आदि से तीव्र घृणा होती है। प्रसिद्ध विद्वान बैकन (Bacon) ने लिखा है—"प्लेग के बाद जेल सब से बुरी छूत की बीमारी है, जहाँ क़ैदी अधिक समय तक कठोरता और निर्दयता से रक्खे जाते हैं।" यह वाक्य ३०० वर्ष पूर्व लिखा गया है। उस समय जितनी इसमें सचाई थी, आज भी उतनी ही विद्यमान है। भय से मनुष्य कुछ समय के लिए चुप किया जा सकता है, पर उसका हृदय परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि कठोरता से सफलता मिल सकती, तो आज पृथ्वी पर कारागार कौतुकागार होते।

सर्वसाधारण एक बार भी दण्डित हुए मनुष्य को नौकर रखने में इतस्ततः करते हैं। इसीलिए न, कि उस मनुष्य पर उनका विश्वास नहीं जमता है। साथ ही जेल में प्राप्त उसकी शिक्षा पर भी विश्वास नहीं होता है। लोग समझते हैं कि जेल जाने से मनुष्य यथार्थ में अपराधी हो जाता है, जो सत्य है।

अनेक देशों में जेलों के भीतर किए जाने वाले व्यवहारों की प्रगति पाशविकता से भावुकता की ओर हुई है। जहाँ क़ैदी को बिल्कुल स्वतन्त्रता नहीं मिलती थी, वहाँ अब आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता उनको प्राप्त है। वार्डेन्स (जेलर) पहिले तो किसी क़ैदी का विश्वास नहीं करते, बाद को सभी क़ैदियों पर विश्वास रखने लगे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जेलर न विश्वास किए जाने वाले क़ैदियों पर ही अधिकतर विश्वास रखने लगते हैं। जब जेल में क़ैदी के साथ उनका चाल-चलन अच्छा कह कर अच्छा बर्ताव करना प्रारम्भ होता है, तो क़ैदी अत्यन्त दाम्भिक, प्रतारक, चालाक और झूठा होना सीखना आरम्भ करते हैं। धोखा देना ही उनका धर्म हो जाता है। क़ैदी का स्वार्थ इसी में होता है कि वह धोखा देकर जेलर की आँखों में धूल झोंक कर अच्छा चाल-चलन वाला प्रसिद्ध हो जाय। इस प्रकार इस प्रथा से अयोग्य ही लाभ उठाते हैं। सीधे-सादे, सच्चे क़ैदी लाभान्वित होने से वञ्चित रह जाते हैं। एक क़ैदी दूसरे क़ैदी का विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसे चुग़ली खाए जाने का भय सदैव बना रहता है। अतः भावुकता को एकदम त्यागना होगा।

कठोरता के व्यवहार के दण्ड की धमकी क़ैदी पर रहती है और इस प्रथा में रियायतों का लोभ और स्वार्थ। जेल-कर्मचारी क़ैदी के साथ रियायतें करते हैं और उससे उनका प्रत्युपकार चाहते हैं। क़ैदी को अच्छी कोठरी रहने को मिलती है, कपड़े अधिक दिए जाते हैं, खाना अच्छा प्राप्त होता है, कभी-कभी बाहर घूमने की आज्ञा भी मिल जाती है, घर वालों और दोस्तों से मुलाक़ातें अधिक हो जाती हैं और बदले में उससे अपने को अच्छा क़ैदी सिद्ध करने की आशा की जाती है। पर यह बात भुला दी जाती है कि कभी क़ैदी जेल के बाहर होगा और वहाँ बाहर उसको यह सुविधाएँ, रियायतें प्राप्त न होंगी; वहाँ उसको अच्छे आचरण के लिए न तो कोई पुरस्कार देगा और न बुरे आचरण के लिए कोई दण्ड देने वाला होगा। इसलिए जब तक क़ैदी स्वयं अपना आचरण सुधारना नहीं सीखता, तब तक समाज उससे निर्भय नहीं हो सकता। अच्छे नागरिक इस प्रकार के प्रलोभन देकर नहीं बनाए जाते।

इसलिए जेल को शिक्षास्थल बनाना होगा। जब क़ैदी न लालच देने से और न धमकाने से सुधारा जा सकता है, तो यह निस्सन्देह है कि उसके सुधार का एक ही मार्ग है—शिक्षा। क़ैदी को ऐसी शिक्षा देनी होगी, जिससे वह 'अच्छा क़ैदी' न बन कर 'अच्छा नागरिक' बनना सीखे। वह उस शिक्षा से स्वतन्त्र जीवन बिताने के योग्य हो सके, यह शिक्षा का उद्देश्य होगा। यदि क़ैदी जेल में ही आजन्म बन्द रहते तो समाज को इस बात की चिन्ता न होती कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह सत्य है कि अन्याय अथवा अत्याचार करने वाले के आचरण पर उसके अन्याय अथवा अत्याचार का बुरा प्रभाव पड़ता है, पर उससे समाज को कोई ख़तरा नहीं है। क़ैदी के सम्बन्ध में सब से अधिक ध्यान देने वाली बात जेल से उसका छुटकारा है। जेल से बाहर होते ही उसको स्वतन्त्र जीवन बिताना होगा और जिससे उसका वह जीवन उत्तम प्रकार से व्यतीत हो सके, ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध उसके लिए जेल में करना होगा। सच बात तो यह है कि जब तक जेल शिक्षालयों में परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, तब तक जेलों में उचित सुधार होना सम्भव नहीं है। जेल उसी समय शान्त, सुव्यवस्थित, नियमित और सदाचारपूर्ण होंगे और उनमें यथार्थ जीवन आवेगा, और साथ ही उनमें से तभी बुद्धिमान, कार्यशील, चरित्रवान और ईमानदार नागरिक बाहर होंगे।

शिक्षालय से तात्पर्य पढ़ना-लिखना सिखाना या पढ़े-लिखे को और अधिक पढ़ना-लिखना बताना या कोई हुनर, कारीगरी सिखाना मात्र नहीं है। यद्यपि ये बातें भी आवश्यक हैं, किन्तु सच्चा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना, समाज या जाति में स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के योग्य बना देता है।

क़ैदियों को ईमानदारी से श्रम करने की शिक्षा देना नितान्त आवश्यक है। जेलों में प्रचलित प्रथा श्रम-शिक्षा का निकृष्ट प्रकार है और उससे और क्रीत दासों के श्रम में कोई अन्तर नहीं है। जेलों में जब क़ैदी से काम लिया जाता है, तो उसकी योग्यता का कुछ भी ख़्याल नहीं किया जाता और दण्ड का भय दिखा कर पूरा कराया जाता है। भारतीय जेल इस सम्बन्ध में बहुत दोषपूर्ण हैं। क़ैदियों से चक्की पीसने या रस्सी बँटने से अधिक उपयोगी काम लिया जा सकता है। क़ैदियों को उनकी मेहनत के बदले में कुछ नहीं दिया जाता, इससे उनका शिक्षण सम्बन्धी मूल्य कुछ भी नहीं रहता है।

अनेक जेलों में वे काम लिए जाते हैं, जो क़ैदी बाहर कभी नहीं करते। ३० सेर गेहूँ खड़े-खड़े चक्की पर पीसना और न पीस पाने पर डण्डे खाना—इस प्रकार की 'मशक़्क़त' कभी भी चोर को ईमानदार कारीगर नहीं बना सकती। हममें से प्रत्येक मनुष्य को इस मशक़्क़त और डिसिप्लिन के बाद चोरी करना अधिक रुचिकर प्रतीत होगा और समाज के विरुद्ध युद्ध करने को शेष जीवन भर वह उतारू रहेगा, और ऐसा ही होता भी है।

जेल में मशक़्क़त की भित्ति व्यवसाय-सम्बन्धी श्रम होना उचित है। क़ैदी को उसके श्रम का पुरस्कार मिलना चाहिए और उस पुरस्कार में से जो राष्ट्र उसके भोजन, वस्त्र आदि पर व्यय करता है, वह काट लेना चाहिए। इस प्रकार उसके पुरस्कार का शेषांश उसके परिवार की सहायता में व्यय किया जाय या क़ैदी के नाम जमा होता रहे। पुरस्कार के धन पर क़ैदी का पूर्ण अधिकार हो और जब वह जेल से छूटे, तो वह धन उसको दे दिया जाय। उस समय तक कोई क़ैदी जेल से बाहर न होने पावे, जब तक कि वह जेल में इतना धन न बचा ले जो उसके छूटने पर उसके भोजन-वस्त्रादि के लिए, उस समय तक के लिए पर्याप्त न हो, जब तक कि उसके रोज़ी का प्रबन्ध न हो जाय।

जेल में श्रम की प्रथा स्वाभाविक और सुस्थ हो तथा जो आर्थिक और नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल न हो, तो जेलख़ाने स्वावलम्बी हो जायँगे। राष्ट्र को फिर उन पर लाखों रुपए प्रति वर्ष ख़र्च न करने पड़ेंगे। आजकल क़ैदियों पर लाखों रुपयों के ख़र्च करने के बाद परिणाम यह होता है कि क़ैदी को ईमानदारी से धनोपार्जन से घृणा हो जाती है।

संयम (डिसिप्लिन) को अच्छा रखने के लिए यह आवश्यक है कि भय या प्रलोभन से काम न लिया जाय। जो डिसिप्लिन भय या प्रलोभन के द्वारा स्थापित किया जाता है, वह केवल दिखावटी होता है। मनुष्य जब काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह इच्छापूर्वक या निपुणता से उस काम को नहीं करता।

जेलख़ानों में शिक्षण नागरिकता के आधार पर होना चाहिए। जेल में पौर-शास्त्र (Civics) सम्बन्धी शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है, पर साथ ही नागरिकता सम्बन्धी वास्तविक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय। तैरना सीखने के लिए तैरना प्रारम्भ करना होगा, केवल तैरने के नियम या तैरना सिखाने वाली पुस्तकें पढ़ कर कोई तैराक होने का दावा नहीं कर सकता है। यही बात नागरिकता (Citizenship) सम्बन्धी शिक्षण पर लागू होती है। अच्छा नागरिक होने के लिए समाज या जाति के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना, अन्य नागरिकों को अपने कर्त्तव्य-पालन के लिए उत्साहित करना, दूसरों के अधिकारों को न दबा कर अपने अधिकारों की माँग करना, भूलों से लाभ उठाना, धोखा खाने पर निरुत्साहित न होकर विश्वास करते रहना आदि बातों का जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है। पर इनका यथार्थ ज्ञान बर्तने से ही प्राप्त होता है। सौभाग्य से इनका बर्तना जेल में असम्भव नहीं है।

ऊपर जिन सिद्धान्तों का वर्णन हुआ है, वे केवल सिद्धान्त ही नहीं हैं, किन्तु व्यवहार की कसौटी पर कसे जा चुके हैं। जेलों का लोकसत्तात्मक होना सम्भव ही नहीं है, बल्कि ऐसे जेल आज भी विद्यमान हैं। इन जेलों ने अस्थायी अच्छे आचरण और स्थायी सुधार के सम्बन्ध में क़ैदियों में अभूतपूर्व काम कर दिखाया है। अमेरिका के इन जेलों का वर्णन फिर कभी किया जायगा।

*

राजपूताने में दास-प्रथा

(२८वें पृष्ठ का शेषांश)

चार और व्यभिचार होता है, कुँवर और कुमारियों पर बुरे संस्कार जमते हैं और कई ठिकाणें तो दासियों के कारण स्वाहा हो जाते हैं।

हम आशा करते हैं कि विचारशील नरेश और जागीरदार इस प्रथा की भयङ्करता का अनुभव करेंगे और शीघ्र ही इसको उठा देंगे। पर्दा-प्रथा के कारण दासियों का होना किसी हद तक आवश्यक तो है, परन्तु दासता को हटाने में दास और स्वामी दोनों का हित है। दोनों अमानुषिकता और पशुता से मुक्त होंगे। हम चाहते हैं कि नवयुवक लोग भी अपना कर्तव्य समझ कर पासवानों की सहायता करें और उनको दासता की ज़ञ्जीरों से मुक्त करें।

* * *

[वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ५

पञ्जाब-पुलिस की बेईमानियों के कुछ ताज़े नमूने !

'फ़रार' देवियों को बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा !!

लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों के मनोरञ्जक 'तख़ल्लुस' अथवा उपनाम !

सबसे अच्छी गवाही देने वाले मुख़बिर को ५,०००) रु० तथा एक तमञ्चा देने का प्रलोभन !!

आज ता० २४ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर सफ़ाई के वकील, मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुख़बिर मदनगोपाल ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखने के बाद मुझे पढ़ कर सुनाया नहीं था। मैजिस्ट्रेट के सामने मैंने किसी चीज़ की शनाख़्त भी नहीं की थी। पुलिस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुवकों को दिखला कर मुझसे उनकी शनाख़्त करने के लिए कहा था। मिरज़ा अताउल्ला ने दो नवयुवकों को दिखला कर मुझसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुम्हें पालनपुर भेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाख़्त कर दो। मिरज़ा ने मुझसे उनके नाम केवल कृष्ण और देवराज बतलाए थे। उन नवयुवकों के दिखलाए जाने के समय मैं एक चिक की आड़ में था। मैं उन्हें देख सकता था, परन्तु वे मुझे नहीं देख सकते थे। यह घटना मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के कुछ दिन पहले की है। मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनकी शनाख़्त नहीं की। जब मैं चन्द्रशेखर आज़ाद और शिव के साथ पहले-पहल लाहौर गया था, तब पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के मकान में ठहरा था।

इसके बाद मुख़बिर को अदालत में एक कोट दिखलाया गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर आज़ाद का बतलाया।

मुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की अङ्गरेज़ी नक़ल दी गई थी। मैं उर्दू नहीं जानता। बयान की नक़ल मेरे पास एक महीने तक रही, जिसे मैं कण्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया। वह नक़ल मेरे ट्रङ्क में थी, परन्तु न्यायालय की हिरासत में रक्खे जाने के समय पुलिस उसे निकाल ले गई।

प्रीवी कौन्सिल में अपील

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में मुझसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके लिए उसे उपयुक्त दण्ड दिया जायगा। लाहौर फ़ोर्ट से न्यायालय विभाग की हिरासत में लाए जाने के दिन जब मैं अदालत में लाया गया, तो पुलिस अफ़सरों ने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध प्रीवी-कौन्सिल में अपील करने जा रहे हैं। उन पुलिस अफ़सरों में सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी०, और सरदार खड्गसिंह सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग मुख़बिरों का तबादला लाहौर फ़ोर्ट में फिर से करा देंगे। इसके बाद हम लोग सेण्ट्रल जेल पहुँचाए गए, जहाँ हम लोगों के पहरे पर वही पुलिस के आदमी तैनात किए गए, जोकि लाहौर फ़ोर्ट में थे। सेण्ट्रल जेल में जब-तब सी० आई० डी० के अफ़सर भी हम लोगों से मिला करते थे।

प्रश्न—क्या ख़ैरातीराम ने तुमसे यह नहीं कहा था कि उससे पुलिस के अफ़सरों ने कहा कि तुम लाहौर फ़ोर्ट से सेण्ट्रल जेल में बदल जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दो ?

उत्तर—निस्सन्देह ख़ैरातीराम ने मुझसे कहा था कि पुलिस इस सम्बन्ध में मेरी ओर से एक अर्ज़ी पेश कर चुकी है।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ख़ैरातीराम के साथ जेल में विशेषतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने पुलिस से इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की कि जेल में मेरी जान ख़तरे में है। इस समय भी मुझे इस बात का कोई डर नहीं है।

मुख़बिरों के लिए इनाम

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि पुलिस-गार्ड के अफ़सरों ने मुझे धमकाया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे पहले वाले षड्यन्त्र केस में जिन मुख़बिरों ने पुलिस के कहे मुताबिक़ बयान दिए थे, उन्हें हज़ारों रुपए इनाम में मिले थे, परन्तु जिन लोगों ने अपने बयान बदल दिए थे, उन्हें दण्ड दिया गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि जयगोपाल को एक तमञ्चा और ६ हज़ार रुपए इनाम में मिले थे। इसी प्रकार फनी घोष, ललितकुमार और मनमोहन बैनर्जी को दो-दो हज़ार रुपए और आत्म-रक्षा के लिए एक-एक तमञ्चे दिए गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गवर्नमेण्ट ने सब से अच्छी गवाही देने वाले मुख़बिरों को ५,०००) रुपए और एक-एक तमञ्चा देने का निश्चय किया है। उन्होंने मुझसे यह भी बतलाया कि मुख़बिर ब्रह्मदत्त और रामसरन दास पर, जिन्होंने पहले लाहौर षड्यन्त्र केस में अपने बयान बदल दिए थे, मामला चलाया गया और बहुत बुरी तरह से दण्डित किए गए थे। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि सी० आई० डी० के सब-इन्स्पेक्टर सरदार खड्गसिंह सेण्ट्रल जेल में मुख़बिरों से मिलने आया करते थे, उनके लिए मिठाइयाँ और फल लाया करते थे तथा और भी अनेक प्रकार से उन्हें सुविधाएँ पहुँचाते थे।

बोर्स्टल जेल

बोर्स्टल जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर मुख़बिर ने कहा कि जेल में दो फाटक हैं। सी० आई० डी० के डी० एस० पी०, ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह मुझसे मिलने के लिए फ़िरोज़पुर रोड की तरफ़ जो फाटक है, उससे होकर आया करते थे। फाटक के बग़ल वाले ऑफ़िस में वे मुझसे मिलते थे। बाबू दौलतअली शाह इस ऑफ़िस के इनचार्ज थे। पहले-पहल मुझसे मिलने के लिए सय्यद अहमदशाह साढ़े नौ बजे रात को आए थे। मैंने दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के अपूर्व बयान की नक़ल देखी थी। उस बयान की नक़ल में ४८ पृष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर लगी हुई थी।

इतना कहने के बाद मुख़बिर ने अदालत के सामने कैलाशपति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से उद्धृत करके सुनाए।

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि जब इन्स्पेक्टर प्रतापसिंह अदालत के कमरे के बाहर मेरे सूट-केस की ताली माँग रहे थे, उस समय दो पुलिस कॉन्स्टेबिल मौजूद थे, जिनमें एक सज्जावल ख़ाँ नाम का कॉन्स्टेबिल इस समय अदालत में उपस्थित है। बयान का पहला पृष्ठ माँगते समय भी वे दोनों कॉन्स्टेबिल मौजूद थे।

"मैंने शिकायत नहीं की"

मुख़बिर ने कहा कि दल के सदस्य दल के अन्दर की भिन्न-भिन्न शाखाओं की सम्पूर्ण कार्रवाइयों से परस्पर परिचित नहीं रहते। जब केशवचन्द्र ने मुझसे अपने पते से पत्र मँगाने के लिए कहा था, उस समय मैं दल के प्रति केवल सहानुभूति रखता था।

कान्तिप्रसाद ने मुझे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" का पर्चा दिखलाया था। पर्चा दिखलाने में उसका उद्देश्य मुझे दल के नियमों से परिचित कराना था। मुझे यह नहीं मालूम कि भावलपुर रोड वाला बङ्गला किराए पर कब लिया गया था। मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही उसमें दल के लोग मौजूद थे। मैंने उस व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर धनी के नाम से पुकारते थे। वह चित्र मैंने सरकार की ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र में देखा था, जिसमें उसका नाम धन्वन्तरि दिया गया था।

प्र०—मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब पुलिस के अफ़सर अपनी तरफ़ से उस बयान में बातें जोड़ते जाते थे, तब तुमने इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं की ?

उत्तर—मैंने मैजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफ़सरों में उस समय परस्पर जो बातें हो रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे एक-दूसरे के मित्र हैं।

पुलिस अफ़सर के नोट

इसके बाद मुख़बिर के सामने वह काग़ज़ पेश किया गया, जिसे अदालत ने अपना क्लर्क भेज कर जेल से मँगवाया था। मुख़बिर ने कहा कि यह काग़ज़ मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नक़ल का प्रथम पृष्ठ है। बोर्स्टल जेल में मैंने ज़मीन खोद कर उसे निकाला था, जिसे अदालत के क्लर्क ने यहाँ आकर पेश किया था।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि इस काग़ज़ पर पेन्सिल से जो तारीख़ें लिखी हुई हैं, उनके लेखक ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० हैं। उन्होंने काग़ज़ पर ये तारीख़ें मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। डी० एस० पी० ने मुझसे इन तारीख़ों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा था।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से डी० एस० पी० को अदालत में बुलवाने और उनकी लिखावट ले लेने के लिए प्रार्थना की।

अदालत ने मि० श्यामलाल की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

पुलिस अफ़सर का बयान

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सी० आई० डी० के डी० एस० पी० ख़ाँ साहब सय्यद अहमद-शाह, जिन्होंने इस केस की जाँच की थी, अदालत के सामने गवाह की हैसियत से पेश किए गए। सफ़ाई के वकील ने आपको मुख़बिर के बयान का प्रथम पृष्ठ दिखलाया। उसे देख कर ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह ने स्वीकार कर लिया कि काग़ज़ के हाशिया में पेन्सिल से जो तारीख़ें लिखी हुई हैं, वे मेरी ही लिखी हुई हैं।

बयान में परिवर्तन

इसके बाद मुख़बिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में फिर पेश किया गया।

मि० अमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि उस दिन बोर्स्टल जेल के काग़ज़ लाने के लिए मेरे साथ अदालत का जो क्लर्क भेजा गया था, वह जेल के फाटक पर ही रोक लिया गया था। केवल मैं सीधे जेल के अन्दर पहुँचाया गया था। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए कसूर ले जाते समय ख़ाँ साहब मिरज़ा अताउल्लाशाह मेरे साथ थे। केस ५ दिसम्बर को प्रारम्भ होने वाला था, इसलिए पुलिस ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आने की रास्ता नहीं देखी। पुलिस के सामने बयान देते समय पुलिस मेरे बयान में अपनी तरफ़ से कुछ बातें जोड़ती जाती थी। बयान के बाद भी उसमें परिवर्तन किए गए थे। बयान के कुछ पृष्ठ हटा कर उनके स्थान पर महीन लिखावट के नए पृष्ठ रख दिए गए थे। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय अगर पुलिस बराबर उपस्थित न होती, तो मैंने सच्चा बयान दिया होता। अप्रैल, सन् १९२१ में कुछ शनाख़्त सम्बन्धी कार्रवाइयों के लिए मैं लाहौर से दिल्ली भेजा गया था। जब मैं मैजिस्ट्रेट को भिन्न-भिन्न जगहें बतला रहा था, तब ख़ाँ साहब मिरज़ा अताउल्ला ख़ाँ और कुछ कॉन्स्टेबिल मेरे साथ थे। आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि दल के लोगों ने भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ा कर किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के सम्बन्ध में अजमेर में कान्तप्रसाद के पूछने पर मैंने उन्हें दल के नियमों की याद दिलाई थी। दल का यह नियम है कि दल के रहस्यों को कोई सदस्य दूसरे सदस्य से न बतलाए। मैंने इस नियम का पालन अपनी गिरफ़्तारी के समय तक किया था। कान्तप्रसाद से गाडोदिया स्टोर्स की डकैती के सम्बन्ध में कुछ पूछना मेरी ग़लती थी।

दल के रहस्य

मि० अमरनाथ मेहता की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि केशवचन्द्र गुप्त से एक महीने तक राजनीतिक विषयों की बातचीत होते रहने के बाद मैं क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनाया गया था। एक महीने के बीच में मैंने केशवचन्द्र गुप्त या चन्द्रशेखर आज़ाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, न मैंने दल के नियमों के सम्बन्ध में ही कभी उनसे पूछा। केशवचन्द्र गुप्त ने दल के नियमों को मुझे ज़बानी बतलाया था। कान्तप्रसाद ने भी दल के कुछ नियम बतलाए थे, जो मुझे याद नहीं हैं। यह बात ठीक है कि दल के नियमानुसार दल के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो किसी कार्य-विशेष में भाग लेते थे। कान्तप्रसाद द्वारा बतलाए हुए नियम दल के केन्द्र-कमिटी सम्बन्धी नियम थे, जिन्हें प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों का परिचय केवल उन्हीं सदस्यों को दिया जाता था, जिन्हें उनके साथ मिल कर कोई कार्य-विशेष करना होता था। आवश्यकता पड़ने पर दल की दूसरी शाखाओं के सदस्यों से भी परिचय हो जाया करता था। मेरा और भगवतीचरण का परिचय दल के सदस्यों के नाते हुआ था। भगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के लिए आने वाला था।

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है कि जो लोग मौजूदा शासन-प्रणाली के विरुद्ध हैं, वे सहानुभूति रखने वाली शाखा के सदस्य समझे जाते हैं?

उत्तर—हाँ, यह बात ठीक है!

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रान्तिकारी किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक सहायता के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय कार्य के नाते सहायता माँगता है, दल के नाम पर नहीं?

उत्तर—हाँ, परन्तु सहानुभूति रखने वालों को क्रान्तिकारी दल के नियम मालूम रहते हैं। वे उनकी सहायता माँगने की बात समझते हैं।

इस सम्बन्ध में आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि जब कोई क्रान्तिकारी सहानुभूति रखने वालों से कोई आर्थिक सहायता माँगता था, तो वह उनसे अपने को क्रान्तिकारी नहीं बतलाता था, बल्कि वह उनसे कहता था कि मातृ-भूमि के स्वतन्त्रता-सम्बन्धी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति दल की किसी शाखा के सदस्य नहीं थे। सहानुभूति रखने वाले दो प्रकार के हुआ करते थे। एक वे जो दल के सदस्य थे, दूसरे वे जो सदस्य नहीं थे। दल के व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा के सदस्यों को शरण देना ऐसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों का कार्य था, जोकि दल के सदस्य भी हुआ करते थे। मुख़बिर ने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलन का मतलब मैं देश को स्वतन्त्र करने वाला आन्दोलन समझता हूँ, चाहे वह आन्दोलन हिंसामय या अहिंसामय हो। मैंने कहा था कि दल का उद्देश्य ऐसे अफ़सरों की हत्या करना भी है, जोकि राष्ट्रीय आन्दोलन में 'बाधाएँ' डालते हैं। 'बाधाओं' से मेरा मतलब अफ़सरों की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों से है।

ज़िले का सङ्गठनकर्त्ता

ज़िले के सङ्गठनकर्त्ता को अपने ज़िले भर के सदस्यों की जानकारी रहती है। शस्त्र और कारतूस वग़ैरह ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता के अधिकार में रहते हैं। केन्द्र-कमिटी की इजाज़त से वह शस्त्र और कारतूस वग़ैरह सदस्यों को वितरित करता है। ज़िले से बाहर जाते समय सदस्यों को ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों की भर्ती, ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता की सिफ़ारिश पर केन्द्र-कमिटी किया करती थी। नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों से ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता का परिचय सीनियर सदस्य के नाते कराया जाता था। परन्तु बाद में, सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा हो चुकने के बाद उन्हें ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता का वास्तविक पद बतला दिया जाता था। कैलाशपति ने मुझे ये नियम बतलाए थे, जिनसे नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा की जाया करती थी। सब से प्रथम उनके सदाचार की परीक्षा ली जाती थी। पता लगाया जाता था कि वे शराबी, जुआरी आदि तो नहीं हैं।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज ता० २५ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सफ़ाई की ओर से ता० २२ जून को पेश की गई उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह को मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से अलग कर देने और मुख़बिरों को बोर्स्टल जेल से सेण्ट्रल जेल में भेज देने के लिए प्रार्थना की गई थी।

सरकारी वकील का बयान

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अभियुक्तों की ओर से अर्ज़ी में कही हुई बातों के उत्तर में एक विवरणात्मक लिखित वक्तव्य अदालत के सामने पेश किया। सबूत की ओर से आपने कहा कि मुख़बिर इस समय जेल-अधिकारियों की हिरासत में और पुलिस के दबाव से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त मुख़बिर मदन-गोपाल का बयान अभी जारी ही है, ऐसी हालत में पुलिस के विरुद्ध जो कुछ उसने कहा है, उसे ठीक मान लेना न्यायतः ख़तरनाक है। बाबू दौलतअली शाह और सी० आई० डी० अफ़सरों के विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, वे ग़लत हैं। सबूत के गवाहों के प्रति अनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है वह भी ग़लत है। सी० आई० डी० के आदमी गवाहों को बुलाने आदि का कार्य अदालत के हुक्म के अनुसार करते रहे हैं।

अभियुक्तों की ओर से बहस

मि० श्यामलाल ने अभियुक्तों की ओर से बहस करते हुए कहा कि हमारा कहना यह है कि मुख़बिर अब भी पुलिस के दबाव में हैं। हम चाहते हैं कि इसके रोकने का कोई प्रबन्ध किया जाय। एक सरकारी गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ गम्भीर दोषारोपण किए हैं।

आपने कहा कि मेरा कहना यह नहीं है कि मुख़बिर ने अपने बयान में अब तक जो कुछ कहा है, वह प्रमाणित मान लिया जाय। मेरा कहना है कि जो कुछ मुख़बिर ने कहा है, उस पर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और उसे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के आदमी मुख़बिरों पर किसी प्रकार का दबाव न डाल सकें और उन्हें बयान न सिखा सकें। पुलिस वालों ने अदालत के हाते के अन्दर मुख़बिर से तालियों का गुच्छा और बयान का प्रथम पृष्ठ माँगा था। अदालत को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने इस सम्बन्ध में अपने फ़ैसले में कहा था कि मुख़बिरों को पुलिस के दबाव से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने बयान दे सकें। परन्तु हाईकोर्ट की इन आज्ञाओं का सी० आई० डी० के अफ़सरों ने उल्लङ्घन किया है। सी० आई० डी० विभाग के ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० मुख़बिर से मिले थे, इस बात का सबूत-पक्ष ने खण्डन नहीं किया है। अगर यह बात ग़लत थी तो मुख़बिर से तालियों के ले लेने का प्रयत्न क्यों किया गया था और उसके सूट-केस का ताला क्यों तोड़ दिया गया था? सरकार अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्त तो जेल-विभाग, सी० आई० डी० विभाग और गवर्नमेण्ट को एक ही वस्तु समझते हैं। जब तक इस सम्बन्ध में अदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही बन्द रहनी चाहिए। अगर अदालत मुख़बिर मदनगोपाल के कथन को बिल्कुल निरर्थक न समझ कर उसे सारयुक्त समझती है, तो उसे कोई ऐसा प्रबन्ध कर देना चाहिए, जिससे कि मुख़बिर पुलिस द्वारा किसी प्रकार दबाए न जा सकें।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस में उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया, जिनमें मुख़बिरों की हिरासत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी। उस समय अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में हलफ़नामे पेश करने पड़े थे। अगर फिर कहीं हाईकोर्ट जाना पड़ा तो उनका पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़

हो जायगा। एक सरकारी गवाह शपथपूर्वक कह चुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में उसे केवल उसके बयान की नक़ल नहीं दी गई, बल्कि कैलाशपति के बयान की भी नक़ल दी गई थी। मुख़बिर ने जो दोषारोपण किए हैं, वे अत्यन्त गम्भीर हैं और उनके प्रमाण के लिए काग़ज़ी सबूत भी मौजूद है। डी० एस० पी० ने यह बात स्वयं ही स्वीकार की है कि बयान के प्रथम पृष्ठ पर पेन्सिल से लिखी हुई तारीख़ें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं। ट्रिब्यूनल को चाहिए कि इस सम्बन्ध में जाँच करे और जाँच के वक़्त तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खे। न्याय की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई ज़ोरदार कार्रवाई करे।

सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने सफ़ाई-पक्ष की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार जाँच करने का अधिकार केवल जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। व्यक्तिगत मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा जाँच होने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु क़ानूनन् अदालत को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय स्थगित रक्खा।

इसके बाद मुख़बिर मदनगोपाल की जिरह प्रारम्भ हुई।

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि जहाँ तक सम्भव होता था, विवाहित व्यक्ति दल के सदस्य नहीं बनाए जाते थे। नया भर्ती होने वाला व्यक्ति दल का साधारण सदस्य समझा जाता था। इसकी सचाई की परीक्षा हो लेने के बाद वह व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा का सदस्य बना लिया जाता था। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को ग़ैर-क़ानूनी दण्ड देने वाले अफ़सरों की हत्या का निश्चय इसलिए किया गया था कि गवर्नमेण्ट ग़ैर-क़ानूनी कार्य करने के लिए उन्हें दण्डित नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए वह उन्हें उत्साहित किया करती थी। नौजवान भारत सभाएँ और सेवा-समितियाँ क्रान्तिकारी दल की शाखाएँ नहीं हैं।

प्रश्न—पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी तरफ़ से जोड़ी थीं, क्या वे तुम्हें याद हैं?

उत्तर—हाँ, याद हैं। पुलिस ने निम्न-लिखित बातें मेरे बयान में जोड़ी थीं :—

(१) दीदी, भाभी और धनी (धन्वन्तरि) उपस्थित थे, जब बम भरे जा रहे थे। दीदी और भाभी ख़ाली बम देती जाती थीं। राज चारपाई पर लेटा हुआ था।

(२) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय दीदी, भाभी, धनी और आसफ़ को तमञ्चे दे दिए गए थे।

(३) प्रान दीदी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था। (यह बात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई थी।).

(४) प्रान भाभी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था और भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर बम-घटना होने का कारण यह था कि उनके हँसी-मज़ाक़ के बीच में भाभी से कहीं बम छू गया।

(५) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय प्रान ने "बड़े भैया" (चन्द्रशेखर आज़ाद) से कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम करने लग गया है। इस पर आज़ाद ने कहा कि शिव का चरित्र भी प्रान की तरह भ्रष्ट हो गया है।

इस समय मुझे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे बयान में इन बातों को जोड़ कर पुलिस क्रान्तिकारी दल को बदनाम करना और जनता की दृष्टि में उसे गिरा देना चाहती थी।

इसके बाद अदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि जो कुछ मैंने ट्रिब्यूनल के सामने कहा है, वह सच कहा है।

बयान समाप्त हो जाने के बाद मुख़बिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की कि मुझे अदालत में सप्ताह में एक बार हाज़िर होने की इजाज़त दे दी जाय, क्योंकि मुझे डर है कि इस प्रकार के बयान देने के बाद सम्भव है, मुझे दण्ड दिए जायँ। यदि अदालत में सप्ताह में एक बार मैं आ सकूँगा तो किसी प्रकार की शिकायत होने पर मैं उसे अदालत के सामने पेश कर सकूँगा।

आज ता० २६ जून को लाहौर हाईकोर्ट में दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज की, जिनका मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अलग से हो रहा है, इस अर्ज़ी पर विचार हुआ जिसमें उन्होंने जेल में अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का विरोध किया था और कहा था कि या तो मुझे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या ज़मानत पर छोड़ दिया जाय।

अभियुक्त की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द, मि० श्यामलाल, मि० अमोलकराम कपूर थे। सरकार की ओर से सरकारी वकील रायसाहब पण्डित ज्वालाप्रसाद थे। अदालत का कमरा दर्शकों और वकीलों से भरा हुआ था। सी० आई० डी० विभाग के डी० आई० जी० पुलिस भी अदालत में उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस का अभियुक्त है, जिसका विचार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में हो रहा है। वह पहले से ही षड्यन्त्रकारी घोषित हो चुका था और उसकी गिरफ़्तारी दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस प्रारम्भ होने के पाँच महीने बाद हुई थी। इसलिए सरकार ने उसके मामले को अन्य अभियुक्तों से अलग चलाने की आज्ञा दी थी। फिर भी उसके विरुद्ध अभियोग वे ही थे, जोकि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध थे और इस समय उसका विचार भी उसी ट्रिब्यूनल में हो रहा है, जिसमें अन्य अभियुक्तों का हो रहा है। पुलिस की हिरासत से हटा कर वह न्यायालय विभाग की हिरासत में किया गया था। अदालत ने अपनी दूसरी जून की आज्ञा द्वारा सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्त दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जाय। ४ जून को अदालत की आज्ञा का पालन हुआ, परन्तु ६ जून को वह फिर वहाँ से हटा कर एकान्त कोठरी में कर दिया गया, जहाँ किसी व्यक्ति को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिल्कुल अलग रखने से अभियुक्त के स्वास्थ्य और उसकी सफ़ाई की तैयारी में बाधा पहुँचेगी। हम लोगों ने जेल-अधिकारियों से एक पत्र द्वारा सुखदेवराज के अलग हटाए जाने का कारण पूछा था, परन्तु बहुत दिनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने इस सम्बन्ध में अर्ज़ी दी, परन्तु वह ख़ारिज हो गई। वहाँ से ख़ारिज होने के बाद अब इस हाईकोर्ट के सामने अर्ज़ी पेश की। हाईकोर्ट में अर्ज़ी पेश होने के बाद जेल के अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल के पास अपना उत्तर भेजा। उत्तर अभियुक्त के वकीलों के पास न भेज कर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट के पास भेजा गया। उसमें लिखा था कि गवर्नमेण्ट सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती। अभियुक्त के वकील ने "प्रिज़न एक्ट" की २७ और २८ वीं दफ़ाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार केवल दण्डित अभियुक्त अकेले बन्द किए जा सकते हैं, विचाराधीन अभियुक्त नहीं। क़ानून में कहीं नहीं कहा गया कि विचाराधीन अभियुक्त अलग एकान्त में बन्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की जो आज्ञाएँ निकल चुकी हैं, उनमें भी कहा गया है कि विचाराधीन अभियुक्तों के साथ उतनी ही सख़्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। विचाराधीन अभियुक्त अदालत के अधिकार में रहते हैं, जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को उन्हें हिरासत में रखने का अधिकार अदालत से ही प्राप्त होता है। सरकार की कार्यकारिणी को विचाराधीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में दस्तन्दाज़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत से दण्ड न पाए हुए क़ैदियों पर पूर्ण अधिकार केवल अदालत को है।

जेल-अधिकारियों के नाम अदालत ने जो पत्र लिखा था, उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के वकील ने कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जेल-अधिकारियों के पास केवल अपनी सिफ़ारिशें भेज रही थी। परन्तु जब अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से अलग हटाया जा रहा था, तब उससे कहा गया कि तुम एक ऐसी अधिकार-शक्ति की आज्ञानुसार अलग लिए जा रहे हो, जोकि अदालतों से ऊपर है। सफ़ाई के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि क्या बीसवीं शताब्दी में अदालतों की स्थिति इस दर्जे पर पहुँच गई है कि अदालतें सरकार के कार्यकारिणी विभाग से नम्र-निवेदन किया करें, उनके यहाँ अर्ज़ियाँ भेजा करें, परन्तु वे यह तक न बतलाएँ कि किसकी आज्ञानुसार और किस कारण से वह कार्य हुआ। सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जेल भेजा जाता है, उसे जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट अपने जेल में ले लेने के लिए बाध्य है, वह इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु जेल के अन्दर प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों और प्रतिबन्धों के अधीन हो जाता है।

इस पर जस्टिस भिडे ने कहा—परन्तु उसके साथ विचाराधीन क़ैदी-सा व्यवहार होना चाहिए। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस पर अनावश्यक सख़्तियाँ न होने दे।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठीक है। सुखदेवराज के साथ बी० क्लास के क़ैदी का सा व्यवहार किया जाता है, साधारण क़ैदी का नहीं।

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ विशेष कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा गया है, जो कि मैं अदालत को बताने के लिए तैयार हूँ, परन्तु सर्वसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते। इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जेल में वह प्रचार का कार्य न कर सके।

आज ता० २९ जून की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्तों की ओर से दी हुई उस अर्ज़ी का फ़ैसला सुनाया, जिसमें अभियुक्तों ने असिस्टेण्ट जेलर को हटा देने और मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके पूर्णतया पालन किए जाने का अनुरोध किया था।

ट्रिब्यूनल का फ़ैसला इस प्रकार है :—

"मुख़बिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा है कि इस अदालत में गवाही प्रारम्भ होने के एक दिन पहले सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सय्यद अहमदशाह ने असिस्टेण्ट जेलर

बाबू दौलतअली शाह की साजिश से, जोकि मुख़बिरों पर देख-रेख करने के लिए तैनात हैं, रात के समय जेल के अन्दर अनुचित ढङ्ग से प्रवेश किया और मुख़बिर मदनगोपाल को बयान की नक़लें देकर उन्हें कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा। सफ़ाई के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि सी० आई० डी० के अफ़सर मुख़बिरों से मिलने न पाएँ, परन्तु डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सय्यद अहमदशाह की कार्रवाई से मालूम होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के हुक्मों के पालन न होने और दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं सरकार के नियमों के उल्लङ्घन होने में बहुत अन्तर है। जो हो, हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा सका, जिससे क़ानून का या किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन करना असम्भव हो जाय।

अगर यह मान भी लिया जाय कि मुख़बिर मदनगोपाल ने अपने बयान में जो कुछ कहा है, वह ठीक है, फिर भी उससे यह नहीं प्रकट होता कि सरकार की ओर से मुख़बिरों के लिए जो प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० के अफ़सरों के लिए मुख़बिरों से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गई है। मुख़बिरों के लिए जैसा प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० का अफ़सर, बिना स्वयं अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन किए और जेल के किसी अफ़सर से न्याय-विरुद्ध साजिश किए किसी मुख़बिर से मिल ही नहीं सकता। हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन कराने के लिए इससे बढ़ कर और क्या गारण्टी हो सकती है कि जो व्यक्ति उन हुक्मों के उल्लङ्घन करने की चेष्टा करेगा, वह दण्डित किया जायगा?

सफ़ाई के वकील का कहना है कि वे किसी जेल-अधिकारी या पुलीस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट को दण्ड नहीं दिलाना चाहते, वे केवल कुछ ऐसा प्रबन्ध चाहते हैं, जिससे मुख़बिरों से सी० आई० डी० के आदमियों का मिलना असम्भव हो जाय। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सकता है। अर्ज़ी में कहा गया है कि मुख़बिरों को सेण्ट्रल जेल में भेज दिया जाय। परन्तु यह उपाय हमें जँचता नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारण्टी है कि जैसे बोर्स्टल जेल में असिस्टेण्ट जेलर ने अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन किया है, वैसे ही सेण्ट्रल जेल का अफ़सर अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन न करेगा?

अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर अपने पद से हटा दिए जायँ। हम लोगों के लिए ऐसी कोई बात करना असम्भव है, जब तक कि हम लोगों को इस बात का निश्चय न हो जाय कि दौलतअली शाह ने कोई अपराध किया है।

सफ़ाई के वकील ने कहा है कि हम लोग इस मामले की जाँच करें, परन्तु हमारा ख़्याल है कि इस सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है। एक तो यह कि केस के बीच में ही मुख़बिर की गवाही के किसी अंश पर ही फ़ैसला दे देना सबूत या सफ़ाई-पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यह स्पष्ट मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए नहीं है कि वह ऐसी बातों की जाँच करे। यह मान लेने पर भी कि मुख़बिर मदनगोपाल ने जो कुछ कहा है वह सच है, दौलतअली शाह और सय्यद अहमदशाह के कार्य, सम्भवतः "प्रिज़न एक्ट" की ४२वीं दफ़ा के अनुसार या किसी और क़ानून के अनुसार अपराध कहे जा सकते हैं। इन अपराधों की जाँच करना लाहौर ज़िले के किसी फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की अदालत का कार्य है। वे अपराध ऐसे नहीं मालूम होते जिनकी जाँच यह अदालत कर सकती हो। इस कथन में कि प्रबन्ध ऐसे हैं, जिनमें मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सरों के मिल सकने की व्यवस्था है और इस कथन में कि किसी सी० आई० डी० के अफ़सर ने क़ानून का उल्लङ्घन करके किसी मुख़बिर से मिलने का उपाय कर लिया, अन्तर है। सम्भवतः पहले कथन के सम्बन्ध में जाँच करना हमारे लिए उचित है। परन्तु हमें उस अदालत के अधिकार अपहरण करने का कोई हक़ नहीं है, जिसे कि इस सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार है।

इसलिए इस सम्बन्ध में हम लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करना उचित समझते हैं। अगर वे उचित समझें तो अर्ज़ी में लिखी बातों की जाँच कर सकते हैं।

सी० आई० डी० के अफ़सर

अर्ज़ी में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत में मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर न मिलने पाएँ। इस सम्बन्ध में हम अपना ज़बानी हुक्म पहले ही निकाल चुके हैं। अब एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर से उस बात का समर्थन करते हैं। अब से गवाहों के कमरे में कोई भी पुलिस अफ़सर बिना अदालत की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे ही पुलिस अफ़सर उस कमरे में जा सकेंगे, जिन्हें स्वयं गवाही देनी है, परन्तु जिन्होंने केस की जाँच में कोई भाग नहीं लिया है; या वे पुलिस अफ़सर जा सकेंगे, जिन्हें अदालत में मुख़बिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया है।

आख़ीर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही के किसी भी अंश पर हम अपना कोई भी निर्णय नहीं दे रहे हैं।"

(क्रमशः)

* * *

देहली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

उन्नीस दिन के बाद आज ता० २४ जून को ११ बजे गवर्नमेण्ट सेक्रेटेरियट भवन के दक्षिणी हिस्से में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र केस फिर पेश हुआ।

सरकारी वकील मि० ज़फ़रुल्ला ख़ाँ थे। सफ़ाई की तरफ़ केवल एस० एन० बोस थे, जोकि अभियुक्त कपूरचन्द की पैरवी कर रहे हैं।

षड्यन्त्र केस की कार्रवाई प्रारम्भ करने के पहले ट्रिब्यूनल ने अभियुक्तों से पूछा कि तुम लोगों ने अपनी पैरवी के लिए वकीलों का क्या प्रबन्ध किया है? अभियुक्तों की ओर से श्री० विद्याभूषण ने कहा कि हम लोग सरकारी ख़र्च से मि० आसफ़अली, मि० बैनर्जी और मि० बलजीतसिंह को नियुक्त करना चाहते हैं। श्री० वात्सायन ने कहा कि फ़रीदुल हक़ अन्सारी भी सरकारी ख़र्च से नियुक्त हुए थे।

अदालत ने सफ़ाई की तरफ़ से सरकारी ख़र्च पर पैरवी करने के लिए मि० आसफ़अली, मि० बलजीतसिंह और मि० बैनर्जी की नियुक्ति का हुक्म जारी कर दिया।

इसके बाद मुख़बिर कैलाशपति गवाह के कटघरे में लाया गया। परन्तु अभियुक्तों ने सफ़ाई के वकीलों की अनुपस्थिति में कार्रवाई प्रारम्भ करने का विरोध किया। इस पर अदालत ने टेलीफ़ोन द्वारा सफ़ाई के वकीलों को जलपान के बाद अदालत में हाज़िर होने की ख़बर भेज दी।

आज ता० २६ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र केस के नौ अभियुक्त अनुपस्थित थे। विद्याभूषण और वात्सायन बीमार थे, इसलिए ट्रिब्यूनल ने अन्य अभियुक्तों को नहीं बुलवाया। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील नहीं था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, केवल पाँच अभियुक्त रुद्रदत्त, बाबूराम गुप्त, हरद्वारीलाल गुप्त, हरकेश और ख़यालीराम गुप्त अदालत में बुलाए गए थे। उनसे पूछा गया कि क्या सफ़ाई के वकील उनकी पैरवी करना मन्ज़ूर कर चुके हैं।

ट्रिब्यूनल के जज ११ बज कर २० मिनट पर पहुँचे। प्रारम्भ में ही प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मुझे खेद है कि अभियुक्त वात्सायन और विद्याभूषण बुख़ार से पीड़ित हैं, इस कारण से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती।

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़अली, मि० बलजीतसिंह और मि० बैनर्जी से पूछा कि क्या आप लोग पैरवी के लिए अपनी नियुक्ति मन्ज़ूर करते हैं? मि० आसफ़अली ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि सफ़ाई कमिटी अभियुक्तों की सहायता और व्यय की कमी की पूर्ति के लिए तैयार हो गई। हम लोग राज़ी हैं और मि० फ़रीदुल हक़ अन्सारी भी हम लोगों के साथ सफ़ाई कमिटी की ओर से पैरवी करेंगे।

इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत में उपस्थित पाँच अभियुक्तों की ओर से ज़मानत की दरख़्वास्त पेश की। प्रेज़िडेण्ट ने ज़मानत की दरख़्वास्त पर बहस करने के लिए ता० ६ जुलाई नियत की। ज़मानत की दरख़्वास्तें पाँच अभियुक्तों की ओर से सम्मिलित और अलग-अलग दोनों प्रकार से पेश की गईं। दरख़्वास्त इस प्रकार है :—

(१) अभियुक्त जब से गिरफ़्तार हुए, तब से जेल में बन्द हैं।

(२) अब तक केवल एक गवाह की गवाही पूरी हुई है, दूसरे की जारी है, जिसमें सम्भवतः कई सप्ताह लग जायँगे।

(३) इस केस में केवल सबूत की ओर से ४१८ गवाह पेश होने वाले हैं, जिनमें से कुछ की गवाहियों में उतना ही समय लगने की आशा है, जितना कि प्रथम मुख़बिर की गवाही में लग चुका है। सबूत-पक्ष की कार्रवाइयों के जल्दी समाप्त होने की कोई आशा नहीं है।

(४) अभियुक्त जिस प्रकार से जेलों में रक्खे गए हैं, उससे सफ़ाई की तैयारी में बहुत अधिक बाधा पड़ी है।

(५) अब तक सबूत की ओर से जितनी गवाही हो चुकी है और अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही का जितना सारांश प्राप्त हो चुका है, उन्हें देखने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक इस षड्यन्त्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कार्य करने या उसमें सहायता देने तक की कोई बात नहीं कही गई है।

इसीलिए प्रार्थना है कि अभियुक्त ज़मानत पर छोड़ दिए जायँ।

मुख़बिर को अलग रखने की माँग

ज़मानत की दरख़्वास्त दे चुकने के बाद मि० आसफ़अली ने मुख़बिर कैलाशपति को आम मुख़बिरों से अलग रखने के सम्बन्ध में एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी में कहा गया था कि मुख़बिर कैलाशपति की गवाही क़रीब-क़रीब समाप्ति पर है, इसलिए अभियुक्तों की प्रार्थना है कि या तो यह मुख़बिर अन्य मुख़बिरों से तब तक के लिए अलग रक्खा जाय, जब तक कि अन्य मुख़बिरों की गवाही और जिरह न समाप्त हो जाय या पहले सब मुख़बिरों की केवल गवाही हो जाय और जिरह बाद के लिए स्थगित रक्खी जाय। अभियुक्तों को इस बात का बहुत डर है कि यदि उपरोक्त दो बातों में से कोई एक बात न की गई, तो उनकी सफ़ाई में बड़ी बाधा पहुँचेगी और अभियुक्तों को दोषारोपण के पहले सबूत के गवाहों से जिरह करने का जो अधिकार प्राप्त है, वह बिल्कुल निरर्थक हो जायगा।

मि० आसफ़अली ने उपरोक्त अर्ज़ी पेश करते हुए अदालत से कहा कि अब जेल में मुख़बिरों को अलग-अलग रखने के लिए काफ़ी जगह मौजूद है। वास्तव में एक मुख़बिर तो क़रीब एक महीना हुआ जब से बिल्कुल अलग रक्खा जा रहा है।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम।

मि० आसफ़अली ने कहा कि इस विषय में कोर्ट इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंह तो ज़रूर ही जानते होंगे।

सरदार भागसिंह ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता।

परन्तु मि० आसफ़अली ने कोर्ट इन्स्पेक्टर को यह कह कर लाजवाब कर दिया कि "क्या आप जो कुछ कह रहे हैं, उसको हलफ़ के साथ लिख कर अदालत के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं?"

इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अदालत ने अर्ज़ी पर बहस करने के लिए तारीख़ ३० जून नियत की।

इसके बाद मि० आसफ़अली ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की कि आप लोग इसी समय चल कर देख लें कि उसमें मुख़बिर कैलाशपति को अलग रखने के लिए जगह है या नहीं।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने विनोद में कहा कि मैं समझता हूँ कि मुख़बिरों के अलग-अलग रखने की बात किसी संसर्गिक रोग के कारण नहीं कही जा रही है। (इस पर हँसी हुई)

मि० आसफ़अली ने विनोद में ही कहा—जी हाँ, परन्तु असावधानी या अधिकारियों की कर्तव्य-विमुखता से अत्यन्त गम्भीर संसर्गिक रोग उत्पन्न हो सकता है। (इस पर फिर हँसी हुई।)

मि० आसफ़अली ने अदालत के सामने एक और अर्ज़ी भी पेश की। उसमें कहा गया था कि या तो अदालत स्वयं जेल जाकर जेल के १६ नम्बर के उस रजिस्टर का निरीक्षण करे, जिसमें मई महीने में आए हुए जेल के दर्शकों के नाम दर्ज हैं या अदालत मुझे रजिस्टर को जेल से लाने के लिए वारण्ट दे। आपने अदालत से कहा कि वह रजिस्टर अभियुक्त-पक्ष के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है और उसके लिए अदालत को तुरन्त उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देर हो जाने से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाने की सम्भावना है। आपने कहा कि सी० आई० डी० के आदमी मुख़बिरों के वार्ड में हर समय स्वतन्त्रतापूर्वक आते-जाते रहे हैं। मेरी समझ में यह बात अत्यन्त विचारणीय है।

प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़अली से पूछा कि आपको डर किस बात का है?

मि० आसफ़अली—जो लोग ऐसी-ऐसी बातें कर सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकते? वे चाहें तो रजिस्टर को नष्ट कर सकते हैं।

प्रेज़िडेण्ट—आपके कथन अस्पष्ट हैं।

मि० आसफ़अली—नहीं, मेरे कथन स्पष्ट और आधारयुक्त हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर कुँवरसेन ने कहा कि वह रजिस्टर नष्ट नहीं किया जा सकता।

मि० बलजीतसिंह—इस केस में सब कुछ किया जा सकता है। अभी-अभी एक आदमी सबूत की ओर से जेल भेजा गया है। मुझे भय है कि सबूत-पक्ष की ओर से यह आदमी रजिस्टर के सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश किए जाने के बाद ही भेजा गया है।

इस पर वाक्युद्ध प्रारम्भ हो गया और दोनों ओर के वकील उत्तेजित हो गए।

सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ला ख़ाँ ने कहा—मेरे विरुद्ध जो निराधार दोषारोपण किए गए हैं, उनका मैं ज़ोरों के साथ विरोध करता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, सबूत-पक्ष को सभ्य व्यवहार पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि सफ़ाई-पक्ष स्वयं अपने लिए चाहता है।

मि० बलजीतसिंह—मेरा कथन सरकारी वकील के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सबूत-पक्ष के इन्स्पेक्टर के विरुद्ध है, जिसने कि आदमी भेजा है। परन्तु जो कुछ मैं कह चुका हूँ उस पर दृढ़ हूँ। सबूत-पक्ष ने, सफ़ाई की ओर से जेल के रजिस्टर के सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश किए जाने के बाद सम्भवतः जेल की तरफ़ आदमी भेजा है।

प्रेज़िडेण्ट—मेरा ख़याल है कि आपकी टीका अनुचित है।

मि० बलजीतसिंह ने अपने कथन को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

(शेष मैटर ३७वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए।)

अलजीरिया

[श्री० गोपाल गङ्गाधर भावे, बी० ए०]

अलजीरिया का पुराना नाम बारबरी था। यह देश अफ़्रीका महाद्वीप में मोरक्को, ट्यूनिस इत्यादि उत्तरीय देशों के बीच में बसा है, और भूमध्य-सागर के अफ़्रीकी किनारे पर सहारा रेगिस्तान के दक्षिण ओर छः सौ मील की लम्बाई तक फैला है। यह देश फ़्रान्स के अधीन प्रान्तों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, और क्षेत्रफल में फ़्रान्स से छठांश अधिक है। उपजाऊ होने के कारण इस देश पर सदा विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं। वर्त्तमान समय में यहाँ पर अरब, मूर, तुर्क, यहूदी, नीग्रो इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियाँ निवास करती हैं।

इस देश का इतिहास बहुत पुराना है, और ग्रीस तथा रोम के पौराणिक इतिहास से इसका सम्बन्ध पर्याप्त रहा है। तीन सहस्र वर्ष पूर्व जब हरक्यूलीस ने भिन्न-भिन्न पूर्वीय देशों की सेनाओं को स्पेन में खदेड़ कर तितर-बितर कर दिया, तब वे सैनिक अफ़्रीका में आकर वहाँ के आदि निवासियों से मिल गए, और उन्होंने अपने को 'न्यूमीडिया' नाम की जाति में सङ्गठित कर लिया। रोम और कार्थेज में युद्ध हुआ, उसमें कार्थेज को सहायता देने के अपराध में रोम ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया; किन्तु कुछ काल के उपरान्त न्यूमीडिया के राजा ने रोम के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ किया, जो बहुत काल तक चलता रहा। अन्त में रोम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक शासक जुलियस सीज़र ने इसे रोम का एक प्रान्त बना लिया।

ईसा की पाँचवीं शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक स्पेन की 'वेण्डल' नामक जाति का यहाँ पर आधिपत्य रहा। इन्होंने यहाँ की पुरातन सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, इसलिए देश को बहुत हानि उठानी पड़ी। तत्पश्चात् अरब की रेगिस्तानी जातियों ने यहाँ अपना आधिपत्य जमाया और कई शताब्दियों तक इस देश में विप्लव और अराजकता का राज्य रहा।

कुछ शताब्दियों के उपरान्त स्पेन और तुर्कों में इस देश पर अधिकार जमाने के लिए कलह उत्पन्न हुआ, जिसमें तुर्कों की विजय हुई और अलजीरिया तुर्कों के अधिष्ठित प्रान्तों में गिना जाने लगा।

स्पेन के सुप्रसिद्ध शासक पाँचवें चार्ल्स ने यहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहा, किन्तु चार्ल्स के अनेक प्रयत्न करने पर भी अलजीर्स का शहर अजेय रहा।

तदुपरान्त यह देश सामुद्रिक डाकुओं का निवास-स्थान होने के कारण अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाने लगा। अन्त में सन् १८३० ई० में फ़्रान्स ने इस पर अपना अधिकार किया; किन्तु यहाँ के अरबी निवासी बड़े कट्टर थे, वे बड़ी कठिनाई से वश में हो सके। सन् १८८२ ई० के उपरान्त यह देश पूर्णतया फ़्रान्स के अधीन हो गया और विगत यूरोपीय महायुद्ध में फ़्रान्स को इस प्रान्त से अच्छी सहायता मिली।

अलजीर्स यहाँ का मुख्य शहर है। यहाँ के शहरों और बन्दरगाहों में पाश्चात्य सभ्यता का विशेष प्रभाव पड़ा है, और नए यात्री को यहाँ पर यूरोपीय आचार-व्यवहार देख कर कहना पड़ता है कि अलजीर्स अफ़्रीका नहीं, किन्तु नया फ़्रान्स है। परन्तु यदि आप शहर की किसी सङ्कीर्ण गली में प्रवेश कीजिए, तो आपको भ्रम होने लगेगा कि हम किसी जादू के द्वारा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजे गए हैं। यहाँ पर आपको पूर्वीय सभ्यता का जाल बिछा दिखाई देगा।

यहाँ के बाज़ारों में एक विचित्रता है। आपको यहाँ आधुनिक बड़े-बड़े व्यापारियों की दूकानों के समान कोई भी दूकान न मिलेगी। बाज़ार में छोटी-छोटी झोपड़ियाँ और सर्वत्र गूढ़ता तथा अगम्यता का साम्राज्य फैला है। जब यहाँ तुर्कों का राज्य था, उस समय किसी भी व्यापारी को अपनी समृद्धि के चिह्न प्रकट करना उसके लिए अत्यन्त अनिष्टकारी और अमङ्गलप्रद था। आज भी लोगों में धन-सम्पत्ति और समृद्धि छिपाने का पुराना संस्कार पड़ा हुआ है। किसी भी अँधेरी गुफा में बड़े से बड़ा व्यापार चल सकता है। यहाँ के दूकानदारों को आप गुफा में रहने वाली जाति कह सकते हैं। दर्ज़ी की दूकान में कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा, जहाँ खड़े होकर ग्राहक कपड़ा पहिन कर देखें कि ठीक है अथवा कुछ न्यूनाधिक। उसे बीच सड़क में खड़ा रहना पड़ता है और दूकानदार वहीं पर उसे कपड़ा पहिना देता है। बीच-बीच में "वाह, क्या ही ठीक है" "कैसा सुन्दर दिखाई देता है" इत्यादि अनेक वाक्य वह कहता रहेगा, और ज़रा इधर-उधर खींच-खाँच करके आपसे कहलवा लेगा कि कपड़ा ठीक सिला है। अड़ोसी-पड़ोसी सब तमाशा देखने खड़े हो जायँगे और उनकी भी अनेक सूचनाएँ कान पर प्रतिध्वनित होती रहेंगी। इस प्रकार जब तक यह सौदा पूर्ण नहीं हो जाता, सड़क पर का आवागमन बन्द रहता है। 'जल्दी काम शैतान का' इस कहावत को वे पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं।

नाई, दाँत साफ़ करने वाले तथा पत्र-लेखन का व्यापार करने वाले रास्ते के फ़र्श पर बैठ कर अपना-अपना धन्धा किया करते हैं। बहुत सी गुफाओं के द्वार पर बैठ कर कारीगर अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हुए धन्धे, जैसे तुकबन्दी करना, जूतों की मरम्मत करना, बर्तन जोड़ना, बाजों को दुरुस्ती इत्यादि किया करते हैं। मसालों की महक, इत्र की सुगन्धि, पकाए जाने वाले भोजन की ख़ुशबू तथा कूड़े-करकट के ढेर से फैलने वाली दुर्गन्धि इत्यादि से वातावरण सदा भरा रहता है। पूर्व के समस्त देश बहुधा इसी प्रकार के देखने में आते हैं। अलजीर्स के एक छोटे से बाज़ार के एक कोने में अरब अब भी कहानियाँ सुना कर पैसे कमाते हैं। इस प्रकार कहानियाँ सुनाने की प्रथा बहुत पुरानी है, और 'सहस्र रजनी' इत्यादि पुस्तकों में हम उसका वर्णन पढ़ते हैं।

अलजीरिया में कॉफ़ी-भवन बहुत पाए जाते हैं, किन्तु इनमें सामान कुछ भी नहीं होता। एक ख़ाली कमरे में कुछ बेञ्चें पड़ी रहती हैं और कोने में एक चूल्हा रक्खा रहता है। यहाँ आने वाले बेञ्चों पर, भूमि पर अथवा चटाइयों पर पल्थी मार कर बैठते हैं। इनमें से कुछ ताश, शतरञ्ज इत्यादि खेल खेलते हैं और कुछ छोटे-छोटे गिलासों से कॉफ़ी पीते हैं।

मूर लोगों के घर किसी प्रकार से अलंकृत नहीं होते। उनकी दीवारें ख़ाली, ढालदार तथा देखने में लटकती हुई सी होती हैं। उनके घरों में खिड़कियाँ नहीं होतीं, केवल कुछ झँझरीदार झरोखे होते हैं। उनके द्वारों की उपमा किसी दुर्ग के सिंहद्वार अथवा किसी कारागृह के फाटक से दी जा सकती है। घरों के पिछवाड़े ही केवल हम लोग देख पाते हैं। इनके अन्तर्भाग अवश्य सजे हुए, रँगे हुए तथा प्रेक्षणीय होते हैं।

परदे की प्रथा अलजीरिया में बहुत प्रचलित है। यहाँ घरों की छतों पर ही केवल स्त्रियाँ स्वच्छ वायु सेवन कर सकती हैं। परन्तु यहाँ के घर पहाड़ियों के ढाल पर बने हैं, और छतों पर से दूर के समुद्र और उन पर चलने वाले जहाज़ तथा नौकाओं के अतिरिक्त स्त्रियाँ कुछ भी नहीं देख सकतीं। छतें एक-दूसरी से मिली हुई हैं, और स्त्रियों को अपनी सहेलियों से मिलने के लिए इन्हीं पर से जाने की आज्ञा है। परन्तु इसका अनिष्ट उपयोग प्रेमियों द्वारा होता है, जो किसी वृद्धा कुटनी की सहायता से स्त्री-वेष में अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए इन्हीं छतों द्वारा विचरण करते हैं।

यहाँ की मस्जिदों में ईसाइयों के जाने की रोक नहीं है, परन्तु उनको जूता बाहर ही उतारना पड़ता है। फ़्रान्स यहाँ की भिन्न-भिन्न जातियों को पाश्चात्य सभ्यता में रँगने का प्रयत्न ज़ोरों से कर रहा है; परन्तु उसे कहाँ तक सफलता हुई, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। यहाँ के आदि निवासियों के विश्वास, आचार-व्यवहार सभी यूरोप से नितान्त भिन्न हैं।

* * *

(३६वें पृष्ठ का शेषांश)

प्रेज़िडेण्ट ने मि० आसफ़अली से कहा कि अदालत वारण्ट नहीं दे सकती, परन्तु रजिस्टर मँगवा सकती है। मैं इस बात को पहले से ही नहीं मान सकता कि जेल-अधिकारी रजिस्टर में कोई गड़बड़ कर देंगे।

मि० आसफ़अली—मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं यह रजिस्टर नष्ट न कर दिया जाय।

इस पर ख़ाँ बहादुर अमीरअली ने मि० आसफ़अली से पूछा कि अगर ट्रिब्यूनल रजिस्टर को मँगवा ले तो क्या आपका उद्देश्य सिद्ध हो सकता है?

मि० आसफ़अली ने कहा—जी हाँ, अगर अदालत रजिस्टर को मँगा कर अपने क़ब्ज़े में रख ले, तो मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जायगा। लेकिन अगर जेल के अधिकारियों ने रजिस्टर आज न दिया या उसे नष्ट कर दिया तब क्या होगा?

प्रेज़िडेण्ट—तब जो करना होगा, सोचा जायगा। परन्तु इस समय तो हमें इस तरह की कोई भी बात होने की आशङ्का नहीं मालूम होती। हम जेल से रजिस्टर लाने के लिए अदालत से एक क्लर्क भेज देंगे।

मि० आसफ़अली ने ट्रिब्यूनल से क्लर्क के साथ एक वकील भी भेज देने की प्रार्थना की। परन्तु प्रेज़िडेण्ट ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी।

मि० आसफ़अली ने कहा—मेरी प्रार्थना है कि अदालत अभी ही रजिस्टर मँगा कर अपने क़ब्ज़े में रख ले।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि ऐसा ही किया जायगा।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

भारत के नए बड़े लाट बहादुर, श्रीजगद्गुरु की तरह बुद्धि को परिमार्जित करने के लिए थक्कनफ़क्कन बूटी छानते हैं या नहीं, यह तो मालूम नहीं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि बेचारे आदमी बड़े सीधे-सादे और सोलहो आने भारत के बड़े लाट होने के योग्य हैं। इसलिए ऐसा 'वाह्याभ्यन्तर' विशुद्ध बड़ा लाट भेजने के लिए श्रीमती ब्रितानिया को हिज़ होलीनेस का बहुत-बहुत धन्यवाद पहुँचे।

❀

गत २७ जून को शिमला शैल की एक भोज-सभा में लेह्य, पेय, चव्य, चूष्य पदार्थों के भूरि-भोजन के पश्चात् जो वक्तृता लाट साहब ने दी है, वह माशा अल्लाह, स्वादिष्ट ही नहीं, उपादेय भी है। इसलिए आए दिन की बेकारी और अन्नाभाव के कारण जिन लोगों ने इस संसार से 'हिजरत' कर ली है, हमारी राय है कि तिला-ञ्जलि के साथ एक-एक प्रति इस वक्तृता की भी उनके पास भेज दी जाए, ताकि परलोक में उनकी आत्माओं को काफ़ी शान्ति प्राप्त हो सके।

❀

घबराइए नहीं, यहाँ से पिण्डा, पानी, आटा, दाल, चावल, पलङ्ग—यहाँ तक कि जूता तक—स्वर्ग भेजा जा सकता है तो बड़े लाट साहब की स्पीच की एक प्रति भेज देना कौन सी बड़ी बात है? वक्तृता की एक प्रति श्राद्धान्न के साथ पुरोहित जी को खिला दीजिए या उसे धोकर उन्हें पिला दीजिए। बस, वह बिला तारबर्क़ी की ख़बर की तरह स्वर्ग-धाम पहुँच जाएगी और 'नारद न्यूज़ एजेन्सी' की मार्फ़त वहाँ के अख़बारों में छप जाएगी तथा उसे पढ़ कर जठर-ज्वाला से तड़फड़ाती हुई सारी आत्माएँ बात की बात में शान्त हो जायँगी।

❀

और, जो लोग रेलवे-विभाग और सरकारी दफ़्तरों से बरतरफ़ करके, आराम करने के लिए घर भेज दिए गए हैं, उनके लिए तो इस वक्तृता को साक्षात् सोहन-हलवा या नाशपाती का मुरब्बा ही समझिए। पढ़ते-पढ़ते डकार पर डकार आने लगेगी और फिर जब तक जीते रहेंगे, तब तक न उन्हें भूख सताएगी और न प्यास। हाँ बरसात का मौसिम है और अजीर्ण हो जाने की काफ़ी सम्भावना है। तो एक काम कीजिए। ऐसे लोगों को कुछ दिनों के लिए बाराबङ्की भेज दीजिए। क्योंकि वहाँ श्रीमती नौकरशाही ने चिकित्सा का काफ़ी इन्तज़ाम कर रक्खा है।

❀

अमाँ, अर्थ-नैतिक दुरवस्था के लिए इतनी हाय-तोबा मचाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बक़ौल बड़े लाट बहादुर, (१) प्रधान मन्त्री महोदय ने पार्लामेण्ट में आश्वासन प्रदान किया है कि भारत के अर्थ-नीतिक व्यापार में ब्रिटिश सरकार का कर्तृत्व अक्षुण्ण रहेगा और (२) अमेरिका के राष्ट्रपति मि० हूवर एक साल तक अपने रुपए का तक़ाज़ा न करेंगे। फलतः भारत-सरकार को प्रायः दो करोड़ रुपए की अदायगी से साल भर के लिए छुट्टी मिल जाएगी। बस, सारा झगड़ा तय! तिजोरी की चाभी सम्हाल लीजिए!

❀

क्योंकि इन दोनों अत्यावश्यक कार्यों के सम्पन्न होते ही सारे भारत में धन-धान्य का 'साइक्लोन' आ जायगा, बेकार सा-कार और भुक्खड़, शायद, निराकार हो जायँगे। ग़ल्ले का भाव आसमान पर चढ़ जाएगा और बघेलू खेतिहर मख़मली किनारे की धोती बाँधे, सप्तम स्वर में—"झँखइ बारी धनिया, बैरिनि भइली मोरि जवनिया" अलापते हुए अपने खेत की मेंड़ पर टहलते नज़र आवेंगे और उनकी 'बघेलाइन' जलपान के लिए कटोरा भर महुआ की लपसी लिए पीपल के पेड़ तले खड़ी दिखाई देंगी।

❀

भारत का सारा अर्थ-नीतिक कर्तृत्व श्रीमती ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा, जैसे, यजमानों से दक्षिणा वसूल करके लाते हैं श्रीजगद्गुरु और उसे अपनी 'झँपोली' में बन्द करके रखती हैं, श्रीमती गुरुआनी जी! फिर बूटी के लिए तो क्या, गोल मिर्च के लिए भी एक पैसा माँगिए तो मिलने का नहीं; फलतः जिस तरह बूढ़े हिज़ होलीनेस अपने गृह-साम्राज्य के अर्थ-नैतिक झमेलों से अलग रहते हैं, उसी तरह बूढ़े भारत बाबा भी अलग रहेंगे।

❀

और, अगर ईमानहू पूछिए तो, कमबख़्त बुढ़ौती होती भी नहीं इस झञ्झट में पड़ने के क़ाबिल। कहीं दूध वाले के हिसाब में भूल हो गई और दो पैसे उसके पल्ले अधिक जा पड़े तो दाढ़ी की ख़ैर नहीं! भला यह भगवद्भजन करके परलोक सुधारने का समय है या पाँच और तीन आठ तथा तीन सवाया पौने चार रटने का? और, फिर यह काला आदमी—चिर-दरिद्र भारत क्या जाने रुपए-पैसे सँभालने का हाल? इसलिए भारत के अर्थ-नैतिक व्यापार से भारत का अलग रहना ही समी-चीन और श्रेयस्कर है। समझ गए न?

❀

इसके अलावा जनाबे वाला, भारत-सरकार के आर्थिक व्यापार के सर पर अगर ब्रिटिश सरकार के वरद पाणि का साया रहेगा तो माशा अल्लाह, इङ्गलैण्ड के बाज़ार में भारत-सरकार की साख जमी रहेगी और साढ़े छः सैकड़ा सूद का नाम सुनते ही वहाँ के महाजन तोड़े पर तोड़े लाकर सामने रख देंगे। फिर तो बाबा चर्वाक् के मतानुसार 'यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतं पीवेत!"

❀

श्रीमान लाट साहब की सरलता, साधुता, सहृदयता और शान्तिप्रियता का फ़तवा तो अपने राम जी महाराज आरम्भ में ही दे चुके हैं। फलतः इस पृष्ठपेषण की आवश्यकता नहीं कि लाट साहब क्षणिक समझौता नहीं, वरन् चिर-शान्ति के पक्षपाती हैं। मगर इन कॉङ्ग्रेस वालों ने न तो श्रीकामताप्रसाद गुरु का व्याकरण पढ़ा है और न राय श्यामसुन्दरदास साहब के बृहद कोष का ही दर्शन किया है। इसलिए वे गाँधी-इर्विन समझौते की व्याख्या करने में भयङ्कर भूलें कर रहे हैं, यह दुख की बात है।

❀

फलतः हमारे बड़े लाट बहादुर की राय है कि गाँधी-इर्विन समझौते को क्षणिक समझौता न कह कर 'चिर-शान्ति' कहना चाहिए। क्योंकि भारत के औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करने में अब बहुत थोड़ी सी कसर रह गई है। इसीलिए महात्मा गाँधी, लाट साहब स्वयं और उनकी सरकार की छोटी सहयोगिनियाँ दिलोजान से शान्ति की स्थापना में लग गई हैं। जहाँ शान्ति का मर्म सीधी तौर से लोगों की समझ में नहीं आता, वहाँ वह लाठी द्वारा उनकी खोपड़ी में ठूँस दिया जाता है। शान्ति की स्थापना के लिए कहीं-कहीं कॉङ्ग्रेस वालों के मुँहों पर १४४ 'लीवर' का मज़बूत ताला भी लगा दिया गया है! कहीं १०७ धारा की धूम है और कहीं गुप्त सर्कूलरों की!!

❀

श्रीमती संयुक्त प्रान्त की परम साध्वी सरकार महो-दया तो शान्ति की स्थापना के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही हैं। श्रीजगद्गुरु की धारणा है कि यदि बाबा औलिया पीर की कृपा से उनकी यह शान्ति विधायिनी मति-गति कुछ दिन यों ही क़ायम रह गई, तो इस देश के किसान एक साथ ही चिर-शान्ति लाभ कर लेंगे; न पिण्डे की आवश्यकता पड़ेगी, न पानी की और न बछिया की पूँछ पकड़ने की।

❀

संयुक्त प्रान्त के आगरा, मथुरा, बाराबङ्की, इलाहा-बाद, गोंडा, बहराइच, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर और गोरखपुर आदि ज़िलों में तो ज़मींदारों, ताल्लु-क़ेदारों और सखो नौकरशाही के बरक़न्दाज़ों ने शान्ति की दुन्दुभी पीट दी है। किसानों को सदा के लिए शान्त कर देने के लिए उनके बैल और अनाज लेकर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। कारण यह है, कि जब तक सांसारिक वस्तुओं की स्पृहा बनी रहेगी, तब तक शान्ति नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए ये वस्तुएँ लेकर वे सब से पहले निस्पृह बनाए जा रहे हैं। भई, शान्ति के लिए कुछ त्याग का अभ्यास तो होना ही चाहिए।

❀

उन्नाव ज़िले के पिपरी गाँव की कुछ स्त्रियाँ 'सतीत्व-व्याधि' के कारण अशान्त थीं, इसलिए वहाँ के ज़मींदार

महोदय ने अपने अनुचरों और परम पतिव्रता श्रीमती पुलिस के सहोदरों द्वारा उन्हें इस अशान्तिकारिणी व्याधि से विमुक्त करा दिया। एक स्त्री की व्याधि अत्यन्त दुस्साध्य हो गई थी, इसलिए चार सज्जनों ने बारी-बारी से उसे पवित्र करके निश्चिन्त कर दिया! कहीं एक किसान के 'बीजघट' में पत्थर बाँध दिया गया था, ताकि उसे कभी 'हाइड्रोसील' न अशान्त कर सके।

❃

कहाँ तक गिनाऊँ भाई! यह तो जानते ही हो कि अपने राम हिसाबी आदमी नहीं हैं। इसलिए दुख है, इन पुण्यपूत कथाओं का विस्तृत वर्णन इनके द्वारा सम्भव नहीं। संक्षेप में यही समझ लीजिए कि उपर्युक्त ज़िलों में शान्ति की स्थापना के लिए लाठी, घूँसा, जूता, मुक्का, लूट-खसोट, छीना-झपटी आदि साधारण अस्त्रों से लेकर सतीत्वापहरण आदि ब्रह्मास्त्रों और रौद्रास्त्रों तक से भी काम लिया जा रहा है। क्योंकि 'शान्ति कोई दाल-भात का कौर' थोड़े ही है!

❃

मगर अफ़सोस है कि, शायद भूरि-भोजन के पश्चात् स्वाभाविक आलस्यवश श्रीमान बड़े लाट बहादुर ने अपने सुललित और सारगर्भित भाषण में शान्ति के इन साधु प्रयत्नों का ज़िक्र नहीं किया है। इसलिए आपके राजनीतिक आश्वासन का प्रथम पर्वाध्याय अधूरा ही रह गया है। साथ ही जिन लोगों ने शान्ति की स्थापना के लिए सतीत्वापहरण जैसा देवोचित कार्य कर डाला है, उनकी प्रशंसा में दो-चार शब्द कह कर अपनी वाणी को पवित्र कर लेना भी लाट साहब के लिए उचित था। ख़ैर, अगले किसी भाषण में इस भूल का सुधार हो जाना चाहिए।

❃

सीमा प्रान्त की शान्ति-प्रचेष्टा की चर्चा तो ख़ैर, पुरानी हो जाने के कारण आपको 'टेस्टलेस' मालूम होगी, इसलिए कुछ ताज़ी और चटपटी घटनाओं का ही स्वाद लीजिए। मथुरा के नौहझील नामक स्थान में कुछ लोग एक सार्वजनिक सभा करके अशान्ति की सृष्टि कर रहे थे, परन्तु पुलिस ठीक समय पर पहुँच गई और लाठियों की शान्ति वर्षा से सैकड़ों खोपड़ियों को शीतल कर दिया। बीहपुर (भागलपुर) के एक स्वयं-सेवक महोदय को पुलिस अकारण ही थाने में ले गई और ऐसी ख़ासी मरम्मत कर दी कि हज़रत अस्पताल की चारपाई पर शान्ति से मज़े ले रहे हैं!

❃

कहते हैं, इन बीहपुरी स्वयंसेवक महोदय ने किसी मामले में पुलिस के विरुद्ध गवाही दी थी, इसीलिए बेचारी पुलिस को मजबूर होकर उनके दिमाग़ की थोड़ी सी मरम्मत कर देनी पड़ी। ताकि भविष्य में वे या उनके कोई दूसरे साथी ऐसी गुस्ताख़ी करके शान्ति के मार्ग के रोड़े न बन सकें!

❃

ख़ैर जनाब, देश की अर्थ-नैतिक व्यवस्था बी-ब्रिता-निया करें या सखी नौकरशाही और बूढ़े भारत बाबा औपनिवेशिक स्वराज्य के मज़े लूटें या चिर-शान्ति ग्रहण करें। देश के बेकार नवयुवकों ने तो अपने लिए शान्ति का मार्ग ढूँढ़ लिया है। 'योनि-अर्सी' (युनिवर्सिटी?) यज्ञशाला में पैतृक सम्पत्ति, बल-वीर्य और पौरुष स्वाहा कर लेने के बाद बेचारे चुपचाप त्रयताप-हारिणी भगवती 'रस्सी' की शरण में चले जाते और चिर-शान्ति ग्रहण कर लेते हैं। यदि अल्लाहताला के फ़ज़ल से यह 'रस्सी-प्रेम' कुछ दिन यों ही रह गया तो लाट साहब को शान्ति के लिए ज़रा भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।

❃

इधर कई दिनों से श्रीजगद्गुरु को प्रायः नित्य ही ऐसे शुभ-सम्वाद सुनने को मिलते हैं कि कहीं किसी एम० ए० ने छुरे की शरण ली तो किसी बी० ए० ने फन्दे को गले से लगाया। 'गाँधी-इर्विन' समझौते से पहले जिन्हें 'बी' क्लास में 'करमा माई' की खिचड़ी नसीब हो जाती थी, उन्हें भी आजकल केवल बरसात की ठण्डी हवा का ही भरोसा है। फलतः ऐसे मौक़े पर भगवान यमराज ने मृत्यु का सिंहद्वार उन्मुक्त करके बेकारी की जटिल समस्या को ही नहीं हल किया है, वरन् सखी नौकरशाही को भी निश्चिन्त कर दिया है। फलतः इस ख़ुशी में उन्हें एक दिन 'बॉलडान्स' का आयोजन करना चाहिए।

❃

शीघ्रता कीजिए ! केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं !!

बाल रोग विज्ञानम्

इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान', 'उपयोगी चिकित्सा', 'स्त्री-रोग-विज्ञानम्' आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्त्तव्य का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी ग्राहकों से १॥|=)

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी . इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है।

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घटनाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ने लगेंगे। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है।

सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३)

हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित हो रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ! सामाजिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरञ्जक ढङ्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) स्थायी ग्राहकों से २) मात्र !

देवदास

यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह उद्भ्रान्त-सा हो जाता है—इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। मूल्य केवल लागत-मात्र २); स्थायी ग्राहकों से १॥)

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, उसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा ; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३) रु०

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Registered No. A—2085

कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें 'चाँद' न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., vice Tribeni Prasad B. A., in Jail,
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.